छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 01 मार्च, 2019
(फाल्गुन 10, शक सम्वत् 1940)

[अंक 21]

कार्यालय प्रति

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 01 मार्च, 2019

(फाल्गुन 10, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ0 चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जन्म दिवस की बधाई

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री श्री जय सिंह जी अग्रवाल का आज जन्म दिन है। (मेजों की थपथपाहट) मैं उन्हें अपनी ओर से एवं सदन की ओर से जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देता हूँ। उनके सुखमय उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों को सूखा राहत राशि का वितरण

1. (*क्र. 1650) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सत्र 2018-19 में सूखा राहत मद के अंतर्गत कितने किसानों को कितनी राशि वितरित की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : वर्ष 2018-19 में सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र की कोई भी तहसील सूखा प्रभावित नहीं होने के कारण कोई राहत राशि वितरित नहीं की गई है.

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2018-19 में सूखा राहत मद के अन्तर्गत कितने किसानों को कितना सूखा राहत राशि का वितरण किया गया है ? अध्यक्ष महोदय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 में रायगढ़ जिले के सूखा क्षेत्र अन्तर्गत तहसील पुसौर, बरमकेला एवं सारंगढ़ के के सूखा प्रभावित सभी किसानों को राहत मद की राशि वितरित कर दी गई है। विधान सभा क्षेत्र सारंगढ़ अन्तर्गत सूखा प्रभावित तहसील सारंगढ़ के 24,609 किसानों को चिन्हांकित कर कुल 11,64,53,581 रूपये, बरमकेला के 3,712 कृषकों को चिन्हांकित कर कुल 2,50,50,427 रूपये राहत अनुदान राशि का वितरण किया गया है। कोई वितरण राशि शेष नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें कुछ पूछना है ?

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

<u>सिहावा विधान सभा क्षेत्र में अनुच्छेद 275 (1) के तहत आवंटित एवं व्यय राशि</u>

2. (*क्र. 1280) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत केन्द्र सरकार से छ.ग. राज्य को वर्ष 2015-16 से 31 दिसम्बर, 2018 तक किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) उल्लेखित वर्ष के दौरान सिहावा विधानसभा क्षेत्र में अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्राप्त राशि को किन-किन मदों में खर्च किया गया ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	प्राप्त राशि (लाख में)		
	राजस्व मद	पूंजी मद	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
2015-16	2409.40	9494.91	11904.31
2016-17	2715.57	7772.95	10488.52
2017-18	1756.02	9208.47	10964.49
2018-19 (31 दिसम्बर 2018 तक)	4187.495	6757.420	10944.915
योग	11068.485	33233.750	44302.235

(ख) जानकारी इस प्रकार है :—

वर्ष	प्राप्त राशि (लाख में)			व्यय राशि (लाख में)		
	राजस्व मद	पूंजी मद	योग	राजस्व मद	पूंजी मद	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015-16	Nil	282.50	282.50	Nil	82.50	82.50
2016-17	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2017-18	43.85	432.55	476.40	43.85	432.55	476.40

अशोधित/असंपादन के लिये नहीं।

2018-19	56.50	700.00	756.50	56.50	576.33	632.83
(31 दिस. 2018 तक)						
योग	100.35	1415.05	1515.40	100.35	1091.38	1191.73

डॉ0 लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रश्न किया था। उसकी जानकारी मुझे मिल गई है। लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि राजस्व मद एवं पूंजी मद से कहां-कहां और क्या-क्या कार्य हुए हैं ? इनकी जानकारी चाहती हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- ये यह आप प्रश्न कर रही हैं ?

डॉ0 लक्ष्मी ध्रुव :- जी ?

अध्यक्ष महोदय :- ये आप अपना प्रश्न कर रही हैं या उनका प्रश्न कर रही हैं ?

डॉ0 लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर मिल गया है। मैं उसके बाद यह पूछ रही हूँ कि राजस्व मद एवं पूंजी मद से कहां-कहां और क्या-क्या कार्य हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय :-चलिये, ठीक है। मंत्री जी।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 275)1) के तहत भारत सरकार से राशि आती है। उसमें राजस्व मद एवं पूंजीगत मद होता है। पूंजीगत मद में मुख्य रूप से निर्माण काम होते हैं।

डॉ0 लक्ष्मी ध्रुव :- सर, सिंहावा क्षेत्र का।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंहावा क्षेत्र में राजस्व मद में 2015-16 और 2016-17 में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। 2017-18 में 30 बालक और 30 बालिका कुल 60 विद्यार्थियों के लिए राशि खर्च की गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथरीडीह नगरी को प्रदाय किया गया है। वर्ष 2018-19 में 59 बालक एवं 60 बालिकाओं की कुल 119 विद्यार्थियों के लिए आवासीय एकल विद्यालय को 56 लाख 50 हजार रूपये प्रदान किए गए हैं। पूंजी मद में कन्या आश्रम कसरकसपुर भवन के मरम्मत हेतु 5 लाख, आदिवासी कन्या आश्रम सिंहावा के शौचालय चेम्बर सुधार में 01 लाख खर्च किया गया है। कन्या शिक्षा परिसर दुगली में काम किया गया है। कन्या परिसर दुगली में अधीक्षक आवास, गृह निर्माण के लिए खर्च किया गया है। कन्या शिक्षा परिसर दुगली में आहता के ऊंचीकरण का काम पूरा हो गया है । कन्या शिक्षा परिसर, दुगली में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया गया, उसमें 20 लाख खर्च हुए हैं, प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास परिषद में काम हुए हैं । माननीय सदस्य के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, मेरे पास उसकी पूरी लिस्ट है, मैं उनको जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, अलग से बता दीजिए ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 11904 करोड़ राजस्व मद और पूंजीगत व्यय में मिला, जबकि 2018-19 में 10944 करोड़ मिला, 2015-16 की तुलना में 2018519 में एक हजार करोड़ कम मिला, उसका क्या कारण है कि केन्द्र सरकार से 275 (1) में कम मिला ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 275 (1) के अंतर्गत जो पैसा मिलता है, वह भारत सरकार से मिलता है और भारत सरकार ने उतना आवंटन कम दिया ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जो राशि बढ़नी चाहिए, वह एक हजार करोड़ रूपये कम हो गई तो क्या 275 (1) में केन्द्र सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, आपने केन्द्र सरकार से बात की कि हमें एक हजार करोड़ रूपये कम क्यों दिया गया ? क्योंकि एक हजार करोड़ रूपये कम मिलने से निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं तो क्या आपने केन्द्र सरकार से उसके लिए प्रयास किया कि हमको बजट और ज्यादा मिले ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार से बराबर प्रयास किया जाता है, लेकिन वहां से आवंटन कम मिला ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ को 1 हजार करोड़ रूपये कम मिला है तो निर्माण कार्य भी प्रभावित होंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- ये विषय केन्द्र सरकार का है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि आपने केन्द्र सरकार से बात करके प्रयास किया कि एक हजार करोड़ रूपये कम क्यों मिले ?

अध्यक्ष महोदय :- केन्द्र सरकार ने पैसे नहीं दिये तो उसको क्या बताएंगे ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पर सरकार को प्रयास तो करना पड़ेगा कि हमको मिलना चाहिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम प्रयास करते हैं, केन्द्र सरकार से पैसा मांगते हैं, लेकिन वहां से आवंटन नहीं मिला इसलिए बजट कम हुआ है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो निर्माण कार्य हुए हैं, उसको मेन्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया है, दुगली की जो व्यवस्था है, उसकी हालत बहुत खराब है ।

अध्यक्ष महोदय :- अलग से लिखकर दे दीजिए, बात कर लेंगे ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी । धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बस्तर जिले में संचालित शालाएं

3. (*क्र. 1776) श्री बघेल लखेश्वर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर जिले के अंतर्गत 31 जनवरी, 2019 की स्थिति में कितने प्राथमिक शाला/माध्यमिक शाला/हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं ? विकासखण्डवार ब्यौरा उपलब्ध करावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बस्तर जिले के अंतर्गत 31 जनवरी 2019 की स्थिति में 1594 प्राथमिक शाला, 694 पूर्व माध्यमिक शाला, 151 हाईस्कूल एवं 136 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है. विकासखण्डवार ब्यौरा † संलग्न [1] परिशिष्ट पर दर्शित है.

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है, लेकिन मैं एक पूरक प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल में कितने पद रिक्त हैं और कितने पद भरे हुए हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले अंतर्गत जो पद हैं, उसमें प्राथमिक शाला में 5117 स्वीकृत पद में 3167 पद
भरे हुए हैं, 1950 पद रिक्त हैं । पूर्व माध्यमिक शाला में 3246 स्वीकृत पद
हैं, उसमें से 2333 पद भरे हुए हैं और 1073 पद रिक्त हैं। हाईस्कूल में 720 पद स्वीकृत हैं, 274 पद भरे हुए हैं और 446 पद रिक्त हैं, हायर सेकेण्डरी स्कूल 1958 पद स्वीकृत हैं, 1370 पद भरे हुए हैं और 588 पद रिक्त हैं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रिक्त पदों की भर्ती कब तक हो जायेगी ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 15 हजार शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं, इन रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति नियमानुसार पदोन्नति और सीधी भर्ती के माध्यम से हम लोग अतिशीघ्र करेंगे ।

जिला बस्तर में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से व्यवसायिक निर्माण

4. (*क्र. 1000) श्री मोहन मरकाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर जिले में शासकीय भूमि पर किन-किन बिल्डरों एवं कॉलोनाईजर्स द्वारा अवैध रूप से कब्जे कर कॉलोनी एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराया गया है ?

---

[1] परिशिष्ट "एक"

अशांकित/प्रकाशन के लिये नहीं

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : बस्तर जिले अंतर्गत किसी भी बिल्डर एवं कॉलोनाईजर द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर कॉलोनी या व्यावसायिक परिसर का निर्माण नहीं किया गया है. अतः जानकारी निरंक है.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से पूरे बस्तर संभाग की जानकारी जानना चाही थी, मगर इसमें बस्तर जिले का ही बताया गया है । हो सकता है कि लिपिकीय त्रुटि हुई होगी तो आपने उत्तर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या जानना चाहते हैं, पूछिए न ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सरकारी भूमि पर अवैध कालोनी से संबंधित था । उसमें जगदलपुर का बड़ा तालाब है, उसमें बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, पेपर में भी बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही थीं, जो तालाब को पाटकर अवैध कालोनी बनायी गयी है, उससे संबंधित था । मंत्री जी, उसमें कुछ हुआ है, आपने जगदलपुर में जांच करवाई है क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के मुताबिक कोई अवैध कालोनी का निर्माण नहीं हुआ है । आपने जो बताया है, मैं उसको दिखवा लूंगा । मैं अभी जगदलपुर गया था, वहां भी मैंने वहां के अधिकारियों से भी चर्चा की थी, वहां के जनप्रतिनिधि भी शामिल थे और वहां पब्लिक से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने वहां जगदलपुर के बारे में पूछा था, अगर कोई समस्या है तो बताईये । छोटी-मोटी जो बातें आई थी तो वहीं कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिया था । अगर कोई भी आपकी जानकारी में है, तालाब का बता रहे हैं, मैं उसे दिखवा लूंगा ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दलपत सागर बहुत पुराना राजा महाराजाओं के समय का है । वहां पर लोगों की बहुत शिकायतें हैं कि इसे पाटकर अवैध कालोनी बनाया गया है । मेंरा प्रश्न से संबंधित वही था...।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे संज्ञान में लाया है, मैं उसको दिखवा लूंगा ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन था कि उसको दिखवाकर जांच करा लेंगें । उसमें बस्तर की एक पहचान है । इसलिए मेरा निवेदन था ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- बिल्कुल, जांच करवा लेंगे । कोई भी गलत पाया गया, दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी ।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, दलपत सागर जगदलपुर की सबसे बड़ी पहचान है । संभवत: आदरणीय मंत्री महोदय को गलत जानकारी मिली है । उसका लगभग एक चौथाई हिस्सा अतिक्रमण कर लिया गया है । बड़ी-बड़ी कॉलोनी बन गई है, पिछले पांच-दस साल से वहां के लोग इसके लिए एजिटेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद उन अवैध कालोनियों को हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है, धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है । दलपत सागर जगलपुर की पहचान है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि दलपत सागर का पुराना खसरा बी-1 है, वह निकलवा लीजिए, आज जो वहां पर है, उसको निकलवा लीजिए, लगभग एक चौथाई हिस्सा अतिक्रमण हो चुका है । उसको दूर करने के लिए क्या कोई कार्यवाही शासन करेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ कि दलपत सागर में अब तक हुये अतिक्रमण की पूरी जांच करा लें और अगले विधान सभा सत्र के दौरान उसे रखिये ।

श्री मोहन मरकाम :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मेरा भी इशारा उसी ओर था माननीय मंत्री जी ।

श्री अजीत जोगी :- हमको धन्यवाद नहीं दोगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आपने तो मुझे भी धन्यवाद नहीं दिये । जोगी जी को तो मुझे धन्यवाद देना चाहिये ।

श्री अजीत जोगी :- वही तो ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आपको मैं धन्यवाद दे देता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह ।

<u>बिलासपुर संभाग में संचालित मध्याह्न भोजन</u>

5. (*क्र. 1816) श्री धर्मजीत सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने शासकीय/अशासकीय/निजी शालाओं में मध्याह्न भोजन संचालित हैं ? (ख) कंडिका "क" योजना के तहत् बच्चों को पौष्टिक आहार (भोजन) दिए जाने के तहत् क्या-क्या मापदण्ड तय किए गए हैं ? इस मद में वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 में कितना खर्च किया गया?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) मध्याह्न भोजन योजना शासकीय शालाओं एव अनुदान प्राप्त शालाओं/मदरसों में संचालित होता है. निजी शालाओं में मध्याह्न भोजन योजना संचालित करने का प्रावधान नहीं है. बिलासपुर संभाग में 10555 शासकीय शालाओं एवं 153 अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला/मदरसा में मध्याह्न भोजन योजना संचालित है. (ख) कंडिका च्चकज्ज्योजना के तहत् बच्चों को पौष्टिक (भोजन) दिए जाने के मापदण्ड †† संलग्न परिशिष्ट में है मध्याह्न भोजन योजना मद में वर्ष वार खर्च निम्नानुसार है :—

2016-17 में रु. 1,14,23,43,314

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

2017-18 में रु. 1,06,10,84,919

2018-19 में रु. 92,81,97,331

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर संभाग के शासकीय और अशासकीय निजी शालाओं के मध्यान्ह भोजन के संबंध में चर्चा की है । माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि शासकीय और अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वर्ष 2016-2017 में 1 करोड़ है कि 114 करोड़ है, जो भी है, वर्ष 2017-2018 में, उसके बाद कम हो गया, वर्ष 2018-2019 पर बच्चों के ऊपर जो खर्च आप कर रहे थे, वह और भी कम हो गया । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था सरकार की तरफ से है, शाला त्यागी बच्चों को भी रोकने की व्यवस्था है, शाला में प्रवेश कराने के लिए भी उत्सव मनाये जाते हैं, यह आंकडा जो खर्च का है, घटते क्रम में आ गया है, वर्ष 2016-2017, वर्ष 2017-2018 में जो पहले था, उसके दूसरे साल कम हो गया, अभी और कम हो गया, इसका कारण क्या है, यह खर्चा क्यों कम हुआ है, बच्चे कम है या आपने खाने में कटौती कर दी है, यह जरा बताईये ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि आजकल हर पैरेंटस अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजना चाहते हैं, प्रायवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं । बहुत से परैंटस के बच्चे आसपास में शहरी क्षेत्रों में अच्छे स्कूलों में भेजना चाहते हैं, इसलिए बच्चों की संख्या कम हुई है । इसलिए आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, जब मैं गांव में जाता हूँ तो भैंसा चराते बच्चे दिखते हैं । अंग्रेजी स्कूल हर जगह तो है नहीं । कोई जंगल में रहने वाला, दूरस्थ अंचल में रहने वाला बच्चा और वहां की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ायें । थोड़ा बहुत जरूर हो सकता है, शहर के किनारे, आप इसकी जरा जांच करा लीजिए कि वहां पर बच्चों की संख्या तीन साल में कितनी-कितनी थी, कम्पेयर लिस्ट मंगवा लीजिए । मंत्री जी, अच्छा यह बता दीजिए कि आपने उसमें आपने बच्चों को 400 कैलोरी और 700 कैलोरी दिया है तो उसमें आप खाने को क्या-क्या देते हैं और उस खाने की गुणवत्ता की जांच कौन करता है? खाना कौन बनाता है, कोई एन.जी.ओ. बनाता है क्या? ये मैं बिलासपुर जिले की बात कह रहा हूं। मैं इसे बहुत ज्यादा तूल देने के पक्ष में भी नहीं हूं, मेरी जानने की मंशा ये है कि बच्चों को वहां के स्कूल प्रबंधन के लोग पनियर दाल देते हैं और भटे की सब्जी बनाते हैं। वहां का मीनू फिक्स है- चावल, पनियर दाल, एक किलो में 200 बच्चों को खिला दो और भटे की सब्जी। तो आपका मीनू क्या है और इस तरीके से जो खिलाया जा रहा है उसकी जांच का क्या नियम है

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

और आप जांच कराते हैं या नहीं और कराते हैं तो कौन विभाग करता है? पूरा मीनू मत पढ़िये, मीनू फिक्स है या नहीं?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मीनू फिक्स है और जांच वहां के विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वहां के प्राचार्य ये सब वहां पर जांच कराते हैं। इसकी सतत जांच चलती रहती है। आपने जो कुकिंग के लिए पूछा है तो वहां खाना बनाने के लिए रसोईया रहते हैं, उसमें एन.जी.ओ. काम करते हैं उसमें चावल 100 ग्राम प्रति बच्चा। एन.जी.ओ. के द्वारा संचालित करते हैं और उसमें रसोईया खाना बनाते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- रसोईया शिक्षा विभाग नियुक्त करता है या एन.जी.ओ. को खाना बनाने का ठेका दे दिये हैं?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रसोईया की नियुक्ति एन.जी.ओ. के माध्यम से होती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये एन.जी.ओ. का गोरखधंधा पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त ढंग से चल रहा है। हर विभग चाहे वह पंचायत विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो न जाने कितने किस्म के एन.जी.ओ. इस पूरे प्रदेश में कहां-कहां से आकर बैठे हुए हैं और वे पूरे सरकार के मद का एन.जी.ओ. के नाम से दुरूपयोग करते हैं। मैं आपसे अभी तो शिक्षा विभाग के बारे में ही पूछ सकता हूं कि शिक्षा विभाग के जितने एन.जी.ओस. काम कर रहे हैं उनके काम की रेंडम जांच करा लीजिए। पूरे प्रदेश की बात नहीं कह रहा हूं, आप बिलासपुर जिले, मुंगेली जिले की ही करा लीजिए। यह आपके विवेक पर छोड़ता हूं मंत्री जी, जहां पर आपको जांच कराना हो वह जांच जरूर करा लीजिएगा क्योंकि बच्चों के खाने तक में डकैती हो रही है। उनको जो खाना मिलना चाहिए वह मिलता नहीं। मैं एक आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूं, इसमें आप जांच की घोषणा कर दीजिए और जहां आपकी इच्छा हो वहां करा लीजिए। आप स्वतंत्र हैं। एन.जी.ओ. की जांच होना चाहिए कि वह ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बच्चों के खाने में डाका क्यों मार रहा है? दूसरी चीज- मैंने सदन में कई बार कहा था कि कई दूरस्थ वनांचलों में स्कूल नहीं हैं। वहां प्राईवेट गांव वाले लोग स्कूल चला रहे हैं। वह गरीब बच्चियों के लिए हॉस्टल भी रखे हैं तो उनको कोई सरकारी मद आप देते नहीं हैं। मैं उसके लिए आपको बोलूंगा भी नहीं लेकिन इतना तो सरकार और शिक्षा विभाग कर सकता है कि आप कलेक्टर मुंगेली को यह निर्देश कर दें कि गांव में जो बच्चे लोग रहते हैं, कहीं 70 हैं, कहीं 90 है वह भी दो-तीन जगह है ज्यादा नहीं है उनके खर्च का जो महीने का चावल आता है उसको आप उन्हें सरकारी दर पर उपलब्ध करा देंगे तो उन बेचारों को थोड़ी राहत हो जायेगी। मैं तो वहां उनको कंबल भी देता हूं, नगदी पैसा भी देता हूं तो आप भी शिक्षा मंत्री हैं वहां वे लोग शिक्षा ही ले रहे हैं, आपके ही सरकार के प्रमाण पत्र को लेते हैं तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उन हॉस्टल के बच्चों को चावल देने के लिए आप कलेक्टर बिलासपुर को निर्देशित करेंगे क्या और जहां-जहां एन.जी.ओ. कार्य कर रहे हैं उसमें से जहां आपकी इच्छा हो उसकी जांच कराकर मुझे अवगत करायेंगे क्या?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य का कहना है कि जहां - जहां एन.जी.ओ. काम कर रहे हैं, जहां रसोईये काम कर रहे हैं उसकी जांच भी करायेंगे और उनको गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन मिले इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे। और गरीबों के लोरमी विधानसभा क्षेत्र में जहां भी हॉस्टल हैं वहां यदि उनको चावल नहीं मिल रहा है तो कलेक्टर को मैं आज ही निर्देश करूंगा कि ऐसे छात्रावास जहां बच्चे पढ़ते हैं उनको उसकी सुविधा नहीं मिल रही है उनके चावल की व्यवस्था करें इस कार्य को हम सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद मंत्री जी, इस व्यवस्था के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी धन्यवाद।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रायपुर शहर में पिछले दस वर्षों से अधिक समय से पहले पहल नाम की एक संस्था शासकीय शालाओं में मध्यान भोजन दे रही है जबकि नियमों के तहत इसे महिला स्व सहायता समूह को देना चाहिए। क्या पहल का अनुबंध निरस्त कर क्या महिला स्व सहायता समूह को ये काम देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- इसमें विचार कर सकते हैं। आपका प्रश्न इससे उद्घृत नहीं हो रहा है।

रायपुर बिलासपुर मार्ग के लिए भूमि का अधिग्रहण

6. (*क्र. 1633) श्री शिवरतन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर, बिलासपुर राष्ट्रीय राजामर्ग के निर्माण हेतु (वर्तमान में कार्य जारी हैं) शासन द्वारा सिमगा पटवारी हल्के के कितने व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की गयी ? (ख) उक्त मार्ग निर्माण हेतु सिमगा पटवारी हल्का क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण कब किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु सिमगा तहसील के सिमगा पटवारी हल्के के ग्राम सिमगा में कुल 207 भूमिस्वामियों की भूमि अधिग्रहित की गई है. (ख) उक्त मार्ग निर्माण हेतु सिमगा पटवारी हल्का क्षेत्र में दिनांक 11-10-2012, 12-05-2017, 22-09-2018, 26-11-2018 एवं 05-12-2018 को भूमि का अधिग्रहण किया गया.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न थोड़ा सा संशोधित हो गया है। फिर भी मैं पूरक प्रश्न कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 207 भूमि स्वामियों की भूमि अधिग्रहित

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2012, 2017 और 2018 में दो बार की गई है। मंत्री जी मेरे को पहला उत्तर ये दें कि 2012 में भूमि अर्जन हो गया था। 2017, 2018 में भूमि अर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा जो 2017, 2018 में भूमि अर्जन की गई है, क्या रोड के ले आउट ड्राईंग डिजाईन में परिवर्तन हुआ, इसलिए आवश्यकता पड़ी। पी.डब्ल्यू.डी ने अधिग्रहण का प्रस्ताव आपके पास कब भेजा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी की जानकारी मैं उनसे लेकर दूंगा। आपने पूछा है कि रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु वर्तमान में कार्य जारी है। शासन द्वारा सिमगा हल्का पटवारी के कितने व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की गई है। आपने ये जानकारी मांगी है। सड़क निर्माण हेतु सिमगा पटवारी हल्का क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण कब किया गया। मैंने कब किया गया कि जानकारी दे दी है। इसके साथ साथ कितने लोगों की है, ये जानकारी मैंने दी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मैंने जो प्रश्न में लिखा है, उसकी जानकारी आपने दे दी है। मैंने आपसे पूछा कि पी.डब्ल्यू.डी विभाग ने आपने 2017, 2018 में भूमि अधिग्रहित की है। इसके अधिग्रहण का प्रस्ताव कब भेजा ।

अध्यक्ष महोदय :- पी.डब्ल्यू.डी का जवाब राजस्व मंत्री जी कैसे देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण करने के लिये प्रस्ताव पी.डब्ल्यू.डी विभाग ने ड्राईंग डिजाईन के हिसाब से भेजा होगा। पी.डब्ल्यू.डी विभाग ने आपको प्रस्ताव कब भेजा इसकी जानकारी दे दें।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने बताया कि 2012 में और बाद में दोबारा अर्जन किया गया उसका जिन भूमि स्वामियों का प्रकरण भू अर्जन में छूट गये थे उनका पुन: प्रकरण तैयार कर भू अर्जन किया गया है। मैं पी.डब्ल्यू.डी की जानकारी लेकर मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि रोड का निर्माण पी.डब्ल्यू.डी नहीं करता, वह आपका नेशनल हाईवे रोड है। नेशनल हाईवे रोड का निर्माण पी.डब्ल्यू.डी ने नहीं किया है। उसकी जानकारी देकर मैं आपको अलग से दे दूंगा। जो अर्जन की गई, जो मुआवजा राशि है और जो भी जानकारी है वह मैं आपको देने के लिये तैयार हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात मंत्री जी ने कहा कि नेशनल हाईवे रोड है उसका पी.डब्ल्यू.डी ने निर्माण नहीं किया है। नेशनल हाईवे रोड की नोडल एजेंसी पी.डब्ल्यू.डी ही रहती है। जो भूमि अधिग्रहित की गई है, उसका प्रस्ताव निश्चित रूप से पी.डब्ल्यू.डी के अधिकारियों ने ही भेजा होगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग का काम यहां देखते हैं। वह प्रस्ताव कब आया ये मुझे उपलब्ध करा दें। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी है, मैं प्रश्न पूछने का कारण बता देता हूं। जानबूझ कर एक पैच को छोड़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया गया और उस पैच को बाद में छोटे छोटे तुकड़ों में 400 स्क्वेयरमीटर में बांटा गया। जिसका एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना था, उसका षडयंत्रपूर्वक पी.डब्ल्यू.डी, राजस्व विभाग और एक भू माफिया, इन लोगों ने मिल करके उसको छोटे छोटे तुकड़ों में बांटा। जिसमें दस करोड़ का मुआवजा बनना था, उसमें एक सौ दस करोड़ रूपये का मुआवजा लिया है। एक तो आप मेरे को ये उपलब्ध करा दें कि आपको प्रस्ताव कब आया। दूसरा ये 2017, 2018 में आपने भूमि का जो अधिग्रहण किया है। ये जो भमि अधिग्रहित की गई है, इसका इस बीच में कितने बार खाते का विभाजन हुआ। एक एकड़ जमीन पांच लोगों के नाम पर लिख दी गई, ये कितने बार विभाजन हुआ इसकी जानकारी मुझे उपलब्ध करा दें।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, विस्तृत प्रश्न हैं, आप इनको लिखित में उत्तर दे दीजियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लिखित में उत्तर मेरे को कब तक उपलब्ध करा देंगे। ये मुझे बता देंगे। दूसरा इसमें किस किस व्यक्ति के भूमि का विभाजन किसके किसके नाम पर हुआ। पंजीयन विभाग आपके पास ही है और उसका पंजीयन कब हुआ। ये नोट कर लें और मेरे को कब तक उपलब्ध करा देंगे ये बता दें?

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वह आपको जल्द उपलब्ध करवा देंगे। जल्द ही..।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्द का मतलब कोई तारीख समय-सीमा ?

अध्यक्ष महोदय :- अब वे उसकी सीमा क्या बतायेंगे?

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जल्द ही उपलब्ध करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो सामान्य चीजें हैं, माननीय मंत्री जी इसको तो एकाध-दो दिन में उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर बता रहा हूँ कि भूमि अधिग्रहण का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया। जो आपकी बात पी.डब्ल्यू.डी. की है, नोडल एजेंसी कोई भी हो, नेशनल हाईवे रोड है। नेशनल हाईवे ने उसका निर्माण किया है, उसकी एन.एच. आई. और दो डिपार्टमेंट अलग-अलग है। टू लेन के लिए अलग है और 4 लेन के लिए अलग है। तो जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, आप जो जानकारी चाहते हैं, मैं उसको उपलब्ध करवा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है। ये आपको पता चल जाएगा कि किसने जमीन, कितना टुकड़ा किया? क्यों किया? वह पूरी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- वे उत्तर दे रहे हैं।माननीय बृहस्पत सिंह।

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप जो उपलब्ध करवायेंगे। जो भूमि अधिग्रहित की गई है। उसका कितने बार बंटवारा हुआ, ये तो बता सकते हैं। किसके-किसके नाम से हुआ था, वह तो आपके विभाग की चीज है।

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं बता दूंगा, बोल तो रहा हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, 100 करोड़ से ऊपर की गडबड़ी है।

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिये। माननीय शर्मा जी, ये भूमि का अधिग्रहण कब हुआ ये आपको मालूम है। ये पिछली सरकार में हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, ठीक है।

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, और जिसने भी किया है, जो भी अधिकारी हैं, वह सामने आ जाएंगे। सरकार आपकी थी। जब अधिग्रहण हुआ है..।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, ये सरकार भी हमारी है।

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो बोल रहे हैं कि सरकार आपकी थी।

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार भी हमारी सरकार है।

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं। सरकार सबकी है।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप हमारे मंत्री नहीं हैं?

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार सबकी है।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस शब्द में बड़ी आपत्ति है। सरकार आपकी थी, ऐसा बोल रहे हैं तो ये सरकार हमारी नहीं है क्या ? मुख्यमंत्री है, मंत्री हैं तो सबके हैं, पूरे प्रदेश के हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार उसी प्रकार का शब्द आया और आप भी उसी बात को बोल रहे हैं। आप बोल दीजिए कि ये सरकार हमारी नहीं है तो हम बोल देंगे कि ये सरकार हमारी नहीं है।

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शर्मा जी, नहीं-नहीं। एक मिनट। सरकार तो पूरे छत्तीसगढ़ की है। मैं वह नहीं बोल रहा हूँ।

श्री अरूण वोरा :-माननीय शर्मा जी, आप ऐसा भी भाव बिल्कुल 5 सालों तक रखिए।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय,हां-हां, 5 साल रहेगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पिछले सदन में भी थे। पिछले सदन में मैं भी था। इस चीज की जानकारी आपको पहले भी ले लेनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आपको मैं पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा और जिसने भी गलत किया होगा, वह सामने आ जाएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सरकार के पिरयड का भी है तो भी हम बोल रहे हैं कि इसकी पूरी जांच कराकर, दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करें, हम ये चाहते हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां तो मैं बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :-वह हो जाएगा। बात हो गई। आप उसको अनावश्यक खिंच रहे हैं। श्री कुंवर सिंह निषाद।

श्री जयसिंह अग्रवाल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको बोल रहा हूँ।

<u>जिला बालोद में शालाओं के संधारण हेतु प्राप्त राशि</u>

7. (*क्र. 1820) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिला अंतर्गत वर्ष 2017-18 व 2018-19 में शासकीय शालाओं की मरम्मत एवं संधारण के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) वर्तमान में संबंधित शालाओं में कितनी राशि शेष हैं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बालोद जिला अंतर्गत शासकीय शालाओं की मरम्मत एवं संधारण के लिये वर्ष 2017-18 में राशि रु. 56.85 लाख एवं वर्ष 2018-19 में राशि रु. 68.29 लाख प्राप्त हुआ है. (ख) वर्तमान में संबंधित शालाओं में शेष राशि की जानकारी † संलग्न [2] परिशिष्ट पर दर्शित है.

श्री कुंवर सिंह निषाद:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे शालावार जानकारी परिशिष्ट के माध्यम से प्राप्त हो गई है। लेकिन मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से ये निवेदन है कि वर्ष 2018-2019 में 68.29 लाख रुपये की जो राशि शेष बची हुई है। उस राशि से मरम्मत एवं संधारण का कार्य कब से प्रारंभ किया जाएगा, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-2019 में 68.29 लाख रुपये जो प्राप्त हुआ है और वह भी शेष राशि है। इसको जल्द ही आरंभ कर दिया जायेगा। ये पैसा आपके जिले में हैं, इसको जल्द ही आरंभ कर दिया जायेगा।

---

[2] परिशिष्ट "तीन"

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपको कुछ और पूछना है, आप पूछिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न यह है कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत मेरे गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र में 6 स्कूल प्रधान पाठक कक्ष के अतिरिक्त कमरे का निर्माण हुआ है ? जिसमें कोसा, खपरी, मासूल, भंटगांव, लिमोरा, बम्हनी में अतिरिक्त कमरे का निर्माण हुआ है। लेकिन ठेकेदार प्रधान पाठक को धमकी दे रहे हैं। अभी कोसा स्कूल से फोन आया था कि प्रधान पाठक ये बोल रहे हैं कि ठेकेदार धमकी दे रहे हैं यदि मेरा पेमेण्ट नहीं करवायेंगे तो मैं कल से स्कूल में ताला लगवा दूंगा। इन 6 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ है। इसका जो पेमेण्ट बचा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र उसका पेमेण्ट करवा दें ताकि हमारे जो शिक्षक, प्रधान पाठक हैं उनको ठेकेदार के द्वारा धमकी न दी जावे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री दीपक बैज। हो गया।

श्री कुंवर सिंह निषाद:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है। मैं माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे यहां गुण्डरदेही विधान सभा में भवनविहीन 9 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हो रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय हायर सेकेण्डरी कांदुल और शासकीय हाईस्कूल गुण्डरदेही, मेरे विधान सभा क्षेत्र का गुण्डरदेही हृदय स्थल है जहां भवनविहीन हायर सेकेण्डरी स्कूल की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। माध्यमिक कक्षा में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल..।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक कक्षा में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल जो संचालित हो रही हैं, वह भवनविहीन हैं। जहां प्राथमिक स्तर के स्कूल में हाईस्कूल की कक्षाएं संचालित हो रही हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहगा हूँ कि हाईस्कूल कांदुल और हाईस्कूल गुण्डरदेही का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ करवायेंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कौन-कौन सा बतायें, गुण्डरदेही और ?

श्री कुंवर सिंह निषाद:- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कान्दुल और शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गुण्डरदेही ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भवन सेंक्शन हैं ? काम शुरू कराना है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद:- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। अभी बजट में काम स्वीकृत कराना है।

अध्यक्ष महोदय :- आप जल्दी करवा दें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जल्दी काम शुरू करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री दीपक बैज। हो गया।

श्री कुंवर सिंह निषाद:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है ये जनभावना का है।

अध्यक्ष महोदय :- यहां जन भावना को अभी..। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय हाईस्कूल भंडेरा के लिये तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने जन-स्वराज माध्यम से घोषणा की थी कि भंडेरा में विगत वर्ष से हायर सेकेण्डरी की कक्षायें प्रारंभ की जाये, उसके तहत डी.ओ. और बी.ई.ओ. के निर्देशन में स्कूल की कक्षायें प्रारंभ हो गई, 11वीं के बच्चे विज्ञान और आर्ट संकाय लेकर पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उनको शासन स्तर पर कोई आदेश नहीं मिला है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अधर में है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसका आदेश कब तक पारित कर रहे हैं?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को जानकारी नहीं है, किन्तु इसको अभी दिखवा लूंगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>छ.ग. प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल</u>

8. (*क्र. 1804) श्री दीपक बैज : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छ.ग. प्रदेश में कुल कितने मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल संचालित हैं ? जिलेवार ब्यौरा देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : छ.ग. प्रदेश में कुल 72 मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल संचालित है. जिलेवार ब्यौरा परिशिष्ट पर †† संलग्न[3] है.

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. पब्लिक सकूल के संबंध में प्रश्न किया था। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि छ.ग. प्रदेश में कुल 72 मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल संचालित है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उक्त स्कूलों के संबंध में डी.ए.व्ही. के साथ अनुबंध कब हुआ ? उसमें क्या प्रावधान है तथा उक्त स्कूलों में शासन द्वारा क्या अंशदान दिया जा रहा है और दिया जा रहा है तो कितना अंशदान दिया जा रहा है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. माडल स्कूल का संचालन डी.ए.व्ही. कान्वेन्ट कमेटी नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है, 8 मार्च 2016 को इसका अनुबंध किया गया है जिसके तहत 59 महाविद्यालयों को प्राइवेट पार्टनरशिप, 13 महाविद्यालयों को शासकीय अनुदान द्वारा उसको उसमें दिया जा रहा है।

---

[3] † परिशिष्ट - 'चार'

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उनको सरकार शासकीय चला रही है, कौन-कौन से 13 स्कूल हैं और उसका आधार क्या है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय नहीं चला रही है, यह डी.ए.व्ही. के संचालन में चल रहा है और पूरा का पूरा का वही चल रहा है। उसमें जो शर्तें हम लोगों ने दी थी कि उसमे 25 प्रतिशत बच्चे राईट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश लेंगे और 7 प्रतिशत बच्चों का फ्री एजुकेशन डी.ए.व्ही. संस्था करेगी। उसकी पूरी फीस डी.ए.व्ही. संस्था वहन करेगी। उसमें जो प्रवेश बाकी रहेंगे, उनको प्राथमिक में 7000 रुपया प्रति स्कूल और 11400 रुपया प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति बच्चों को दी जायेगी।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे बस्तर संभाग में कितने ऐसे डी.ए.व्ही. स्कूल हैं जो सरकार चला रही है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर संभाग में दो स्कूल हैं, एक बलरामपुर, एक बस्तर का है। जिस समय ये अनुबंध हो रहा था, उस समय चूंकि वहां भवन नहीं बने थे, इसलिए सरकार ने कहा कि जब तक भवन बनेंगे, उसको सरकार चलायेगी और जैसे ही भवन बन जायेंगे तो फिर ये अनुबंध के अनुसार फिर सबको डी.ए.व्ही. को हस्तांतरित कर दिया जायेगा और पूरा संचालन डी.ए.व्ही. के उसमें किया जायेगा और 30 साल के लिए इसका अनुबंध हुआ है ।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है कि पिछले समय भी सरकार का उत्तर आया कि बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोन्टा की कुछ माडल स्कूलों को सरकार चला रही है, माननीय मंत्री जी का उत्तर तो नहीं आया कि उसमें सरकार चला रही है, माननीय मंत्री जी बताईये कि इसकी क्या सत्यता है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 74 स्कूल हैं, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया कि 2 स्कूलों में भवन नहीं बने थे, इसलिए उसको सरकार चला रही थी और 59 स्कूल प्राइवेट पार्टनरशिप में डी.ए.व्ही. चला रही है, 13 स्कूलों में भी डी.ए.व्ही. चला रही है लेकिन उसमें शिक्षकों का वेतन सरकार दे रही है।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका कोई आधार तो होगा, नकसलाईड एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है या गरीब लोग बहुत ज्यादा है, कुछ तो आधार होगा कि उन माडल डी.ए.व्ही. स्कूलों में सरकार अंशदान दे रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय बैज जी, आपको एक प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा दो पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार हैं। या तो आप उसको समझिये और उतना ही महत्वपूर्ण कोई सवाल हो तो उसको दो से ज्यादा तीन कर सकते हैं, आप लगातार मंत्री जी से 5 प्रश्न पूछेंगे तो ये संभव नहीं है।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट प्रश्न कर रहा हूं, मेरे क्षेत्र में दरभा और

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बस्तानार ऐसा क्षेत्र है जो पूर्णत: नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है और वहां पर आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, पहली चीज यह है कि क्या सरकार डी.ए.व्ही. के माध्यम से ही उस स्कूल को चलायेगी और दूसरा चूंकि डी.ए. व्ही. के माध्यम से पिछले समय 07 महीने से तन्ख्वाह नहीं मिली थी तो क्या वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को पूरी तन्ख्वाह का भुगतान हुआ है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह अनुबंध 30 साल के लिये हो चुका है तो अभी तो सरकार उसको नहीं चलायेगी और जहां तक तन्ख्वाह की बात हुई तो कल ही वहां पर तन्ख्वाह मिल गयी है ।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि 30 साल के लिये अनुबंध हो गया है यदि 30 साल के अंदर में यदि सरकार चाहेगी तो क्या उस अनुबंध में परिवर्तन नहीं हो सकता है ? क्या डी.ए. व्ही. 30 साल तक चलती ही रहेगी ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुबंध हुआ है वह किस प्रकार से चल रहा है उसका मूल्यांकन करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- समीक्षा करते रहिये, अनुबंध हो गया है तो ऐसा नहीं है कि वे कुछ भी करें और आप उसको छू देते रहें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जी, समीक्षा करते रहेंगे ।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो ब्लॉक का माननीय मंत्री जी घोषणा तो कर दें । माननीय मंत्री जी, आप क्या विचार कर रहे हैं उसको सरकार चलायेगी कि नहीं चलायेगी यह बता दें ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तात्कालीन केंद्र सरकार द्वारा मॉडल स्कूलों को गरीब बच्चों के लिये बनाया गया था लेकिन पिछली सरकार ने इसको डी.ए. व्ही. को दे दिया तो कहीं न कहीं इसमें गरीब बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे जो 74 मॉडल स्कूल हैं तो क्या सरकार इसका फिर से संचालन करेगी क्योंकि केंद्र सरकार का कान्सेप्ट गरीब बच्चों को फायदा देने का था इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उसको फिर से संचालित करेगी ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डी.ए.व्ही. स्कूल यानी जो मॉडल स्कूल खोला गया था । वह पूरा केंद्र सरकार द्वारा पोषित था, चूंकि केंद्र सरकार ने उसमें पैसा देना बंद कर दिया इसलिये पिछली सरकार को उसमें एम.ओ.यू. करना पड़ा । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि एकदम आदिवासी क्षेत्र है, जो एकदम पिछड़ा क्षेत्र है, जहां दिक्कत है तो सरकार वहां के लिये तो विचार कर सकती है न । कम से कम सरकार

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसको चलाये, उस पर सरकार विचार कर सकती है । माननीय मंत्री जी, कम से कम उदारता बरतिये । जहां एकदम पिछड़ा क्षेत्र है, जहां दिक्कत है उसको सरकार चलाये ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रूपया दिया है । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फीस इतनी ज्यादा है । वहां दिक्कतें आ रही हैं, न तो वहां बस की सुविधा है और न ही किसी चीज की सुविधा है । फीस ज्यादा ले रहे हैं, वहां पर प्राईवेट स्कूल से ज्यादा फीस ले रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं ।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बहुत ज्यादा फीस है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि सरकार उस पर कुछ विचार कर ले ।

श्री मोहन मरकाम :- गरीब बच्चों को उसका लाभ ही नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, ये जितने डी.ए.व्ही. स्कूल हैं । अपने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर लें और जहां-जहां कुछ कमी है वहां उसको पूरा करें । श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर ।

<u>जिला महासमुंद में आवासीय डायवर्सन के प्राप्त आवेदन</u>

9. (*क्र. 1417) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक कितने आवेदन पत्र आवासीय भूमि परिवर्तन (आवासीय एवं औद्योगिक) डायवर्सन के लिए तहसील, अनुविभगीय अधिकारी, जिला कलेक्टर के न्यायालय में प्राप्त हुए ? (ख) प्रश्नांश "क" में प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदनों में भूमि परिवर्तन आदेश पारित किये गये ? (ग) कितने आवेदन वर्तमान में लंबित है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) महासमुंद जिले में वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	न्यायालय का नाम	प्राप्त आवेदन		
		आवासीय	औद्योगिक	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	न्यायालय कलेक्टर	05	159	164

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

2.	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	1461	—	1461
3.	न्यायालय तहसीलदार	812	—	812
	योग	2278	159	2437

(ख) प्रश्नांश "क" में कुल प्राप्त आवेदन 2437 में से 1946 आवेदनों में भूमि परिवर्तन आदेश पारित किये गये हैं. (ग) भूमि परिवर्तन के कुल 421 आवेदन लंबित है.

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय राजस्व मंत्री जी से था कि महासमुंद जिले में वर्ष 2014 से 2018 तक कितने आवेदन पत्र आवासीय भूमि परिवर्तन डॉयवर्सन के लिये तहसील अनुविभागीय अधिकारी जिला कलेक्टर के न्यायालय में प्राप्त हुए हैं ? जिसमें एग्जाई करके मुझे जवाब दिया गया है तो माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि 149 प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में आदेश जारी किये हैं और कितने लंबित हैं?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉयवर्सन के लंबित प्रकरण की जानकारी निम्नानुसार है । न्यायालय कलेक्टर में आवासीय का 1, औद्योगिक 36 कुल 37 प्रकरण लंबित हैं । अनुविभागीय अधिकारी महासमुंद में आवासीय के 150 प्रकरण लंबित हैं, आप जो 149 प्रकरण बोल रहे थे वह 150 प्रकरण लंबित हैं। अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा में आवासीय के 6 प्रकरण लंबित हैं । अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा में आवासीय के 39 प्रकरण लंबित हैं । अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली में आवासीय के 27 प्रकरण लंबित हैं । तहसीलदार सरायपाली में आवासीय के 15 प्रकरण लंबित हैं, तहसीलदार बागबाहरा में आवासीय के 3 प्रकरण लंबित हैं, तहसीलदार बसना में आवासीय के 38 प्रकरण लंबित हैं, महासमुंद में आवासीय के 57 प्रकरण लंबित हैं, पिथौरा में आवासीय के 5 प्रकरण लंबित हैं, नायब तहसीलदार भंवरपुर में आवासीय के 31 प्रकरण लंबित हैं, नायब तहसीलदार पिथौरा में आवासीय के 13 प्रकरण लंबित हैं इस प्रकार आवासीय के 385 एवं औद्योगिक के 36 कुल 421 प्रकरण लंबित हैं केवल 149 नहीं हैं ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आम आदमी ले-देकर भूमि खरीद लेता है । जब उसका घर बनाने की बात आती है तो वह बैंक के चक्कर लगाते रहता है और बैंक में इस कारण कर्जा नहीं मिलता क्योंकि उसका डॉयवर्सन नहीं रहता और केवल दलाल लोगों के चक्कर में यह डॉयवर्सन का काम रूका हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी सजग हैं, मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अगली बार इसकी पुनरावृत्ति न हो । जैसे ही डायवर्सन के आवेदन प्राप्त होते हैं । 15-20 दिन जैसा भी उसकी निश्चित समयावधि है, उसके अंतर्गत उन्हें निराकृत करें ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, पूरा विस्तार से चाहें तो मैं जानकारी दे सकता हूं । जो भी प्रकरण लंबित हैं, हम लोग जल्दी से जल्दी निराकृत कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- उनका आशय यह है कि समयावधि में निराकृत हो जाए, इस बात के निर्देश आप दे दीजिएगा ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- बिल्कुल देंगे कि जल्दी से जल्दी निराकृत हो जाए।

<u>जिला बिलासपुर में प्राथ., पूर्व मा., हाई, हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या</u>

10. (*क्र. 1545) श्री शैलेश पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई, हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित हैं ? (ख) स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पद की जानकारी विषयवार देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बिलासपुर जिले में 1659 प्राथमिक शाला, 755 माध्यमिक, 144 हाईस्कूल, 141 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं. (ख) स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पद की विषयवार जानकारी [4]† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है.

श्री शैलेश पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बिलासपुर जिले में पिछले तीन वर्षों में कितने स्कूल बंद हुए हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि शहरों में लगातार सरकारी स्कूलों में घटती हुई छात्र संख्या को बढ़ाने के लिए शासन की क्या योजना है और हम क्या प्रयास कर रहे हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन की योजना तो यह है कि छात्र बढ़ें । लेकिन चूंकि सभी पालक चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ें इसलिए प्रायवेट स्कूलों की तरफ उनका ध्यान रहता है । इसलिए सरकारी स्कूलों में संख्या कम दिखती है । इस बात का पूरा प्रयास किया जाएगा कि शासकीय स्कूलों में भी बच्चों की संख्या बढ़े और बिलासपुर संभाग में कौन-कौन से स्कूल वहां बंद हुए हैं, मैं उनकी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दूंगा ।

---

[4]† परिशिष्ट "पांच"

असंशोधित/मुद्रण के लिये नहीं

श्री शैलेश पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, मैं बिलासपुर जाता हूं । सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है । स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कूलों में टॉयलेट नहीं हैं, प्रयोगशाला नहीं है, खेलकूद की सामग्री नहीं है । क्या आप बिलासपुर में जितने स्कूल हैं जहां पर लड़के, लड़कियां पढ़ते हैं और जहां पर टॉयलेट नहीं है, वहां इस सत्र में टॉयलेट बनवा देंगे और खेलकूद सामग्री दे देंगे ? मैं आपसे यह घोषणा चाहता हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, जितने भी शासकीय हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, सभी में शौचालय बनाने का हमारा लक्ष्य है और कई जगह बन भी गए हैं । जहां-जहां कमी है, वहां शौचालय बनाएंगे, इसकी घोषणा करता हूं ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- कब ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अतिशीघ्र ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इसी विषय में पूछना चाहत हौं कि अक्सर देखे ला मिलथे कि गांव के गरीब आदमी, गांव के असहाय व्यक्ति के लइका जाकर सरकारी स्कूल मा पढ़थे । अऊ गांव के मजबूत आदमी के लइका चाहे डीपीएस, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के स्कूल मा जाकर पढ़थे । मैं पूरा सदन से भी निवेदन करहूं कि अइसे कोई कानून बना दिये जाए कि जो शिक्षक हे, वे गरीब के लइका ला तो पढ़ात हे, लेकिन अपन लइका ला अन्ते पढ़ाथे । वो अपन भी लइका ला शिक्षक हा, उही स्कूल मा पढ़ाए । अपन लइका कस जानके सब लाइका ला पढ़ातिस लिखातिस । अइसन मैं सदन से निवेदन करत हौं । पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से (मेजो की थपथपाहट) । अइसे बनत होही तो सरकारी स्कूल के गुरूजी पढ़ात हे, ओकर लइका भी उहीं पढ़य । अगर कलेक्टर के लेइका पढ़ही तो उहां कलेक्टर घलो जाही । मोरो लइका सरकारी स्कूल मा पढ़त हे कहिके । ओकर लइका दिल्ली बम्बई मा पढ़त रही अउ गरी नांगर जोता, छत्तीसगढ़िया के लइका उहां पढ़ही तो मैं निवेदन करत हौं हमन संसदी कार्यमंत्री ले भी । अगर बन होही तो एकर लिए विचार किये जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- संसदीय कार्य मंत्री जी, आप उसका उत्तर दीजिए । ऐसा संभव है क्या ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो माननीय मंत्री जी देंगे । लेकिन रामकुमार यादव जी की भावना है और प्रश्न का मूल उद्देश्य हमारी सरकारी स्कूलों में बच्चों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए । माननीय मंत्री जी इसको देखेंगे और सरकार का प्रयास होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की प्राथमिकता किसान है, किसान के बच्चे नहीं हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, यह तो पालक के विवेक पर है कि कौन से स्कूल में पढ़ाएं, हर पालक यह चाहता है कि उनका बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े । जैसी उसकी स्थिति रहती है उसके अनुसार पढ़ाता है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 11 अरूण वोरा जी ।

<u>प्रदेश में घोषित सूखाग्रस्त तहसील</u>

11. (*क्र. 1783) श्री अरूण वोरा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018 में छ.ग. प्रदेश में कितनी तहसीलों को सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है ? जिलेवार तहसीलों की जानकारी देवें.

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसी भी तहसील को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है. अतः जिलेवार तहसील की जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है.

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के जवाब में यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के किन-किन तहसीलों में सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई थी और घोषित करने की प्रक्रिया व इकाई क्या है ? किन-किन तहसीलों में सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई थी ? जो मैंने प्रश्न किया है, उस प्रश्न को मैं पढ़ देता हूं। मैंने प्रश्न किया था कि 2018 में प्रदेश में कितनी तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था और आप जिलेवार तहसीलवार जानकारी दीजिए। आपने कहा है कि किसी को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है और तहसील की जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है। तो मेरा यह प्रश्न जो मैंने आपसे अभी किया।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वर्ष 2018 के बारे में पूछा है तो मैंने 2018 की जानकारी दी है। अगर वे किसी और सन् की बात कर रहे हैं या किसी तहसील की बात कर रहे हैं या पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं तो अलग बात है। उन्होंने पूछा है कि 2018 में कितनी तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, जिलेवार तहसीलों की जानकारी दे दें तो मैंने बताया कि 2018 में घोषित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक।

श्री अरूण वोरा :- मैंने पूछा कि प्रक्रिया और इकाई क्या है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हां, मैं बता देता हूं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अरूण वोरा :- घोषित करने की प्रक्रिया व इकाई क्या है और साथ ही मंत्री जी आप यह भी बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में इस वर्ष में कुल कितनी वर्षा रिकार्ड की गई ? 2018 में कितनी वर्षा रिकार्ड की गई ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- 2018 में जब घोषित ही नहीं किया है।

श्री अरूण वोरा :- मंत्री जी आप यह तो बता सकते हैं कि कितनी वर्षा रिकार्ड की गई ?

अध्यक्ष महोदय :- इससे वह उद्भूत नहीं होता। आप बताएं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सूखा घोषित करने के लिए वर्तमान इकाई तहसील है। ठीक है और 2018 में वर्षा अधिक हुई। जितना कम होना चाहिए, उसके मुताबिक कम नहीं हुई। इसलिए कोई भी तहसील को सूखा घोषित नहीं किया जाता।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप भी तैयारी करके नहीं आये हैं ?

श्री अरूण वोरा :- चलिए, ठीक है। (हंसी)

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन है ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी। बृहस्पत सिंह जी।

<u>प्रदेश में कार्यरत शिक्षक मितान</u>

12. (*क्र. 1213) श्री बृहस्पत सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. राज्य में कितने शिक्षक मितान कार्यरत हैं ? जिलेवार संख्या बताएं ? (ख) शिक्षक मितान का मानदेय कितना है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) छ.ग. राज्य में शिक्षक मितान कार्यरत नहीं है, इसलिए संख्या दिया जाना संभव नहीं है. (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं..।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे बैठ गये तो आप क्यों पूछ रहे हो। इसमें भी प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, यह दूसरा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 12 । प्रश्न क्रमांक 12

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में कितने लोग कितने विद्या मितान आउटसोर्सिंग से कार्यरत हैं और उनको कितनी तनख्वाह दी जाती है ? और उसका संचालन कौन करता है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने पूछा था कि कितने शिक्षक मितान हैं?

श्री बृहस्पत सिंह :- उसको सुधार लिया है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- वह तो है ही नहीं।

श्री बृहस्पत सिंह :- विद्या मितान। विद्या मितान।

श्री शिवरतन शर्मा :- बृहस्पत जी, 5 साल आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग करते रहे। आज आपके मंत्री ने जवाब दे दिया कि आउटसोर्सिंग के शिक्षक मितान एक भी नहीं हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आउटसोर्सिंग से विद्या मितान से छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके संबंध में जानना चाहते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस पर खाली राजनीति होती रही है। आउटसोर्सिंग के नाम पर। आज उत्तर आ गया बोलिए। आप अपने शिक्षक मितान की बात बताइए न।

अध्यक्ष महोदय :- पूछिए दीजिए न। उनको पूछने दीजिए।

श्री दीपक बैज :- शर्मा जी, आप तो डरकर जल्दी मितान बदल दिये आप।

श्री बृहस्पत सिंह :- विद्या मितान बोलिए या शिक्षा मितान बोलिए। आउटसोर्सिंग से जो शिक्षक हमारे राज्य में पढ़ा रहे हैं। जिनको सरकार के द्वारा कंपनी के माध्यम से 28000 रूपये दिया जाता है और जो हमारे शिक्षा मितान या विद्या मितान उनको कंपनी मात्र 15000 रूपये देती है। उसके लिए माननीय मंत्री जी..।

श्री शिवरतन शर्मा :- कहां से यह उद्भूत हो गया?

अध्यक्ष महोदय :- मूल प्रश्नकर्ता को तो करने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, इसमें तो माननीय अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न उद्भूत ही नहीं होता। ये कैसे कर रहे हैं? वे शिक्षक मितान का पूछें।

श्री धर्मजीत सिंह :- प्रश्न उद्भूत हो या न हो, एक महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दा तो पूछ रहे हैं। जब 28000 रूपये किसी को दिया जा रहा है तो 18000 रूपये क्यों देगा? मंत्री को जवाब देना चाहिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, गंभीर मुद्दा है। पूरे राज्य के लोगों के साथ यह क्या करना चाहते हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- गंभीर मुद्दे में उत्तर आ गया है और गंभीरता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह गंभीर मुद्दा है। पूरे राज्य में सारे पढ़े-लिखे लोग..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- उद्भूत नहीं होता तो अध्यक्ष जी आप उद्भूत करवा दीजिए पर इस मसले का जवाब आना चाहिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये आउटसोर्सिंग के विद्या मितान, जिनका नाम दिया गया है चाहे शिक्षा मितना कह लें या विद्या मितान कह लें। ये पूरे राज्य में कंपनी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं और जिनकी सरकार द्वारा कंपनी को 28000 रूपये दिया जाता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के ही जो विद्या मितान हैं, जो आऊट सोर्सिंग से काम कर रहे हैं, इनको कम्पनी वाले मात्र 15 हजार रूपये देते हैं। मतलब एक विद्या मितान से 10 हजार रूपये से 12 हजार रूपये तक कमीशनखोरी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार जो राशि तनख्वाह के रूप में कम्पनी को देती है, वह तनख्वाह सीधे विद्या मितान को देने का काम करेंगे क्या ? यह ठेका प्रथा बंद करेंगे क्या ?

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में जो विद्या मितान हैं, उनकी संख्या लगभग 2,185 है। चूंकि इनकी नियुक्ति अलग-अलग स्तर पर होती है। जब अलग-अलग स्तर पर होती है तो अलग-अलग तनख्वाह विभिन्न क्षेत्रों में मिलता है। राजनांदगांव, बिलासपुर में अलग-अलग तनख्वाह मिलता है। राजनांदगांव में 18,440 रूपया मिलता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी वह मत पढ़िये न। आंकड़ा नहीं पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की बात को जो हम लोग समझे हैं, वे आपसे आकड़ें नहीं पूछ रहे हैं। वे यह पूछ रहे हैं कि जिन कम्पनियों को शिक्षा मितानीन, मितान या पढ़ाने वालों की भर्ती करने का ठेका दे दिए हो, आप उनको 28 हजार रूपया पेमेन्ट कर रहे हैं लेकिन उनको 10 हजार रूपया मिल रहा है। क्या आप उनको 28 हजार रूपया पेमेन्ट करायेंगे कया या उसको खत्म करेंगे ? ये आकड़ें वगैरह से कोई मतलब नहीं है। 10 हजार है या 20 हजार है, उससे हमको क्या लेना-देना है। 10-20 हजार रूपये होगा। मंत्री जी, आप सिर्फ यह बता दीजिये कि जिस एजेंसी को भर्ती करने के लिए अनुमति दिए हो उसे खत्म करेंगे क्या ? मतलब आऊट सोर्सिंग करने के लिए जो एजेंसी आई है, उसको रोकेंगे क्या ? जो बच्चे भर्ती हैं, उनको सीधा सरकार के नियंत्रण में या किसी विभाग में लेकर उनको उतना ही तनख्वाह देंगे क्या ? प्रश्न यह है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी समीक्षा करेंगे। मैं यह बोल रहा हूं कि अलग-अलग जिलों में अलग-अलग राशि मिलता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान था कि 18 हजार रूपया या 8 हजार रूपया मिलता है। जो भी आकड़ें बताये हों, हम उसको खत्म

करेंगे, कहकर बोले थे। तो अभी समय है, घोषणा कर दीजिये। ...(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है, प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि क्या आप आउटसोर्सिंग बंद करेंगे क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपना स्पेसीफिक प्रश्न पूछा है। आप राजनांदगांव, दुर्ग मत जाईये न। उन्होंने जो पूछा है, आप उसी का जवाब दे दीजिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी आप बोल दो। सदन में घोषणा हो जाये। उनका भी प्रश्न लगा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको राजनांदगांव, दुर्ग जाने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य जहां का पूछे हैं, वहां का बता दीजिये।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं-नहीं, अलग-अलग जिलों में अलग-अलग राशि दी जा रही है, मैं यह बता रहा था। 18 हजार रूपये से लेकर 28 हजार रूपये तक अलग-अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, मैं यह बोल रहा हूँ।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, इसका कोई औचित्य नहीं है। एन0जी0ओ0 को ओबलाईज करने के लिए 28 हजार रूपया दिया जा रहा है और वह एन0जी0ओ0 15 हजार रूपया शिक्षक को देता है। उसको बीच में मध्यस्थ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका विभाग इसको खुद चला सकता है। आप उसको बंद करिये।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी मिडटर्म है, अभी एक्जाम चल रहे हैं। अभी इसमें तत्काल किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं समझ गया। (श्री बृहस्पत सिंह प्रश्न करने हेतु खड़ा होने पर) एक मिनट, मैं आप ही की बात बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद बोल लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर समस्या है। मिड टर्म है तो आप मत करिये। परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस प्रदेश में आऊट सोर्सिंग बंद होगी। तो यह आऊट सोर्सिंग का ही एक हिस्सा है। आप यह घोषणा कर दीजिये कि इस शिक्षा सत्र के बाद यह सब सिस्टम बंद कर दिया जायेगा और बच्चों को उतनी तनख्वाह दे दी जायेगी।

श्री अजीत जोगी :- इसी सत्र में।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी समीक्षा की जायेगी। जो भी संभव कार्यवाही होगी, की जायेगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समीक्षा का क्या प्रश्न है? जब यह तय हो गया है कि केला नहीं खाना है, अगर आपके घर में केला है तो उसको उठाकर फेंक दीजिये। केला की क्या समीक्षा करेंगे ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था कि हम इसको बंद करेंगे। तो निश्चित रूप से आज जो प्रश्न उद्भुत हुआ है तो आज सदन में घोषणा हो जानी चाहिए कि हम उसको बंद करेंगे। आप विनियोग का भाषण निकलवा लीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सिस्टम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बंद किए जाने की घोषणा हुई है। आप उस सिस्टम के बारे में बोलने में हिचक क्यों रहे हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। आप हिम्मत से बोलिये कि आउट सोर्सिंग का यह जो लीपापोती चल रहा है, उसको बंद करेंगे। आप बंद करिये। आप थोड़ी न किए हो। आउट सोर्सिंग ये लोग किए हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सवाल सिर्फ इतना है कि 28 हजार रूपये सरकार के खजाने से पूर्ववर्ती सरकार के समय से दिया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार, कोई भी सरकार हो।

श्री बृहस्पत सिंह :- हम यह नहीं बोल रहे हैं।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार का है। पूर्ववर्ती बोलने से उनको तकलीफ हो गया।

श्री मोहन मरकाम :- पूर्ववर्ती सरकार बोलने से उनको मिर्ची लग गई।

श्री अजय चन्द्राकर :-माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सहमत हैं, किसी भी सरकार हो। हम सहमत हैं, उसमें क्या बात है ? .....(व्यवधान)

श्री चन्द्रदेव राय :- चन्द्राकर जी, 7 महीने हो गए हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने 28 हजार रूपये किया था, लेकिन दे नहीं रहे थे .....(व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें बहुत भ्रष्टाचार किया है, इसकी जांच कराएंगे क्या ? .....(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 हजार रूपये आउट सोर्सिंग के माध्यम से कम्पनी को दी जा रही है और शिक्षा मितान हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं । उनको वेतन कम देना शुरू किया जा रहा है और ठेकेदार का कमीशनखोरी बढ़ता जा रहा है । पूर्ववर्ती सरकार ने कई सालों से कमीशनखोरी किया है । मैं ये जानना चाहता हूं कि नई सरकार कमीशनखोरी बंद करके उनको सीधे देने की व्यवस्था करेंगे क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हम आऊटसोंर्सिंग बंद करेंगे।.....(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब सुनिश्चित कराईए । कुल मिलाकर प्रश्न कोई टेड़ा नहीं है, बहुत सरल है कि आप आऊट सोर्सिंग के द्वारा भर्ती किये जाने वाले संस्था पर रोक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लगाएंगे या उसको चलने देंगे?

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, ये सूची नागपुर से आई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अमरजीत जी, एडवांश में कितनी जैकेट सिलवाये हो, ये बताओ ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सीधी-सीधी बात है कि इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटा दीजिए, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता शासन का पैसा खा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि इसकी समीक्षा की जायेगी...(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, समीक्षा की बात कहां से आ गई। बाहर की कम्पनी आकर छत्तीसगढ़ को लूटेगी, पूर्ववर्ती सरकार ने लूटने का ठेका दे रखा है, इसको बंद करेंगे क्या ? ये हमारे राज्य के धन का लूट हो रहा है, एक गुरूजी के पीछे भारी-भरकम कमीशन खाया जा रहा है, इसको माननीय मंत्री जी बंद करेंगे क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ सदस्य आदिवासी अंचल के वरिष्ठ सदस्य जब कोई बात कह रहे हैं और जब आपको लग भी रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भर्ती किया गया है, इसकी क्या समीक्षा करेंगे ? सबको निरस्त करिए ।...(व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी समीक्षा करके समाप्त कर देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग सब बैठिए, बैठिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- कब तक लूटने देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो सबकी बातें आ जाये ।

(मुख्यमंत्री जी के खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी, एक मिनट बैठ जाएं । चिन्तामणि महाराज पहली बार चिन्ता कर रहे हैं, उनकी बात सुन ली जाये । (हंसी)

श्री चिन्तामणि महाराज :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । प्रश्न पूछने का अवसर अभी तक नहीं मिला था ।

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी उसका भी उत्तर दे देंगे न ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, इनके साथ मणि भी है, आपके केवल चिन्ता की बात की, इनके साथ मणि भी है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे भले हमको कल आप इसका ट्रांसलेशन दे दें, पर मैं तो चाहता हूं कि वे चिन्ता कर ही रहे हैं तो वे संस्कृत में चिन्ता व्यक्त कर दें तो एक रिकार्ड भी बनेगा और अच्छा रहेगा। अगर आप संस्कृत में कर सकते हो तो आपसे आग्रह है । संस्कृत में पढ़ दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी करिए, समय निकल रहा है ।

श्री चिन्तामणि महाराज :- जी । अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के शंकरगढ़ ब्लॉक में गांव देवसरा है, वहां आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले से एक गौशाला में प्रायमरी स्कूल चल रहा है, कल से समाचार में भी वह चल रहा था, मैं उसमें आग्रह करता हूं कि विद्यालय भवन बन जाये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर मामला है, पहले उत्तर आ जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से ही सुनना चाहते हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी इस विषय में वक्तव्य दे रहे हैं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर मामला है, पहले उत्तर आ जाये । इतने सालों से हमारे राज्य के शिक्षकों के साथ लूट हुई है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी गंभीरता को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है और प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा जिस प्रकार से लूट-खसोट की शिकायतें आ रही हैं कि खजाने से 28 हजार रूपये निकलता है और उन विद्या मितानों को केवल 12-15 हजार कितना मिल रहा है और सिग्नेचर कुछ और करा रहे हैं तो मैं इसके पूरे प्रकरण की जांच कराने की घोषणा करता हूं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको पूरी राशि मिलनी चाहिए और जो बातें अजय जी ने कहा है, चूंकि अभी प्रशासन में प्रक्रियाधीन है और उसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे । (मेंजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी, आप पूछ लीजिए, कम से कम नाम आ जायेगा ।

<u>जिला बिलासपुर में अरपा भैंसाझार नहर परियोजना में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा</u>

13. (*क्र. 1811) श्री धरमलाल कौशिक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अरपा भैंसाझार नहर परियोजना बिलासपुर जिले के अंतर्गत कितने किसानों/व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की गई है एवं कितनों को मुआवजा दिया गया है ? कितनों का मुआवजा शेष है ? (ख) क्या

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अधिग्रहित भूमि से अधिक भूमि में नहर कार्य कराये जाने के संबंध में कोई शिकायत कलेक्टर, बिलासपुर अनुविभागीय अधिकारी कोटा को दिनांक 28-12-2018, 17-05-2017, 30-05-2018 व 22-11-2018 को की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों ? (ग) उक्त अनुसार अतिरिक्त भूमि पर किए गए नहर कार्य का सीमांकन करवा, शेष मुआवजा कब दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) अरपा भैंसाझार नहर परियोजना बिलासपुर जिले के अंतर्गत कुल 92 ग्रामों के 4133 किसानों/व्यक्तियों की कुल रकबा 677.644 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसमें से 2949 किसानों को राशि 1,88,91,75,842/- रुपये (एक अरब अठ्यासी करोड़ इक्यानबे लाख पचहत्तर हजार आठ सौ बयालीस रुपये) का मुआवजा भुगतान किया गया है एवं 1184 किसानों का राशि 54,59,75,973/- रुपये (शब्दों में-चौवन करोड़, उनसठ लाख पचहत्तर हजार नौ सौ तिहत्तर रुपये) मुआवजा शेष है. (ख) प्रश्न में उल्लेखित दिनांकों के आवेदन प्राप्त हुए है. प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) से जॉच करायी गयी है. कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ग) अतिरिक्त भूमि पर किए गए नहर कार्य के एवज में आवेदकों को अतिरिक्त भूमि का मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है.

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इसमें अरपा-भैंसाझार परियोजना का भूमि अर्जन का 54 करोड़, 59 लाख बकाया शेष है, जो भुगतान नहीं हुआ है, तो आप कब तक उसका भुगतान करा देंगे ? एक प्रश्न और दूसरा बात, इसमें जितेन्द्र कुमार कौशिक ने एक आवेदन दिया है, वह 17 से तहसील आफिस में घूम रहा है और उनका पैसा दूसरे को दे दिया गया है तो या तो उसकी जांच करा दें और उनका भुगतान करा दें, वे परेशान हैं । उनका पैसा दूसरे को दे दिया गया है?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपने जो जानकारी दी है कि वह पैसा किसी दूसरे को दिया गया है तो उसकी जांच कराकर विधिवत् उससे रिकव्हरी करके संबंधित आदमी को उस भुगतान करा दिया जायेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- और उसको सस्पेंड भी कर दीजिए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- पहले जांच करा लेते हैं ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, सुन लें, माननीय सदस्यगण आप भी सुनें । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्नकाल में या अन्य अवसर पर जब सदन में मंत्रीगण प्रश्नों के उत्तर दे रहे हों, तब माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर ही रहें, यदि उन्हें किसी मंत्री से विशेष आवश्यक चर्चा करनी हो तो इस बात का ध्यान रखें कि इससे प्रश्न का उत्तर देने वाले मंत्री को असुविधा न हो । इस संबंध में माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 248, नियम 250 का अनुसरण करें । पढ़ लीजिएगा, सब दिया हुआ है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- नियम तो पढ़ लो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- शून्यकाल की सूचना में आपका भाषण हो जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है । उन्होंने शिक्षा और सरकारी नौकरी दोनों में आरक्षण देने की घोषणा की है । देश के अन्य राज्य सरकारों ने उसको लागू किया है । सामान्य वर्ग में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलेगा, (जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम हो) अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर प्रदेश के संसदीय मंत्री जी का बयान आया कि यह राजनीतिक कारणों से लिया गया है, इसका हम परीक्षण करेंगे । लागू करना है या नहीं करना है, इस पर विचार करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों के बाद फिर बयान आया कि हम इसको लागू करने पर विचार कर रहे हैं । इससे प्रदेश के जो लोग हैं, उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है । उसके साथ-साथ जो जनहित का बड़ा फैसला है, वह प्रदेश सरकार ने रोक दिया है, इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिये, लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिये, सामान्य वर्ग में भी गरीब, वंचित, शोषित लोग हैं, समावेशी विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए भारत में लाया गया, ऐतिहासिक कदम है । परम्परागत आरक्षण में भी दूसरे वर्गों को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है । इस प्रावधान की यह विशेषता है । छत्तीसगढ़ सरकार इसको लागू करने के लिए कोताही बरत रही है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- भाषण दे रहे हैं । अवसर दे रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है ।

श्री दीपक बैज :- शून्यकाल में भाषण दे रहे हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मेरा नाम आया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ध्यानाकर्षण आयेगा, तब बोल लेना ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री का उल्लेख किया है। माननीय विद्वान सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने संसदीय कार्य मंत्री के बयान का उल्लेख किया । माननीय अध्यक्ष जी, पूरा बयान का उल्लेख करना चाहिये था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप स्वीकार करके चर्चा करा लो । आप स्वीकार करके चर्चा करा लो, पूरा बयान दे देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बयान का उल्लेख करेंगे । व्यवधान

श्री शिवरतन शर्मा :- इस विषय में हमारा शासकीय संकल्प है । इस विषय पर हमारा ध्यानाकर्षण भी है । आप स्वीकार कर लीजिए, सारा बयान हो जायेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए । शून्यकाल की सूचना में उत्तर देने का कोई प्रावधान नहीं है । यदि वह उत्तर देना चाहते हैं तो आप स्वीकार कर लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :-शून्यकाल में यदि किसी मंत्री विशेष का नाम आता है, वह कुछ सूचना देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, चूंकि नाम का उल्लेख हुआ है..। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- करिये, करिये आप । चलिये । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- उन्होंने उस बयान का उल्लेख किया...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपको अनुमति दी है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप विद्वान आदमी है, शून्यकाल में उत्तर दे सकते हैं क्या । चर्चा स्वीकृत करा दीजिए, शासन की ओर से आग्रह कर दीजिए । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं देना चाहिये । अध्यक्ष जी, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ । उन्होंने उल्लेख किया इसलिए मैं अपनी...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हॉ आप अपनी...। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, तब बयान को पूरा बताना था, मैंने कहा है कि हम विचार करेंगे और देंगे । लेकिन मैंने कहा ठीक चुनाव के पहले, जिनका आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की घोषणा की है । आप इसको उल्लेख करिये । अध्यक्ष जी, हमने इसको कहा है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- यह केन्द्र सरकार की शहरी योजना है, इसमें जनता के साथ अन्याय हुआ है । जन-धन योजना के साथ अन्याय । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, आज आखिरी दिन है, बी.पी. और शुगर, अजय चन्द्राकर जी का चेक करवा लीजिए ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- बैठो भईया, बैठो ।

अध्यक्ष महोदय :- आज हदय गति की जांच करने के लिए आये हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा है थोड़े दिन और चलवा दीजिए, आधे लोगों का बी.पी. और सुगर हम ऐसे ही करवा देंगे। आप देख लेना। थोड़ा दिन और चलाने का आग्रह करिये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- शातं पापं, शांतं पापम् । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- महाराज, ये उमर मे कोई पाप मत कर।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मैं आपको बोला कि पाप को शांत करो।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, रायपुर शहर के पंडरी में और कालीबाड़ी में दो जिला चिकित्सालय हैं। इन दोनों जिला चिकित्सालयों को इसलिए बनाया गया है ताकि मेकाहारा और दूसरे अस्पतालों में लोड कम हो, मरीज को वहां सुविधा मिल सके। पंडरी का अस्पताल 100 करोड़ रूपये खर्च करके बनाया गया है और वहां सिर्फ ओ.पी.डी. चल रहा है और कालीबाड़ी में भी अस्पताल है तो वहां अस्पताल कुछ ठीक है लेकिन दोनों हास्पिटल का एक ही अधिकारी है। वहां जितने डॉक्टर हैं उनसे से अधिकांश लोग प्रभावशाली परिवार से हैं और वह वहां पर ड्यूटी कम करते हैं। गिने-चुने लोगों की ड्यूटी लगाते हैं बाकी सब कोई किसी की पत्नि है या कोई किसी का भाई है। वहां इस तरीके की हालत है। मैं इस पर ध्यानाकर्षण लगाया था कि इस पर चर्चा कर लें क्योंकि मलेरिया, पीलिया, डायरिया से लोग मर रहे हैं, 100 करोड़ रूपये की बिल्डिंग होने के बाद भी वहां पर सब कुछ होने के बाद भी इंडोर हास्पिटल की व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यह अभी स्वीकार नहीं हो पायेगा लेकिन मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए हैं कि एक व्यवस्था जो करोड़ों रूपये की लागत से बनी हुई हो वहां अगर कुछ लोग अव्यवस्था फैलायें, या वह कोई इस प्रकार से जगह बना दी जाए जहां बड़े-बड़े लोगों को उपकृत करने के लिए रखा जाए तो यह सिस्टम ठीक नहीं है। इसे पूरी तरह से देखा जाए और वहां की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो ध्यानाकर्षण लगाया था पर मैं आपके माध्यम से अपनी भावना पहुंचा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। इसे देख लिया जायेगा। मैं निर्देश कर दूंगा वह देख लेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 07 जनवरी, 2019 को लोकसभा में और 09 जनवरी, 2019 को राज्य सभा में आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन होने के पश्चात् लोगों ने राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बात कही कि कोर्ट से स्टे हो जायेगा और कुछ हो जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे देने से इंकार कर दिया। सारे प्रदेशों में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई और खाली राजनीति करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बाहर बयान देते हैं, यहां अलग बयान देते हैं। पूरे प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के बीच असंतोष व्याप्त है। सरकार इस आरक्षण को लागू करे, इस पर हमने आपको ध्यानाकर्षण की सूचना दी है, आप इस पर चर्चा करा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं देख लूंगा। आज की कार्यसूची में 26 ध्यानाकर्षण सूचना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य वर्ग के लोग परेशान हैं। हम लोगों ने अशासकीय संकल्प भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- एक ने डाल दिया, सबने डाल दिया।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसको ग्राह्य करके चर्चा करा दीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही इस पर चर्चा करा लीजिए। आज के बाद तो चर्चा नहीं हो पायेगी। जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर हैं ऐसे लोगों के लिए इसे लोकसभा और राज्य सभा में पारित किया गया है। इसमें सामान्य वर्ग के बहुत सारे लोग इस श्रेणी में आते हैं जो आज भी वंचित हैं। यदि उस पर आज चर्चा करा लेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी और सरकार की स्थिति भी स्पष्ट हो जायेगी। इसलिए इस पर आज ही चर्चा करा ली जाए जो ज्यादा ठीक होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी चाहे तो यह कह सकते हैं कि आज हम इस विषय पर कोई वक्तव्य देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी बात हो सकती है क्योंकि यह प्रदेश के गरीब, वंचित, शोषित लोगों से जुड़ा हुआ विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- सरदार जी, आप बतायें।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार से कोई न कोई बात आनी चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है और प्रदेश में ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके लिए यह पारित किया गया है। ऐसे लोगों की चिंता करनी पड़ेगी।

श्री दीपक बैज :- आखिरी दिन है, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। उसके बाद तो लोकसभा चुनाव में जाना है।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा (रायपुर नगर उत्तर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शहर में आवारा पशुओं तथा कुत्तों का बहुत आतंक है।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

समय :
12:10 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 26 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, संसदीय कार्यमंत्री जी भी बैठे हैं, दोनों का इस विषय पर वक्तव्य आ जाये। फिर ध्यानाकर्षण पर चर्चा होगी ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा। मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

पहले क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनांए ली जावेगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महतवपूर्ण मामला है और पूरे प्रदेश का मामला है। सरकार की तरफ से वक्तव्य आ जाना चाहिए।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, आरक्षण पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, अभी चुनाव आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बातचीत हो जाये। ध्यानाकर्षण को पढ़ेंगे ही। आप इस विषय पर चर्चा कर लें।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इसमें शासन की तरफ से वक्तव्य आ जाये। शासन को निर्देशित करें, स्थिति क्लीयर हो जायेगी।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय :
12:12 बजे

नियम 250 (1) के तहत गर्भगृह में प्रवेश कर स्वमेव निलंबन

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) क तहत निम्नांकित माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह मे प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

1. डॉ. रमन सिंह
2. श्री अजय चंद्राकर
3. श्री शिवरतन शर्मा
4. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
5. श्री सौरभ सिंह
6. श्री डमरूधर पुजारी
7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
8. श्री धरमलाल कौशिक
9. श्री नारायण चंदेल
10. श्री भीमा मंडावी
11. श्री विद्यारतन भसीन
12. श्री रजनीश कुमार सिंह

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(12.13 से 12.41 बजे तक सभा की कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:41 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप लोगों ने अपना निलंबन समाप्त मान लिया?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी ड्यूटी की, मैंने मना के ले आया तो धन्यवाद दीजिये। अब घोषणा करना है तो कर दीजिये न, विधिवत हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मान लिया गया।

समय :

12:41 बजे **<u>निलंबन समाप्ति की घोषणा</u>**

अध्यक्ष महोदय :- मैं 250 (1) के अतंर्गत निलंबित सदस्यों का निलंबन समाप्त करता हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अभी शून्यकाल में आपने विधानसभा को दस मिनट के लिये स्थगित किया था। जो भी बात आपने कही होगी, पर इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे, आज आखिरी दिन है। ये हमारा अनुभव रहा लेकिन ये कदम हमें इसलिए उठाना पड़ा कि चुनाव के दौरान हो, आगे हो, पहले हो, किसी भी समय हो, आचार संहिता के पहले सरकारें अपना काम करती रही। चुनाव नजदीक आ गया, निर्णय हुआ, इसलिए सरकार काम ही नहीं कर पायेंगी। कल आपने एक व्यवस्था किसान सम्मान निधि के बारे में दी थी। आपने माननीय मंत्री जी को निर्देश दिया था कि इसको गंभीरता से देखा जाये। हम लोगों ने अभी जो दस प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा उठाया था, उसमें अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है कि कौन उसको किस तरह से लेता है। पर समाज का हर वर्ग जो वंचित, शोषित रूप से कमजोर हैं, वंचित हैं, शोषित हैं उनको अपना अधिकार है। इसको सरकार किस ढंग से लागू करेगी, कब करेगी, आसंदी पर विश्वास करते हुए इस विषय हो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, जैसे ही प्रतिपक्ष के साथियों ने ये मामला उठाया, मैंने पहले भी कहा कि पार्लियामेंट के दोनों हाऊस अपर हाऊस में भी और लोकसभा में भी कांग्रेस ने समर्थन किया है। आपने कहा न पारित हुआ है। जब पार्लियामेंट में हमने समर्थन किया है तो यहां भी हमारा कमिटमेंट है। हम इसको लागू करेंगे। अध्यक्ष जी, मैंने एक लाईन कहा उसमें मैं अभी भी कायम हूं। आपने केन्द्र सरकार की एक भी वैकेंसी देखी है, सवाल ही नहीं है। देश ने स्वीकार किया है कि आने वाले समय में हमारी भी सरकार इसको लागू करेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ये विषय तो हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब संसदीय कार्य मंत्री वक्तव्य दें तो ...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया न। हमने उनसे वक्तव्य देने के लिये कहा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी निलंबन कार्य के दौरान हम लोग बाहर थे तो श्री अजय चंद्राकर जी का ब्लड प्रेसर चेक किये तो 90/130 था। बार बार मांग आ गई थी कि वहां से इनका ब्लडप्रेसर हाई हो जाता है तो थोड़ा चेक कर लिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सौरभ जी, ऐसा नहीं है। उसके बाद मैं देखने गया तो मुझे बताया गया कि वह मशीन खराब है।(हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक बार फिर से माननीय संसदीय कार्यमंत्री और अजय चन्द्राकर जी दोनों का चेकअप करवा दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :-माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ इधर माननीय सत्यनारायण जी और कुछ लोग मंत्री नहीं बन पायें। और ये मंत्री जी और एकाध दो मंत्री जी, उनका भी आप अपनी उपस्थिति में ब्लड प्रेशर चेक करवाईये, पक्का ब्लड प्रेशर बढ़ा निकलेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :-माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बोल रहे हैं। जिन-जिन का आप नाम लिये हो, उन पर ब्लड प्रेशर मशीन काम ही नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धर्मजीत भाई, आप ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए नहीं, हृदय गति चेक करने के लिए आया हुआ है, आप लोग वह चेक करा लें, वह ज्यादा जरूरी है। श्री नारायण चंदेल।

(1) <u>रायगढ़ शहर में ओ.सी.एल. लिमिटेड द्वारा खनन कार्य में अनियमितता किया जाना।</u>

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

रायगढ़ शहर से लगे हुए गांव रामपुर में ओ.सी.एल. लिमिटेड क्वार्टराईज्ड की खदान आवंटित की गई है। खनन के बाद क्वाटर्ज की राजगंगपुर उड़ीसा स्थित प्लांट में ले जाया जाता है। खनिज पट्टा निरस्त कर दिया गया है। निरस्तीकरण के वक्त खदान में कंपनी के पास करीब 20 हजार टन क्वाटजाईल था। अतिरिक्त खनिज खनन और खनन की गई भूमि को पाटने के आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही करते हुए खनिज पट्टा निरस्त किया गया। उत्पादन आंकड़ों में गडबड़ी कर अतिरिक्त खनन किया गया, इस विसंगति को संज्ञान में लेकर खनिज के परिवहन पर रोक लगा दी गई, परन्तु सरकार

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बदलते ही फिर से उपरोक्त कंपनी को 17 हजार टन की ही टी.पी. जारी कर दी गई है, जो कि निरस्त की गई लीज की शर्तों का खुला उल्लंघन है। पहाड़ी में खुदाई और विस्फोट से पहाड़ी भूमि को स्खलन से रोकने और परिक्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिहाजे से प्रशासन ने कंपनी को पौधरोपण के लिए खसरा नं. 182, 193/2 12 एकड़ और 6.82 एकड़ एलाट किया गया। उपरोक्त जमीन पर भी बिना पौधारोपण कर कुछ भाग में खनन कर दिया गया। इससे आम जनता में भय और आक्रोश व्याप्त है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला रायगढ़, तहसील रायगढ़ के ग्राम उर्दना (रामपुर) के वन कंपार्टमेंट नंबर 81 के 34.601 हेक्टेयर क्षेत्र पर मेसर्स ओ.सी.एल. इंडिया लिमिटेड के पक्ष में खनिज क्वाटजाईट का खनिपट्टा दिनांक 15.12.1993 से 14.12.2013 तक स्वीकृत था। खनिपट्टा क्षेत्र से उत्खनन किये जाने वाले **क्वाटजाईल** को मेसर्स ओ.सी.एल. इंडिया लिमिटेड के राजगांगपुर उड़ीसा स्थित प्लांट में ले जाया जाता था। पट्टेदार द्वारा पट्टे के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण राज्य शासन के आदेश दिनांक 28.07.2012 द्वारा उक्त खनिपट्टा को निरस्त किया गया था। खनिपट्टा निरस्तीकरण के समय पट्टा क्षेत्र में पट्टे के अभिलेख के अनुसार 14128 मैट्रिक टन और संयुक्त जांच दल द्वारा भौतिक सत्यापन पर 16158 मैट्रिक टन क्वाटजाईट का स्टॉक पाया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि अतिरिक्त खनिज खनन और खनन की गई भूमि को पाटने के आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही करते हुए खनिपट्टा निरस्त किया गया था एवं उत्पादन आंकड़ों में गड़बड़ी कर अतिरिक्त खनन किया गया था। वस्तुत: पट्टेदार द्वारा राजगांगपुर में स्थापित संयंत्र के वे-ब्रीज के खनिज के तौल संबंधी दस्तावेज निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाना, मासिक, तिमाही एवं वार्षिक विवरणियां निर्धारण प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं करना, उत्पादन प्रेषण पंजी को सही रूप से संधारण नहीं करना, खदान क्षेत्र में माईनिंग प्लान के अनुसार खनन नहीं करना, रिजेक्ट स्टोन उत्पादन पंजी संधारित नहीं करना, पट्टा क्षेत्र में मुरूम का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जाना, पट्टेधारी द्वारा वर्किंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण नहीं करना, उत्पादित अनुपयोगी पत्थर, मुरूम, इत्यादि का संधारण एवं ढेरों में भण्डारण नहीं करना, ब्लास्टिंग के कंपन का मापन नहीं किया जाना, लीज क्षेत्र में सेटलिंग टैंक, गारलैण्ड ड्रेन एवं खदान में बेंच का निर्माण नहीं किया जाना इत्यादि कारणों से खनिज रियायत नियम 1960, खनिज सरंक्षण एवं विकास नियम 1988 के नियम एवं अनुबंध के शर्तों का उल्लंघन के कारण राज्य शासन के आदेश दिनांक 28.07.2012 द्वारा खनिपट्टा निरस्त किया गया था।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 22.04.2014 द्वारा मेसर्स ओ.सी.एल. इंडिया लिमिटेड को भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान के अनुसार रिक्लेमेशन कार्य के लिये आवेदक संस्थान के व्यय पर अनुमति दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बिलासपुर द्वारा डब्ल्यू.पी.(सी) 1347/2012 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2012 और के परिप्रेक्ष्य में तथा राज्य शासन के आदेश दिनांक 10.07.2014 द्वारा वन विभाग की आवश्यक अनुमति/अनापत्ति प्राप्त कर मेसर्स ओ.सी.एल. इंडिया लिमिटेड को निरस्त किये गये पट्टा क्षेत्र से खनिज परिवहन हेतु नियमानुसार अभिवहन पास (टी.पी.) जारी किए पट्टा क्षेत्र से खनिज परिवहन हेतु नियमानुसार अभिवहन पास (टी.पी) जारी किए जाने अनुमति दी गई थी। कलेक्टर, रायगढ़ के पत्र दिनांक 14.11.2014 द्वारा मेसर्स ओ.सी.एल. इंडिया लिमिटेड को अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान के अनुसार रिक्लेमेशन कार्य के एवज में रुपये एक करोड़ बैंक गारंटी अविलंब प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया।

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 29.05.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नाधीन खदान का खनि अधिकारी, वन मण्डलाधिकारी, कार्यपालन अधिकारी केलो परियोजना रायगढ़, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी रायगढ़, तहसीलदार रायगढ़ तथा आईबीएम नागपुर के अधिकारी के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया जाना नहीं पाया गया है।

आईबीएम द्वारा अनुमोदित अंतिम माईनिंग क्लोजर प्लान की अवधि (दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2015) समाप्त हो जाने के कारण जिला कार्यालय के पत्र दिनांक 26.07.2018 द्वारा कंपनी को अंतिम माईनिंग क्लोजर प्लान अनुमोदन कराकर प्रस्तुत करने लेख किया गया था। संयुक्त संचालक (खनि प्रशासन) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 06.08.2018 को अंतिम माईन क्लोजर प्लान की अवधि को आगामी 2 वर्ष के लिये सशर्त विस्तारित कर दिया गया है। वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल के पत्र दिनांक 3.11.2018 द्वारा निरस्त किये गये पट्टा क्षेत्र से खनिज परिवहन की सशर्त अनुमति दी गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर रायगढ़ के आदेश दिनांक 02.02.2019 द्वारा कुल 14,628.301 मैट्रिक टन क्वार्टजाईट के परिवहन की अनुमति प्रदान की गई। कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी अनुमति में स्वयं के व्यय पर खदान का रिक्लेमेशन करने, संयुक्त जांच दल की निगरानी में 03 किश्तों में परिवहन करने और वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार रायल्टी की अंतर की राशि जमा करने की शर्त का समावेश किया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि पहाड़ी में खुदाई व विस्फोट से भूमि स्खलन को रोकने और परिक्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से प्रशासन ने कंपनी को पौधारोपण के लिए खसरा नं. 182, 193/2 रकबा 12 एकड़ और 6.82 एकड़ का एलाट किया गया था, उपरोक्त जमीन को बिना वृक्षारोपण कर कुछ भाग में खनन कर दिया गया है। पूरी जमीन में खनिज क्वार्टजाईन का भण्डारण किया गया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि राजस्व अभिलेख में दर्ज खसरा नंबर 102 का रकबा 6.29 एकड़ तथा 193/1 का रकबा 6.28 एकड़ कंपनी को वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया गया था। कंपनी द्वारा तत्समय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वृक्षारोपण किया गया था। वर्तमान में राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 182 का रकबा 5.29 एकड़ भूमि को लाइवलीहुड कालेज, शाखा रायगढ़ को आवंटित होना तथा खसरा नंबर 193/1 रकबा 6.28 एकड़ भूमि वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित होना दर्ज है। कंपनी द्वारा उक्त सुरक्षित भूमि में कोई खनन नहीं किया गया है तथा खनिज क्वार्टजाईज का कोई भी भण्डारण उक्त भूमि पर नहीं है।

जनता में कोई भय एवं आक्रोश व्याप्त होने की स्थिति नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं टी.पी. अभिवहन पास किस आधार पर जारी किया गया ? कितनी मात्रा में और कब तक के लिये जारी किया गया है, कृपया यह बता दें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा कि आई.बी.एम. की रिपोर्ट, वनमण्डलाधिकारी, खनिज विभाग, केलो परियोजना सारे लोगों ने संयुक्त रूप से अध्ययन किया और इसमें कोई गलत नहीं पाया गया जो रिपोर्ट आयी उस आधार पर कलेक्टर ने उसको पिट पास जारी किया है और एक तिहाई यदि उठाता है तो उसके एवज में पहले उसको पैसा जमा करना पड़ेगा और वर्तमान दर में जो रॉयल्टी है वह वर्तमान दर पर है और उसको 3 किस्तों में उठाना है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 14,628 टी.पी. जारी हुआ है और यह बताया है कि उसमें जो स्टॉक है 16,158 स्टॉक यह जो अंतर की राशि है । माननीय मंत्री जी, कृपया यह बता दें कि रॉयल्टी के अंतर की राशि कितनी है और यह कब जमा किया जायेगा ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह अंकगणित का सवाल है और वे विद्वान सदस्य हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वे स्वयं आंकड़े की गणना कर लें और उसमें कोई अंतर आये तो बता दीजियेगा ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लम-सम जो भी चीजें रहती हैं। उन्होंने स्वयं उत्तर में स्वीकार किया है और इसीलिये मैं जानना चाह रहा था कि रॉयल्टी के अंतर की राशि कितनी है और कब तक वह जमा कर देंगे, ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा तो उस एग्रीमेंट के आधार पर उनको जानकारी होगी । दिनांक 06.08.2018 को संयुक्त संचालक ने इसकी अवधि बढ़ायी है और दिनांक 03.11.2018 चुनाव के दौरान, जब चुनाव की आचार-संहिता लगी थी तब उनको अनुमति प्रदान की गयी थी तो क्या चुनाव के आचार-संहिता के दौरान जब चुनाव चल रहा है तब अनुमति प्रदान की जा सकती है ?

श्री भूपेश बघेल :- अब यह तो आपके सामने वाले से पूछ लीजिये चूंकि उन्हीं के पास विभाग था । वे फोन किये थे, नहीं किये थे, क्या हुआ था क्योंकि उस समय तो हम लोग सत्ता में नहीं थे ।

अशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

कोई अधिकारी हमारा फोन तो उठाता नहीं था तो आप ही थोड़ा सा पता करके बता दीजिये कि किसका फोन गया और आचार संहिता के चलते उनको यह आदेश जारी किया, वह खुद पता करके बतायें। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका ध्यानाकर्षण हो गया ।

श्री नारायण चंदेल :- तब और अब की बात नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जवाब बहुत आपत्तिजनक है । वे कह रहे हैं कि सामने वाले से पूछ लीजिये, आप मुख्यमंत्री हैं इसलिये आपको जवाब देना है, सामने वाला क्या बतायेगा ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो आपको आपत्ति हो रही है । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- श्री शिवरतन जी, जिसके पास जवाब है उसी से तो पूछेंगे । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपको किसने अनुमति दी, यह तो बताईये । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपत्तिजनक है । माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि सामने वाले से पूछ लीजिये । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह अच्छा नहीं है । आपत्तिजनक है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी आप हैं, जवाब आपको देना है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्षण लगा है या जो प्रश्न लगा है । उस समय जो भी सरकार रही हो, उस समय स्वीकृत हुए होंगे, जो भी कार्य हुए होंगे, जो अनियमितता हुई होगी, जो भी हुआ होगा अब इस प्रकार यदि माननीय मुख्यमंत्री जी यह बोलेंगे कि सामने वाले से पूछ लीजिये, मुझे जवाब नहीं देना है तो फिर हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि उसका जवाब कौन देगा ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय, आप वहां से हट जाईये, इनको वहां बैठा देते हैं फिर इन्हीं से पूछ लेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- चूंकि यहां से तो जवाब दे नहीं सकते, आप वहां बैठे हैं तो आप असमर्थता जाहिर कर रहे हैं कि सामने वाले जवाब देंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बात सदन में पूछी जाती है और कुछ बात सदन के बाहर में जाकर पूछ लिया जाता है तो आप पता कर लीजिये, वह तो बहुत आसान है । (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको तय कर लीजिये कि आखिर इसका जवाब कैसे आयेगा, कौन जवाब देगा ?

श्री भूपेश बघेल :- यह बहुत साधारण सी बात है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जो तर्क है, यह तर्क ठीक नहीं है । जवाब तो आपको ही देना है । आप जो भी जवाब देंगे लेकिन जवाब तो आपको देना है न ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय नेता जी, आप उत्तर देख लीजिये । उत्तर में आचार संहिता के समय नहीं है । यह तो प्रक्रिया जो ऑफिस में नोटशीट चलती है वह प्रक्रिया है, जिसके बारे में बात की गयी । आदेश उसके बाद हुआ है, यह तो उत्तर में लिखा है । माननीय सदस्य इस प्रकार से कह रहे हैं, वे उपाध्यक्ष रहे हैं, आप थोड़ा सा तो देख लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- कुंवर निषाद ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब इसमें क्या आ गया ?

श्री सौरभ सिंह :- पूछने तो दो, बता देतो हूं कि क्या है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नारायण चंदेल भइया, ये ध्यानाकर्षण किसने लगवाया बताइए तो ?

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह आपत्ति जनक है कि किसने लगवाया । यह हमारा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप पूछिये ।

श्री सौरभ सिंह :- कौन लगाया कौन नहीं लगाया, ये हमने नहीं पूछेंगे ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण तो इन्होंने दिया ही नहीं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नाम है ।

श्री सौरभ सिंह :- मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से पूछ रहा हूं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मेरे पास कार्यसूची है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने अनुमति दी है ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की क्लीयर गाइड लाइन है । 2014 की रूलिंग गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया । 6 महीने तक माइनिंग लीज खत्म होने के बाद । 6 महीने जब माइनिंग लीज खत्म हो गई उसके बाद वहां उत्खनन का जो भी मामला रहेगा । जो भी मटेरियल वहां पर रहेगा । उस मटेरियल का स्वामित्व राज्य शासन का होता है । राज्य शासन उसका ऑक्शन करा सकता है, उसको अपने आधिपत्य में ले सकता है । मेरा यह कहना है कि 02.02.2019 को कलेक्टर ने आदेश पारित किया कि टी.पी. जारी कर दिया जाए । इससे तो नुकसान है ना, उसका

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्वामित्व तो राज्य शासन का है । उस कंपनी को टी.पी. क्यों जारी किया गया । राज्य शासन उसको राजसात करे और ऑक्शन करे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, देख लेंगे । निषाद जी अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें ।

2. बालोद जिले के खरखरा जलाशय का पानी राजनांदगांव ले जाया जाना.

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- बालोद जिले में केन्द्र शासन की अमृत योजना के तहत खरखरा जलाशय का पानी राजनांदगांव ले जाने का प्रयास जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है । इस योजना का उद्देश्य सभी शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवेज कनेक्शन देना है । इसी योजना के तहत बालोद में भी काम जारी है । उक्त योजना पर 5000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है । जिसके तहत खरखरा से राजनांदगांव को पानी देने का प्लान बनाया गया है । 2.10 करोड़ खर्च कर पाइप लाईन का विस्तार व अन्य कार्य किया जाना है, परंतु स्थिति यह है कि खरखरा जलाशय में वर्तमान में 55 प्रतिशत पानी है । खरखरा जलाशय को 100 प्रतिशत पानी भरने पर यह आरक्षित किया गया है कि कितने प्रतिशत पानी भिलाई इस्पात संयंत्र, निस्तारी तालाबों को भरने व सिंचाई हेतु दिया जाना है । डौंडीलोहारा एवं गुंडरदेही क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है और खेत्र के किसान जब भी पानी मांगते हैं तो विभाग व जिला प्रशासन कहता रहा कि बांध में पानी नहीं है, तो फिर विभाग पानी राजनांदगांव ले जाने की तैयारी कैसे कर रहा है ? इससे क्षेत्र के किसानों में शासन के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

जल संसाधन मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सही नहीं है कि बालोद जिले में केन्द्र शासन की अमृत योजना के तहत खरखरा जलाशय का पानी राजनांदगांव ले जाने का प्रयास जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है । वस्तुस्थिति यह है कि मिशन अमृत योजना के तहत नगर निगम, राजनांदगांव क्षेत्र में जल प्रदाय हेतु छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिनांक 25.05.2017 को रूपए 22367.51 लाख की प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में मांग अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा 23.00 मिलियन घन मीटर जल आपूर्ति हेतु खरखरा जलाशय से सशर्त जल आवंटन की स्वीकृति दिनांक 25.01.2018 को प्रदान की गई है, जिसके अनुसार जलाशय की ऊंचाई में लगभग 0.60 मीटर की बढ़ोतरी किये जाने के उपरांत जल प्रदाय किया जावेगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5000 लाख होगी । खरखरा जलाशय के ऑफटेक प्लाईन्ट से जलशोधन संयंत्र (मोहारा एनीकट) तक जल ले जाने

हेतु आवश्यक व्यवस्था (इंटकवेल/पंप हाऊस निर्माण, पाईप लाईन बिछाना आदि) नगर निगम, राजनांदगांव द्वारा किया जावेगा, जो कि वर्तमान में उनके द्वारा किया जा रहा है । अत: यह कथन सही नहीं है कि रूपए 2.10 करोड़ व्यय कर पाईप लाईन का विस्तार एवं अन्य कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है । ध्यानाकर्षण सूचना जारी दिनांक 13.02.2019 को उक्त जलाशय में 50.63 प्रतिशत जल ही उपलब्ध था । यह सही है कि खरखरा जलाशय के 100 प्रतिशत (162.45 मिलियन घन मीटर) भराव होने पर निस्तारी हेतु 2.28 प्रतिशत (3.7 मिलियन घन मीटर) सिंचाई हेतु 53.87 प्रतिशत (87.50 मिलियन घन मीटर), पेयजल हेतु 19.83 प्रतिशत (32.20 मिलियन घन मीटर), भिलाई स्टील प्लांट हेतु 14.35 प्रतिशत (23.30 मिलियन घन मीटर) और अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु 8.77 प्रतिशत (14.23 मि.घ.मी.), जल की मात्रा निर्धारित है, जो कुल मिलाकर 160.98 मि.घ.मी. है, किन्तु यह कथन भी सही नहीं है कि "डौण्डीलोहारा एवं गुण्डरदेही के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है और क्षेत्र के किसान जब भी पानी मांगते हैं, तो विभाग व जिला प्रशासन कहता रहा है कि बांध में पानी नहीं है, "जबकि वस्तुस्थिति यह है कि खरखरा जलाशय से विकासखण्ड-डौण्डीलोहारा एवं गुण्डरदेही में जल उपलब्धता के आधार पर सिंचाई की जाती है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष 2018-19 में भी 14557.04 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई की गई है। नगर पालिका, राजनांदगांव द्वारा पेयजल हेतु की गयी 23.00 मि.घ.मी. जल की मांग में से, 16.92 मि.घ.मी. खरखरा बांध की 0.60 मीटर ऊंचाई बढ़ाकर जलाशय से तथा शेष 6.08 मि.घ.मी. रिप्लेनिसमेंट द्वारा आपूर्ति की जावेगी। अत: बांध की ऊंचाई 0.60 मी. बढ़ाये जाने हेतु विभाग द्वारा किये जा रहे समुचित प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में स्थिति विस्फोटक होने अथवा कृषकों में रोष व्याप्त होने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

समय :
1:07 बजे

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सम्मति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री श्री गुरूरूद्र कुमार की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार ग्रहण करें।

अशोधित/असंपादन के लिए नहीं

ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- जी, प्रश्न पूछिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा है कि बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी ऊंचाई बढ़ाई जायेगी लेकिन बांध की ऊंचाई बढ़ाये बगैर पानी ले जाने का कार्य जो किया जा रहा है, उसमें मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम उसकी भराव क्षमता को नहीं बढ़ा पा रहे हैं और उसके पहले हम जो पानी ले जाने का कार्य कर रहे हैं और जुड़ जाने के बाद यह संभव नहीं होगा कि आप खरखरा बांध से वहां राजनांदगांव में पानी दे पायेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि खरखरा मोहंदीपाट जो परियोजना है, वह एक बहुत बड़ी परियोजना है। क्षेत्र की जनता का, किसानों का, जिसको जीवनदायिनी परियोजना कहते हैं तत्कालीन उस समय के विधायक स्व. वासुदेव जी चन्द्राकर और स्व. प्यारेलाल जी बेलचंदन के अथक प्रयास से ही यह परियोजना संचालित हुई है, जिसका उद्घाटना आपने स्वयं अपने हाथों से किया। जिसका भूमि पूजन आपने स्वयं किया है, इसके बारे में मैं सम्मानीय गुणवान मंत्री जी ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा लेकिन यह आग्रह और निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि ये जो परियोजना जिसके माध्यम से पानी ले जाने का काम करने की जो योजना संचालित हो रही है, उसको तत्काल बंद करवाया जाए। क्योंकि क्षेत्र की जनता और किसानों के हित की बात है। हजारों किसानों के परिवार इससे प्रभावित होंगे और जो पानी यहां से ले जाने का कार्य किया जा रहा है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवदेन करता हूं कि इस योजना को तत्काल बंद करवाकर हमको राहत प्रदान करने की कृपा करें।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय विधायक साथी कुंवर निषाद जी को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया। अब मिशन अमृत के तहत चार शहरों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। इसमें भी जैसा आपने कहा कि 0.60 मीटर उसकी ऊंचाई बढ़ाने के बाद ही पानी देने की बात होनी चाहिए। मैंने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि लगभग 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में इस साल खरीफ सिंचाई में दिया गया। 19 हजार 228 के लिए जिसकी डिजाइन है रूपांकित क्षमता। अध्यक्ष जी, मैं पहली बात इस सदन में कहना चाहूंगा कि किसानों की सिंचाई का एक बूंद भी पानी का उपयोग किसी और कार्य के लिए हम नहीं लेने देंगे यह आप सब पहले अबाध हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि राजनांदगांव सिटी के लिए अगर व्यवस्था करने की जरूरत है तो भी विभाग को ही देखना है। अभी केवल नगर-निगम के कुछ काम प्रारंभ हुए हैं और आने वाले समय में जैसा कि मैंने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य किये जाएंगे। उसके लिए आवश्यक जो भी कार्यवाही है, उसे शासन संपादित करेगा।

अध्यक्ष महोदय :- देवव्रत सिंह जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और करूंगा। यदि मोंगरा बैराज या मटिया मोतीनाला से राजनांदगांव को पानी दिया जाता है तो उसके लिए अलग से स्त्रोत उपलब्ध है। अगर उस योजना को पूरा ही करना है तो उसको वहां से संचालित करना चाहिए। वहां से राजनांदगांव के लिए पानी ले जाना चाहिए। यह उनके लिए सुलभ और सही पड़ेगा। इस योजना को बंद करने के लिए हमने, किसानों ने जगह-जगह धरना-प्रदर्शन किया था। हम लोगों ने पिछले साल चक्काजाम, धरना प्रदर्शन कर अपनी गिरफ्तारी भी दी थी।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कीजिये।

श्री कंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ऐसी स्थिति निर्मित मत हो, नहीं तो मुझे किसान के साथ संघर्ष करने के लिए रास्ते में ही बैठना पड़ सकता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, अब मोहंदीपाट को शुरू करने मै गया था, जब हम लोग मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री थे। आपने खरखरा से किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए जिनका जिक्र किया, माननीय वासुदेव चन्द्राकर जी के साथ हम लोग फावड़ा-कुदाली लेकर आंदोलन किए थे। हम लोग सारी परिस्थितियों से भिज्ञ हैं। लेकिन आपने एक अच्छा सुझाव दिया है। मोंगरा के पानी का सदुपयोग होना चाहिए। हमने मोंगरा को मोहड़ से जोड़ने की कार्ययोजना इस बजट लिया हुआ है। उस पानी को मोहड़ से भी आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, सिंचाई विभाग इन सारी परिस्थितियों पर कार्य करेगा।

श्री कंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न। मैं मंत्री महोदय जी से जवाब जानना चाहूंगा कि उस योजना को तत्काल बंद कर रहे हैं क्या या उसको अलग से सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि किसानों के सिंचाई का जितना डिजाइन है, जितने क्षेत्र में पानी जाना है, उसकी कटौती नहीं की जायेगी। सिंचाई सुनिश्चित किया जायेगा।

3. **<u>खैरागढ़ वन मण्डल क्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई तथा अवैध उत्खनन किया जाना।</u>**

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

खैरागढ़ वन मण्डल क्षेत्र में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तथा जनवरी-फरवरी 2019 में बड़े पैमाने पर प्रशासन के दबाव के चलते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मार्ग निर्माण में ठेकेदारों द्वारा वन विभाग के छोटे कर्मचारियों की अनदेखी कर वन क्षेत्रों में जंगल झाड़ी को काटकर अवैध मुर्रूम एवं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गिट्टी इत्यादि निकाली जा रही है। खैरागढ़ वन मण्डल के अन्तर्गत छुईखदान से भोथली पैकेज क्रमांक CG 15-48, खैरागढ़ से विक्रमपुर CG 15-144, ढ़ारा से मुढ़ीपार से लक्षना CG 15-144, उरतुली से चम्पाटोला, जुझारा से पटपर L037 से भेण्ड्रा पैकेज क्रमांक CG 15-154, बिरखा से खैरानवापारा पैकेज क्रमांक CG 15-155, कोपरो से ग्वालगुंडी पैकेज क्रमांक CG 15-156, गभरा से कोटरी छापर पैकेज क्रमांक CG 15-157, देवपुराघाट से बांधाटोला पैकेज क्रमांक CG 15-159 बैलगांव सुकतरा से डण्डूटोला, बकरकट्टा से हाथीझोला, टीनामाली लक्षना से कटेवा इसके अलावा भोथली भुंजारी क्षेत्र तथा गातापार से कौरवा मार्ग में सड़को के आसपास बड़े वन क्षेत्रों में झाड़ की कटाई करके जे0सी0बी0 से अवैध मुर्रूम, मिट्टी तथा गिट्टी पत्थर उत्खनन किया गया है। जिससे जंगलों में बड़े-बड़े गड्डे हो गए हैं तथा लगभग 20 हजार से भी ऊपर वृक्षों की कटाई हुई है एवं 10 हजार ट्रीप मुर्रूम मिट्टी का अवैध खनन ढाई वर्षों में किया गया है। तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर तत्कालीन वनमण्डल अधिकारी द्वारा वन क्षेत्रों में मुर्रूम मिट्टी पत्थर का अवैध खनन किया गया एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्यपालन यंत्री एवं एस0डी0एम0 द्वारा स्वयं जाकर ठेकेदारों द्वारा मुर्रूम उत्खनन को माप-पुस्तिका में दर्ज किया गया एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्यपालन यंत्री द्वारा वन क्षेत्रों में ठेकेदारों द्वारा निकाली जा रही मुर्रूम को प्रमाणित भी किया। वन विभाग के छोटे कर्मचारियों एवं सदस्यों के द्वारा अवैध उत्खनन एवं वृक्ष कटाई की आपत्ति किए जाने पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों द्वारा अवैध उत्खनन को अनदेखी कर उन्हें प्रताड़ित किया। वन क्षेत्रों में मुर्रूम एवं गिट्टी के अवैध खनन पर कार्यवाही नहीं किए जाने से आम जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि खैरागढ़ वन मण्डल क्षेत्र में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तथा जनवरी-फरवरी 2019 में बड़े पैमाने पर प्रशासन के दबाव के चलते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मार्ग निर्माण में ठेकेदारों द्वारा वन विभाग के छोटे कर्मचारियों की अनदेखी कर वन क्षेत्रों में जंगल झाड़ी को काटकर अवैध मुर्रूम एवं गिट्टी इत्यादि निकाली जा रही है। किन्तु कुछ मार्गों पर अवैध उत्खनन व अवैध वृक्ष कटाई के प्रकरण दर्ज हुए हैं। प्रश्नांकित 09 मार्ग (1) उरतुली से चम्पाटोला (2) बिरखा से खैरानवापारा पैकेज क्रमांक CG 15-155 (3) कोपरो से ग्वालगुंडी पैकेज क्रमांक CG 15-156 (4) देवपुराघाटा से बांधाटोला पैकेज क्रमांक CG 15-159 (5) बेलगांव-सुकतरा से दान्दूटोला (6) बकरकट्टा से हाथीझोलाकला (7) टींगामाली-लक्षना से कटेमा (8) L037 से भेण्ड्रो पैकेज क्रमांक CG 15-154 (9) छुईखदान से भोथली मार्ग पैकेज क्रमांक CG 15-48 जो वन क्षेत्र से गुजरते हैं तथा 1980 के पूर्व के निर्मित हैं, के उन्नयन की सशर्त अनुमति वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ द्वारा दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रश्नांकित 06 मार्ग (1) खैरागढ़ से विक्रमपुर सीजी 15-144 (2) ढ़ारा से मुढ़ीपार से लक्षना सीजी 15-144 (3) गभरा से कोटरीछापर पैकेज

क्रमांक सीजी 15-157 (4) जुझारा से पटपर (5) भोथली भुजारी क्षेत्रा (6) गातापार से कौरवा राजस्व क्षेत्र में स्थित है ।

यह सही नहीं है कि उपरोक्त स्वीकृत मार्ग के निर्माण कार्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारी एवं प्रशासन के दबाव के चलते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्ग निर्माणकर्ता ठेकेदार के द्वारा वन विभाग के छोटे कर्मचारियों की अनदेखी कर वनभूमि से जंगल झाड़ी को काटकर अवैध मुरम एवं गिट्टी इत्यादि निकाली जा रही है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत परिक्षेत्र साल्हेवारा में कोपरो से ग्वालगुंडी मार्ग में जेसीबी से 215 वृक्षों को हटाया गया तथा 7927 घ.मी. मुरम का अवैध रूप से उत्खनन पाये जाने पर वन विभाग के द्वारा दिनांक 20.12.2018 को प्राथमिक वन अपराध प्रकरण (पी.ओ.आर.) दर्ज किया गया है तथा कोपरो से ग्वालगुंडी तक मार्ग उन्नयन के कार्य में अवैध उत्खनन कार्य में उपयोग किये जाने के कारण 1 पोकलेन वाहन दिनांक 20.12.2018 को जप्त किया गया । इसी प्रकार चोभर से बगारझोला मार्ग पर 76 घ.मी. मुरम का अवैध रूप से उत्खनन किये जाने से दिनांक 05.02.2019 को प्राथमिक वन अपराध प्ररकण (पी.ओ.आर.) दर्ज कर जे.सी.बी. (न्यू सोल्ड) वन विभाग द्वारा जप्त किया गया है ।

इस प्रकार अवैध उत्खनन का प्रकरण प्रकाश में आने पर वन विभाग के अमले के द्वारा तत्परता से वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है एवं प्रकरण की जांच प्रक्रियाधीन है । यह सही नहीं है कि 20 हजार से अधिक वृक्षों की कटाई हुई है तथा 10 हजार ट्रिप मुरम मिट्टी का अवैध उत्खनन ढाई वर्षों में किया गया है ।

यह कहना सही नहीं है कि तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर तत्कालीन वनमंडल अधिकारी द्वारा वन क्षेत्रों में मुरम मिट्टी पत्थर का अवैध खनन किया गया है । यह भी सही नहीं है कि वन विभाग के छोटे कर्मचारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा अवैध उत्खनन एवं वृक्ष कटाई की आपत्ति किये जाने पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों द्वारा नक्सली क्षेत्रों में सड़क निर्माण से अवैध उत्खनन को अनदेखी कर उन्हें प्रताड़ित किया गया है । वास्तविकता यह है कि मार्ग उन्नयन की अनुमति के तारतम्य में वन विभाग के अमले के द्वारा मार्ग उन्नयन कार्य पर सतत् निगरानी रखी जा रही है तथा यदि कहीं अवैधानिक कार्य किया जाना पाया गया है तो संबंधित के विरूद्ध वन अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । अत: आम जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, यहां लगभग-लगभग 70 से ऊपर सड़कें बन रही हैं और लगभग 150 करोड़ से ऊपर की प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की सड़कें यहां पर निर्माण की जा रही हैं । सड़कें जरूरत हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम होना

चाहिए, हम भी सहमत हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि ये जो सड़कें हैं, सड़कों के निर्माण करने वाले ठेकेदार हैं, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के ठेकेदार हैं, जब उन्होंने किसी भी राजस्व क्षेत्र से माईनिंग का कोई रायल्टी जमा नहीं की, कहीं से मुरम नहीं निकाला और छोटे-छोटे (पी.ओ.आर.) करके, छोटे-छोटे वन क्षेत्रों को (पी.ओ.आर.) करके सारी सड़कों में अवैध रूप से मुरम उत्खनन किया । मैं मंत्री जी से केवल तीन स्पेशिफिक प्रश्न पूछूंगा । पहला प्रश्न यह है कि क्या वन विभाग प्रत्येक सड़क जिनका मैंने नाम लिखा है, उसमें जो (पी.ओ.आर.) की राशि है और उसमें जितने घन मीटर मिट्टी बतायी गई, मुरम बताया गया है, अगर उससे अधिक मुरम वहां परिवहन करके लगाई गई होगी तो उसके लिए क्या आप जो माप पुस्तिका में घन मीटर मुरम का दिखाया गया, दर्ज कराया गया है, क्या आप इन सभी सड़कों की ओरीजनल माप पुस्तिका की जांच कराएंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि माप पुस्तिका से उसका मिलान किया जायेगा तो निश्चित रूप से हम कराएंगे ।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी जानकारी में 50 से ऊपर छोटे-छोटे (पी.ओ.आर.)वन विभाग के कर्मचारियों ने इन्हीं सड़कों में बनाये हैं और (पी.ओ.आर.) काटे जाने के बाद उसके बाद जो मात्रा पी.ओ.आर. ने दिखाई है, उससे लगभग किसी सड़क में 50 घन मीटर का पी.ओ.आर.बना है ।

समय :
1:20 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए.)

श्री श्रीवास

40 हजार घन मीटर वहां से मुरूम निकाला गया है । प्रधानमंत्री सड़क के जो कार्यपालन यंत्री और एस.डी.ओ. हैं, उन लोगों ने जाकर माप पुस्तिका का सत्यापन किया है, दर्ज किया है, कई जगह मुनाड़े के आसपास 20-20 फुट के गडढ़े मुरूम उत्खनन किया है । उसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यपालन यंत्री ने उसको प्रमाणित भी किया है और उसका भुगतान भी किया है । क्या ऐसे जो प्रभावशाली अधिकारी है, जो खुले आम वन क्षेत्रों में जाकर उत्खनन भी कराते हैं, उसके बाद छोटे कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के बाद में विशुद्ध रूप से कार्यवाही से बचते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि लगभग 20 हजार से ज्यादा झाड़ हट निकाले जा चुके हैं । प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर कार्यपालन यंत्री लोग दबाव डालकर काम करना जरूरी है । छोटे कर्मचारी वन को पूरा उजाड़ रहे हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या ऐसे क्लास 1, संदेश देने की बात है । क्या कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी जो इस तरह के चीजों को जो वन

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अधिनियम का खुला उल्लंघन कर रहे हैं । वहां पर उन्होंने खदाने खोल रखी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और है । यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वन क्षेत्रों में राष्ट्रीय कंपनियों के संरक्षित फारेस्ट एरिया में आयरन ओर के वहां पर एप्लीकेशन्स लगे हुये हैं, वहां पर पूरी तरह से मुरूम आयरन ओर है, क्या आप कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, प्रधानमंत्री सड़क के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो वहां सीधे तौर से जिम्मेदार है, क्या आप निलंबन की कार्यवाही करेंगे और ठेकेदार के विरूद्ध में अपराधिक प्रकरण दर्ज करेंगे ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्यों की स्वीकृति जो कार्यपालन यंत्री को दी गई थी, उसमें दो-तीन शर्तें लगाई गई है । वन क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के पत्थर को तोड़ने की अनुमति या उत्खनन की अनुमति नहीं होगी । पूर्व से ही निर्मित सामग्री का उपयोग उपरोक्त मार्ग के उन्नयन कार्य में किया जायेगा । वन क्षेत्र में किसी भी वृक्ष को न तो काटा जायेगा और न ही तोड़ा जायेगा । सड़क का चौड़ीकरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा । यदि चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा । माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, दस्तावेजों को देखने से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि अवैध रूप से मुरूम खोदा गया है और उसका उपयोग सड़क में किया गया है । पत्थर भी तोड़ा गया है, उसका उपयोग भी सड़क में किया गया है । इसलिए इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये जो वहां के कार्यपालन यंत्री वर्तमान में है, बलवंत सिंह पटेल, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को निलंबित करते हुये, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से वापस ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, आर.ई.एस. में भेजे जाने की घोषणा करता हूँ । इसके साथ ही खैरागढ़ वन मंडल के अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जितने भी मार्ग बन रहे हैं या बने हैं, में उपयोग किये गये, मिटटी, मुरूम, पत्थर, वन क्षेत्रों से अवैधानिक रूप से लाये गये हैं । इसकी जांच कर कार्यवाही की जायेगी । इन निर्माण कार्यों से संबंधित पेड़ों की अवैध कटाई की जांच कर कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आपने लौह अयस्कके संबंध में जो आपने बात उठाई, उस संबंध में समूचे खैरागढ़ वनमंडल क्षेत्र में लौह अयस्क के संबंध में जो बात उठाई, उस संबंध में समूचे खैरागढ़ वनमंडल क्षेत्र में लौह अयस्क के अवैध उत्खनन की जांच भी पी.सी.सी.एफ. स्तर के अधिकारी के द्वारा कराई जायेगी, इस बात की घोषणा करता हूँ ।

सभापति महोदय :- माननीय कुलदीप जुनेजा जी, अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें ।

श्री अजीत जोगी :- सभापति जी, एक छोटा प्रश्न इस पर मैं पूछना चाहता हूँ। आदरणीय मंत्री जी ने बहुत संतोषजनक उत्तर दिया है । मैं केवल यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि मैं उस इलाके में गया था, जंगल लगभग पूरा साफ हो गया है, आप वन मंत्री है, आपसे अनुरोध है कि यदि हो सके तो खुद

जाकर देखें । बड़े अधिकारियों को साथ ले जायें । जंगल का प्रतिशत हमारे प्रदेश में कम होते जा रहा है । जब राज्य बना तो 44 प्रतिशत था, इसरो की रिपोर्ट के अनुसार 41 प्रतिशत जंगल रह गया है । इस तरह की जो अवैध कटाई हुई है, वह केवल एक विभाग, वन विभाग के कारण नहीं हुई है । उसमें पी.डब्लू.डी. भी मिला हुआ है, उसमें आर.ई.एस. भी मिला हुआ है, उसमें पी.एम.जी.एस.वाय. भी मिला हुआ है, उसमें खनिज विभाग भी मिला हुआ है । वहां से लेकर लौह अयस्क जो मुरूम के नाम से लाते हैं, यहां की फैक्टरियों तक बिना रोक के लाया जा रहा है । इतना लंबा रास्ता, कोई कहीं चेक नहीं कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने बहुत संतोषजनक उत्तर दिया है कृपया ये जो वनों की कटाई हुई है और सब विभाग मिलकर किये हैं इसकी एक उच्च स्तरीय जांच कराईये और जितने भी लोग इसमें जवाबदार हैं उनको दंडित किया जाए?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछ लेता हूं फिर इकट्ठा जवाब दे देंगे। वनांचल क्षेत्रों में जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मंजूरी होती है, अधिकांश फारेस्ट विभाग और प्रधानमंत्री सड़क स्कीम के अंदर बहुत जगह विवाद पैदा होता है। जहां दोनों के बीच सामंजस्य नहीं होता है वहां विवाद होता है और जहां सामंजस्य हुआ वहां जंगल उजड़ जाता है। ये तो तय है कि जब ठेका होता होगा तो कोई क्वेरी फिक्स होती होगी कि गिट्टी कहां से लाना है, मुरूम कहां से लाना है। तो जब भी कोई भुगतान हो तो आप ये सुनिश्चित करेंगे क्या कि उस क्वेरी का पेमेंट बताये जिस क्वेरी को शासन द्वारा फिक्स किया गया हो। वह तो जंगल में सड़क से दो फिट किनारे में मुरूम और गिट्टी मिलती है और ठेकेदार लोग करोड़ों रूपये कमा लेते हैं। इसे भी सुनिश्चित करा दीजिए। सभापति महोदय, लोहे का जो पत्थर है वह बोल्डर सरीखे गोल-गोल रहता है। उसको जंगल से लेकर रायपुर तक आयेगा, कोई सिपाही, कोई दरोगा पकड़ ही नहीं सकता क्योंकि यह समझ में ही नहीं आता कि यह लोहा है लेकिन जब वह सिलतरा में उतरता है तो एक ट्रक लोहे की कीमत दो लाख रूपये से ज्यादा में बेचते हैं। मैं कई सफेदपोश लोगों को बेचते और ऐसा धंधा करते हुए सुना हूं। तो आपसे निवेदन है कि कम से कम खैरागढ़ और कवर्धा तरफ बैरियर लगवा दीजिए ताकि कम से कम लौह अयस्क की चोरी तो बंद हो। गिट्टी, मुरूम चोरी कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है पर लौह अयस्क की चोरी नहीं हो। आप सिलतरा के पास आदमी बैठवाईये, यहीं पर तो सब चोर लोहा बेचने के लिए लेकर आते हैं। तो क्वेरी का दिखवा लीजिएगा और लौह चोरी के बारे में भी आप कड़ी कार्रवाई जरूर करियेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

सभापति महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(4) **राजधानी रायपुर में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त करने वाले महामाया एग्रो एग्जिम के डायरेक्टर के विरूद्ध कार्यवाही न की जाना।**

श्री कुलदीप जुनेजा (रायपुर नगर उत्तर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- राजधानी रायपुर के रामसागर पारा वार्ड के अंतर्गत नगर निगम कॉलोनी के प्लाट क्रमांक 123 पर महामाया एग्रो एग्जिम डायरेक्टर द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उक्त भूखंड को अपने स्वामित्व का बताते हुए नगर पालिका निगम, रायपुर से उक्त भूखंड पर भवन निर्माण अनुज्ञा क्रमांक 43866 दिनांक 31.10.2018 को प्राप्त कर लिया गया है। इस अनुज्ञा को कार्यालय नगर पालिका निगम, रायपुर (छत्तीसगढ़) जोन क्रमांक 07 के पत्र क्रमांक 514, दिनांक 15.01.2019 द्वारा प्रतिसंद्दत कर दिया गया। कार्यालय नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 07 के पत्र क्रमांक 524/जोन 7/न.पा.नि./ 2019 रायपुर दिनांक 21.01.2019 द्वारा थाना प्रभारी, आजाद चौक, रायपुर को इस संबंध में राजकुमार दमानी के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया है। रामसागरपारा वार्ड रायपुर के नगर निगम कालोनी के प्लाट क्रमांक 123 पर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उक्त भूखंड को अपने स्वामित्व का बताते हुए नगर पालिका निगम रायपुर से उक्त भूखंड पर भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त कर लेने पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने नगर पालिका निगम रायपुर जोन क्रमांक 07 का पत्र प्राप्त होने के बावजूद थाना प्रभारी, आजाद चौक, रायपुर ने कोई कार्यवाही दिनांक 20.02.2019 तक नहीं की, वरन आजाद चौक थाना के प्रभारी व नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक, रायपुर द्वारा नगर निगम रायपुर से पत्र व्यवहार कर मामले में टालमटोल कर रहे हैं। नगर पालिक निगम जोन कमिश्नर 07 रायपुर से नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक, रायपुर द्वारा यह जानकारी मांगी गई है कि रामसागर पारा वार्ड अंतर्गत नगर निगम कॉलोनी के लिए कब व कितनी भूमि का भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, जबकि भू-अर्जन कलेक्टर रायपुर के द्वारा किया जाता है तो यह जानकारी नगर निगम रायपुर से मांगना समझ से परे है। नगर निगम जैसी संस्था के पत्र पर पुलिस विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, इससे पुलिस के प्रति आम जनता में विश्वास की कमी आ रही है। साथ ही आम जनता में गहरा रोष व आक्रोश व्याप्त है।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित कराया है उसमें शासन का वक्तव्य इस प्रकार है :-

यह कहना सही नहीं है कि कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दूसरों के भूखंड पर अपना स्वामित्व बताकर धोखाधड़ी करने के मामले प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल कार्यवाही किया जाना चाहिये लेकिन पुलिस द्वारा ऐसा नहीं किये जाने से

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भूखंड पर अपना स्वामित्व बताने की धोखाधड़ी के मामलों की रोकथाम नहीं हो पा रही है।

वस्तु स्थिति यह है कि जोन क्रमांक 07 नगर पालिक निमम रायपुर के जोन कमिश्नर द्वारा थाना आजाद चौक रायपुर में संलग्न दस्तावेजों के साथ पत्र दिया गया, जिसमें यह लेख है कि "रामसागर पारा वार्ड अंतर्गत स्थित नगर पालिक निगम कालोनी के प्लाट क्रमांक 123 पर महामाया एग्रो एग्जिम के डायरेक्टर राजकुमार दम्मानी द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखंड को अपने स्वामित्व का बताते हुए भवन निर्माण अनुज्ञा क्रमांक 43866 दिनांक 31.10.2018 को प्राप्त किया गया था, जिसको नगर निगम कार्यालय के पत्र क्रमांक 514 दिनांक 15.01.2019 द्वारा प्रतिसंहित कर दिया गया है। तत्संबंध में श्री राजकुमार दम्मानी के विरूद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।" उक्त पत्र की जांच नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक रायपुर द्वारा की जा रही है। जोन कमिश्नर द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी दिये गये आवेदन व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा दस्तावेज कूटरचित है। अत: इस संबंध में दिये गये आवेदन के जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा विवादित भूमि/कूटरचित दस्तावेजों के संबंध में जोन कमिश्नर नगर निगम रायपुर से जानकारी मांगी गई है। उक्त जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करने में कोई टाल-मटोल नहीं किया जा रहा है। जोन कमिश्नर से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होते ही साक्ष्य आधार पर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री कुलदीप जुनेजा (रायपुर उत्तर) :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक सहकारी संस्था नगर निगम ने स्पष्ट लिखा है कि एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर दूसरे के प्लाट पर अपने नाम से नक्शा स्वीकृत करा लिया है। पुलिस को अब उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करना है। क्या आप इसमें कार्यवाही का आदेश देंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सभापति महोदय, आवेदन जो दिया गया है उसमें सिर्फ ध्यान आकर्षण का विषय कूटरचित है। अगर वही दस्तावेज, पुलिस के द्वारा मांगा गया है जो दस्तावेज पेश किया गया है । इसमें कौन सा दस्तावेज कूटरचित है सिर्फ ये बतला दें हम तुरंत एफ.आई.आर करेंगे और एक मिनट के अंदर कार्यवाही करेंगे। पर जितना भी दस्तावेज दिया गया है, जैसे रामलाल लिखा गया है उसको कांटा गया है किसको जोड़ा गया है, किसमें व्हाईटनर लगाया गया है, कूटरचित कहां हुई है, ये बस बतला दें। हम आधा घंटे के अंदर एफ.आई.आर करवा देंगे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- सभापति महोदय, अपने नाम से स्वीकृत नक्शा नगर निगम से करवा लिया है। जब अपने नाम से स्वीकृत नक्शा करवा लिया है तो इसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सभापति महोदय, मैं वही तो कह रहा हूं। जो गलत हुआ है उसका दस्तावेज हमको दे दें।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी यही बात आप कह रहे हैं ये पुलिस विभाग उससे पूछ सकता है। इसमें विलंब तो हुआ है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सभापति महोदय, पुलिस विभाग तो पूछा है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, नहीं । नगर निगम से पूछा है। पुलिस विभाग एप्लीकेंट से पूछ लें। एप्लीकेंट से पूछ करके इसमें केस रजिस्टर कराईये। माननीय विधायक जी कह रहे हैं। उसमें तथ्य नजर आता है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सभापति महोदय, पुलिस विभाग ने नगर निगम में आवेदन दिया है। नगर निगम से ही पूछेंगे न।

श्री कुलदीप जुनेजा :- सभापति महोदय, नगर निगम से ही पूछिये कि गलत नक्शा उनके नाम से कैसे कर दिया गया है।

सभापति महोदय :- इसकी जांच करवा लीजिये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- सभापति महोदय, जांच करवा लीजिये।

सभापति महोदय :- किसी टी.आई. लेवल के ऊपर अधिकारी से जांच करवा लीजिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सभापति महोदय, उन्होंने प्रकरण आनलाईन आवेदन दिया। आनलाईन निकाला, स्वीकृत हुई, जब विवाद पता चला तो निरस्त कर दिया गया है।

सभापति महोदय :- नगर निगम के द्वारा निरस्त कर दिया गया है लेकिन कूटरचित कार्यवाही हुई है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सभापति महोदय, कूटरचित वाली बात ही नहीं आ रही है। वही तो मैं मांग रहा हूं। कूटरचित दस्तावेज दे दें तो तत्काल एफ.आई.आर होगी।

सभापति महोदय :- मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस विभाग उस व्यक्ति से जानकारी ले लें। उसमें कौन सा कूटरचित है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सभापति महोदय, आवेदनकर्ता दस्तावेज देगा तब हम अपराधी के पास से वसूल करेंगे न।

सभापति महोदय :- माननीय विधायक जी, आवेदनकर्ता पुलिस के पास जा के बता दें कि कौन सा दस्तावेज कूटरचित है। केस रजिस्टर हो जायेगा। माननीय मंत्री जी का आश्वासन है। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद 2 के उप पद (5) से (26) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

5. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
7. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
8. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य
9. सर्वश्री नारायण चंदेल, सौरभ सिंह, अजय चन्द्राकर, सदस्य
10. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
11. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य
12. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
13. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
14. सर्वश्री दीपक बैज, मोहन मरकाम, सदस्य
15. श्री शिशुपाल सोरी, सदस्य
16. श्री अरूण वोरा, सदस्य
17. रेखचंद जैन, सदस्य
18. श्री रामकुमार यादव, सदस्य
19. श्री गुलाब कमरो, सदस्य
20. सर्वश्री धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह, सदस्य
21. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, सदस्य
22. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, सदस्य
23. सर्वश्री धरमलाल कौशिक, नारायण चंदेल, भीमा मंडावी, सदस्य
24. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य
25. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
26. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य

समय :
1:36 बजे

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं</u>

सभापति महोदय :- नियम 267 "**क**"(2) को शिथिल कर आज दिनांक 1 मार्च, 2019 को मैंने सदन में 19 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री यू.डी. मिंज, सदस्य
2. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य
3. श्री मोहन मरकाम, सदस्य

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

4. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
6. श्री भीमा मण्डावी, सदस्य
7. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, सदस्य
8. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य
9. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
10. श्रीमती ममता चन्द्राकर, सदस्य
11. श्री अमितेष शुक्ल, सदस्य
12. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
13. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, सदस्य
14. श्री अजीत जोगी, सदस्य
15. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
16. श्री धरमलाल कौशिक
17. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य
18. श्री अरूण वोरा, सदस्य
19. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य

समय :

1:37 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री चक्रधर सिंह सिदार
2. श्री मोहित राम
3. श्रीमती छन्नी चंदू साहू

समय :

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

1:38 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) **छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019)**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूँ।

सभापति महोदय :- शासन की ओर से प्राप्त छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने 30 मिनट का समय निर्धारित किया है।

मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(2) **छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम(संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक7 सन् 2019)**

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम(संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम(संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) पर विचार किया जाये। श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, सरकार के द्वारा यह एक अच्छा संशोधन लाया गया है। समाज के ऐसे लोग जो सामान्य वर्ग से अलग हट करके हैं, उनको आप आरक्षण दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये संशोधन स्वागत योग्य है। पूर्ववर्ती सरकार ने पहले दिव्यांग लोगों का आरक्षण बढ़ाया था, 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया था, केन्द्र की सरकार ने भी इनका आरक्षण बढ़ाया है। इसमें हम समय पर संशोधन तो नहीं दे पाये हैं, पर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा

संशोधन/प्रकाशन के लिए नहीं

कि आपने जो दिव्यांग के लिए आरक्षण की बात की है इसमें 15 प्रतिशत से अधिक न हो, इसमें एक के बजाय आप आरक्षण दो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक पुरूष वर्ग से और एक महिला वर्ग से। एक महिला अनिवार्य कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योकि आधी-आधी आबादी दोनों की है। आपका संशोधन स्वागत योग्य है। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, समाज का ऐसा वर्ग जिनके लिए सरकारें योजनायें बनाती हैं, मगर सचमुच में उनको लाभ मिलना है या नहीं मिलता है, इस कारण नगरपालिका, नगरनिगम, नगरपंचायतों में अगर उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनके लोग वहां रहेंगे तो वे अपनी बात कह सकते हैं। हमारे जनघोषणा पत्र में दिव्यांगजनों को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया था। दिव्यांगजनों को सभी नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसके लिए नगरपंचायत, नगरपालिका निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में एक दिव्यांग व्यक्ति का नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। दिव्यांगजनों हेतु शासन के द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। दिव्यांगजनों को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आम निर्वाचन में दिव्यांगजनों के निर्वाचित नहीं होने की स्थिति में सभी नगरीय निकायों में एक दिव्यांग व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। नगरीय निकायों में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व होने से दिव्यांगजनों को समान अवसर प्राप्त होगा। माननीय सभापति जी जो सम्मान की बात है, कहीं न कहीं वह आत्मसम्मान की बात है, हमारी सरकार ने पहले भी जनघोषणा पत्र में बातें कहीं थी। इसीलिए आज माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी संशोधन विधेयक लाये हैं। मैं इसका समर्थन करते हुए सदन से आग्रह करता हूं कि सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, दिव्यांग लोगों के बारे में प्रावधान हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। उसमें उनको जितनी ज्यादा सुविधा दे करके आप मदद करने की मंशा रख रहे हैं, उसका बहुत स्वागत है। क्योकि इस देश में दिव्यांगों को मदद जरूरी मिलनी चाहिए और हमारे प्रदेश में जो नगरीय निकाय हैं, उसमें वह अपनी सेवा दे सकते हैं, उनकी भावना है, उनकी पीडा है, उसको समाहित करने का आपने जो प्रयास किया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। इसको अमल भी ठीक से लाईयेगा। उसमें बस ये मत देखियेगा कि ये कौन पार्टी का है और कैसा है। जो सही

मायने में दिव्यांग हो, उनको ही मौका दीजियेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री शैलेष पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया द्वारा जी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) का मैं समर्थन करता हूं और स्वागत भी करता हूं। चूंकि यह देखा गया है कि जिसके घर में दिव्यांग बच्चा हो, वह बहुत ज्यादा उपेक्षित महसूस करता है और उसका जीवन उसको एक दुर्भाग्य जैसा लगने लगता है। केवल उसको ही नहीं, उसके परिवारवालों को भी लगने लगता है और एक बोझ जैसी स्थिति उसके परिवार के अंदर आती है । चूंकि वह यह सारी चीजें देखता है तो अपने आपको बहुत उपेक्षित महसूस करता है और दुर्भाग्यजनक बात है । यह सामाजिक व्यवस्था भी आज हमारी कुछ ऐसी ही हो गयी है । आज छत्तीसगढ़ शासन, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने जो एक बड़ा दिल रखते हुए, एक सहानुभूति रखते हुए दिव्यांगजनों को एक प्रतिनिधित्व मिले इससे उनका सम्मान भी बढ़ेगा और वे अपने आपको सम्मानित महसूस करेंगे, उनका घर सम्मानित महसूस करेगा और सारे दिव्यांग बच्चे सम्मानित महसूस करेंगे । मैं इसका पूरा-पूरा समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं और यह हमारी विधानसभा के लिये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, हमें इसका स्वागत डेस्क को जोर से थपथपाकर जरूर करना चाहिए । धन्यवाद ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम संशोधन विधेयक, 2019 जो लाया गया है । मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और यह सराहना करता हूं कि ऐसा कार्य आपके द्वारा लाया गया है और माननीय मंत्री जी से एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो भी दिव्यांग साथी हैं, नगरपालिका के अंतर्गत जितने भी छत्तीसगढ़ में सुलभ शौचालय हैं, वहां उनके व्यवसाय की दृष्टि से हम दिव्यांग भाई लोगों को वहां नौकरी की व्यवस्था करें ताकि कम से कम अपाहिज दिव्यांग को वहां बैठे-बैठे रोजगार मिल सके इसका भी आने वाले समय में ध्यान रखेंगे । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का पूरा समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय नगरीय प्रशासन विकास मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधक) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) का समर्थन करती हूं और साथ ही इस बहुत ही पुनित कार्य के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी को और नगरीय प्रशासन मंत्री जी को साधुवाद देना चाहती हूं कि समाज के एक विशिष्ट वर्ग का राजनैतिक योगदान में आरक्षण का जो प्रावधान किया है और उसके लिये जो संशोधन किया है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) को संशोधित करने हेतु आज सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया है । वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हेतु जारी जनघोषणा पत्र में दिव्यांगों को सम्मान देने तथा उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये इस वर्ग से निर्वाचित न होने पर दिव्यांग को नगरीय निकाय में मनोनीत करने का उल्लेख किया गया था । जनता से किये गये इस वायदे को पूरा करने के लिये हमारी सरकार ने आज यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है । दिव्यांगों को प्रगति के समान अवसर प्रदान करने हेतु राज्य शासन कृतसंकल्पित है । प्रस्तुत विधेयक के प्रावधानों से दिव्यांगों को नगरीय निकायों में अपनी समस्याएं और अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा । प्रस्तुत विधेयक में नगरीय निकायों, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगरपंचायतों में न्यूनतम एक दिव्यांग व्यक्ति निर्वाचित नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन को संबंधित नगरीय निकाय में 1-1 दिव्यांग व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने के अधिकार का प्रावधान किया गया है । राज्य में नि:शक्तजनों की संख्या जनगणना 2011 के आधार पर लगभग 6 लाख 24,937 है जिसमें से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले पंजीकृत दिव्यांगों की संख्या 2 लाख 77,109 है । इस विधेयक के पारित होने से प्रदेश के 13 नगर-निगमों, 44 नगरपालिकाओं एवं 111 नगर पंचायतों इस प्रकार अधिकतम 168 दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा । माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सभी साथियों ने समर्थन किया है, इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधक) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधक) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- अब विधेयकों के खंडों पर विचार होगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयका का अंग बने ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है पूर्णनाम एवं अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्णनाम एवं अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक 2019, (क्रमांक 7 सन 2019) पारित किया जाए ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक 2019, (क्रमांक 7 सन 2019) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

3. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8, सन 2019)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8, सन 2019) पर विचार किया जाए ।

समय :
1:52 बजे

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक में कुछ शंकाएं हैं । मैं चाहता हूं कि भारसाधक मंत्री इन शंकाओं को दूर करें । मुझे तो यह विधेयक त्रुटिपूर्ण लगता है । यदि इसको चर्चा हेतु परिचालित करना है । सभापति जी, आपसे आग्रह है कि यदि आप मूल विधेयक देखेंगे और संशोधन विधेयक को देखेंगे तो धारा 2 में, मूल अधिनियम में भाग-3 (क) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए । उसमें सीधे "ख" है और मूल अधिनियम में पहले से "ख" मौजूद है । नया जो जोड़ रहे हैं वह ख है या कुछ और है । पहले इसमें सपष्टीकरण आ जाए । क्योंकि मूल अधिनियम में पहले से "ख" मौजूद है और उसमें लिखा है कि "ख" में जोड़ा जाए । ये है क्या चीज, हम किस पर बहस करेंगे ? आप मूल अधिनियम को देख लीजिए और संशोधन विधेयक को । सभापति महोदय, इसी तरह मेरा दूसरा विषय यह है कि ये चीजें क्लीयर हो जाए तो फिर हम चर्चा शुरू करेंगे । आपने मूल अधिनियम में लिखा है - राज्य सरकार मोहल्ला समिति के गठन, अधिकारिता शक्ति तथा कृत्य, प्रीमियम तथा भू-

संशोधन/प्रकाशन के लिये नहीं

भाटक, अब इस संशोधन में सिर्फ प्रीमियम और भू-भाटक । इस पर विभाग की ओर से थोड़ी जानकारी आ जाए तो मैं उस पर बात करूंगा । बाकी राज्य मोहल्ला समिति के गठन, अधिकारिता, शक्तियां इसके बारे में संशोधन में कुछ नहीं कहा गया है । 6 में है कि "राज्य सरकार, प्रीमियम तथा भू-भाटक से संबंधित विषयों को सम्मिलित करते हुए, इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।" ये दो विषय हैं । बाकी विषयों में जो 6 का मूल अधिनियम है उसमें साइलेंट है । अब उसके दुष्प्रभाव क्या पड़ रहे हैं? आप यदि उपबंधों को पढ़ेंगे तो उद्देश्यों के बाद जो पट्टा दिया जाएगा जोकि 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार द्वारा नियमित गठित समिति विहित प्रक्रिया के तहत किसी गंदी बस्ती को हटाने, अन्यत्र व्यवस्थापन करने का विनिश्चिय करेगी। संशोधन में आपने सिर्फ भू-भाटक और विधेयक कहा है। मूल अधिनियम में जो मोहल्ला समिति है उसके बारे में संशोधन विधेयक ज्यों का त्यों रहेगा, क्या रहेगा ? यह उद्देश्य में नहीं है, न ही उपाबंध में है और उपाबंध में लिखा है कि राज्य सरकार की समिति उसे करेगी। तो इसलिए इन दोनों में पहले बात स्पष्ट हो जाए कि (ख) पहले से मौजूद है और (ख) और जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है ? इसके बाद हम इसमें चर्चा शुरू करेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जी चर्चा उठा रहे हैं ठीक है। वे दो नंबर को देख रहे हैं। इसमें चौथे नंबर में देखिए। उसमें लिखा है मूल अधिनियम में धारा 3 (क) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं संशोधन को पढ़ देता हूं। मूल अधिनियम धारा 3 (क) के पश्चात् जोड़ा जाए। 3 (क) के पश्चात् क्या जोड़ा जाए? उसके बाद तो नीचे (ख) है सीधे। तो 3 (क) (1) होता है हमेशा या 3 (क) (2) होता है या 3 (क) (3) होता है। हमेशा ऐसा ही होता है। अब 3 (क) में जोड़ा जाए है तो 3 (क) तो मौजूद है। या तो वह (क) होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। वह मैं भी देखा हूं। आप और दूसरे विधेयक निकलवाकर देख सकते हैं। 3 (क) (1) ऐसा कुछ होगा। तो यह त्रुटिपूर्ण है। दूसरी बात मैंने यह उठाई कि उपाबंध में जो लिखा है और 6 के जो संशोधन में लिखा है उसमें स्थिति स्पष्ट कर दें मैं क्रमशः चर्चा शुरू करूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय :- चलिए, आप अपना विषय रखिए। मंत्री जी आपके जवाब में दे देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा का मूल कार्य विधायी कार्य है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप यहां मौजूद हैं। किसी भी विधेयक को निकालकर देख लीजिए। 3 (क) में आप नई चीज जोड़ेंगे, वह 3 (क) (1), 3 (क) (2), 3 (क) (3) ऐसा लिखा रहता है। एक इसमें सिर्फ 3 (क) में यह जोड़ा जाए, यह लिखा है। दूसरी तकनीकी बात है कि जो मोहल्ला समिति है और दूसरी बातों का उल्लेख है, उसे आपने खत्म कर दिया। आपने सिर्फ दो विषय में अधिकार लिया है।

प्रीमियम में और भू-भाटक में। उपबंध में आपने लिखा है कि समितियां उसमें निर्णय करेंगी। तो जो प्रस्तुत विधेयक है उसमें संशोधन साइलेंट है। तो उसमें न कोई स्पष्टीकरण न तो उद्देश्य में है और न ही उपबंध में है कि बाकी जो समितियां हैं, उसका क्या होगा ? यदि ये चीजें नहीं होती हैं और आप किसी भी विषय में कानून बनाएंगे तो मैं तो नहीं समझता। अधिकारी भी मौजूद हैं। आप स्वयं मौजूद हैं। विभागीय मंत्री मौजूद हैं। इसमें यदि किसी तरह की बात कह जाए। मैंने तो कहा कि इसको क्लीयर कर दें, हम चर्चा शुरू करेंगे। तो क्या है उसको क्लीयर कर दें, हम चर्चा शुरू करेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- विहित किया जाए का मतलब है कि उसमें और आगे नियम बनाएंगे। शासन का जो एक्ट बनता है उसके बाद उसके नियम बनती हैं। तो जो नियम विहित किया जायेगा, मतलब है नियम बनाएंगे और उसमें आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। आप चर्चा करिए। चर्चा के बाद हम लास्ट में आपको बाद में जवाब भी देंगे।

सभापति महोदय :- चलिए, मंत्री जी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मुझे इस तरह की भाषा में हमेशा आपत्ति रही है। व्यवस्था है। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। वे कौन होते हैं मुझे निर्देश देने वाले।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- चर्चा करने के लिए निवेदन कर रहा हूं भई। चर्चा कर लीजिए आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय :- देखिए, आपने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। मंत्री जी का जवाब आ गया। आपको अपना विषय रखना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिए, ठीक है। जो मेरी समझ थी, उसमें ध्यान ला दिया। पर मैं (क) में जोड़ा जाए (1) (2) (3) इस तरह का विधेयक पहली बार देख रहा हूं। जो चीजें आप नहीं ले रहे हैं, उद्देश्य या उपाबंध में आते हैं, यह मैं पहली बार देख रहा हूं। पर कोई बात नहीं आपने निर्देश दिया। पहला है कि अधिनियम में विहित व्यक्ति संशोधन कहलाएगा, पहला आपने किया। 2002 के बाद 2019 इसका औचित्य क्या है, पहली बात तो यह है। 2019 आपने किया है तो 2002 से 2019 तक 17 साल जो लोग थे उसकी प्रक्रिया यदि कहीं पर लंबित है, कोई है तो उसका क्या होगा? यह विधेयक उसमें कुछ नहीं कहता। माननीय सभापति महोदय, आपने कहा है कि बंधक पट्टे, उपपट्टे दान के माध्यम से अंतरण कर देगा। भू-अभिलेख में इसका नामांतरण हो जायेगा। इसमें भी आपने सिर्फ तिथि बदली है। अब वही बात जो मैंने मुख्य रूप से उठाया था कि 17 साल में पट्टे में किसी भी तरह की कार्यवाही किसी भी तरह के विवाद, किसी भी तरह कोई भी चीज लंबित हैं, तो इसमें यह विधेयक क्या बोलता है? इसमें कोई बात नहीं है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, मैंने क्रमांक-4 में बात उठाई थी कि " मूल अधनियम में, धारा 3-क के पश्चात जोड़ा जाए। तो उसमें 'क' मौजूद है। मैंने यह आपत्ति ली कि यह त्रुटिपूर्ण है, लेकिन सभापति महोदय आपने आगे बढ़ने का कहा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्रमांक-4 के (क) में उल्लेख है कि " इस धारा के अधीन शिथिलीकरण के लिए केवल ऐसे प्रकरण ग्रहित किये जायेंगे, जिसमें मूल पट्टाधृति, 19 नवम्बर, 2018 को या इसके पूर्व प्रदान किया गया हो।" माननीय सभापति महोदय, इसके लिए वही चीजें हैं। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं जो क्रमांक-4 के (छ) में है कि विनिर्दिष्ट सीमाओं में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जो इसका मूल आशय है। नगर पंचायतों के लिए 1000 फीट के स्थान पर 1500 वर्गफीट, नगर पालिका के लिए 800 वर्गफीट के स्थान पर 1200 वर्गफीट और नगर निगम में 700 वर्गफीट के स्थान पर 1050 वर्गफीट तथा रायपुर के लिए 600 वर्गफीट के स्थान पर 900 वर्गफीट लागू होगी।

माननीय सभापति महोदय, यदि आप मूल अधिनियम देखेंगे तो आपने राजभोगीय को विलोपित किया है। राजभोगीय से मतलब है- रायपुर, जबलपुर, भोपाल,ग्वालियर, इन्दौर। अगर राजभोगीय को विलोपित किया है तो फिर रायपुर के लिए अलग एक्ट क्यों है ? या तो राजभोगीय को 'रा' कर दीजिये। मान लो यदि आप राजभोगीय को विलोपित करते हैं तो रायपुर के लिए 600 वर्गफीट क्यों है ? फिर उसके दूसरे नगर निगम की तरह करिये या पहले जो राजभोगीय हटा रहे हैं उसमें बिलासपुर,दुर्ग या भिलाई जैसे शहर हैं, बड़े नगर निगम हैं, जनसंख्या के आधार पर ही अविभाजित मध्यप्रदेश में राजभोगीय का मापदण्ड तय किया गया था। इसलिए उसको उस तरह से परिभाषित किया जाये। आप एक तरफ राजभोगीय को खत्म कर रहे हैं और रायपुर को विशिष्ट तरह से रख भी रहे हैं। तो यह तो सरकार का मत स्पष्ट नहीं है। विशिष्ट तौर पर आपको राजभोगीय को नई परिभाषा भिलाई,दुर्ग, बिलासपुर को मिलाकर देनी चाहिए, जो आज की जरूरत है। यदि आप राजभोगीय हटा रहे हैं, तो रायपुर को छोड़कर नहीं करना चाहिए। फिर रायपुर भी मुक्त रहे। तो फिर छत्तीसगढ़ में राजभोगीय नाम की चीज रहे ही क्यों ? उसका मतलब वही हो रहा है रायपुर को एक्ट में अलग कर रहे हैं, राजभोगीय भर को हटाकर के। माननीय सभापति महोदय, रायपुर के साथ यह अन्याय है। मैंने रायपुर के विधायकों को इस बात के बारे में कहा था। उनको ऐसे विषय में जरूर बोलना चाहिए। तो वैसे विषय में क्यों नहीं बोले, मुझे यह समझ में नहीं आया।

सभापति महोदय, संशोधन विधेयक के 3-घ में उल्लेख है कि यह 10 वर्ष में हस्तान्तरण हो सकेगा। मैं इस 10 वर्ष के बारे में फिर कहूंगा। सन् 2002 की तारीख और सन् 2019, अभी वे नियम बनायेंगे, जैसा कि महोदय ने कहा कि 10 वर्ष में हस्तान्तरण होगा। तो सन् 2002 से 2019 तक वह 10 वर्ष कौन सी अवधि होगी ? मैंने जो प्रश्न उठाया कि 17 साल का क्या होगा और 10 वर्ष की

अवधि ? माननीय सभापति महोदय, यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसको तो पट्टाधारी के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि आपने कहा है कि यदि पट्टा बेच दिया गया, जो-जो कर दिया गया, मैं अधिनियम में लंबे से नहीं जाना चाहता, तो दोबारा पट्टा नहीं मिलेगा। तो जब उसको नहीं मिलेगा तो आपको 10 साल, 05 साल रखने का कारण क्या है ? इसका औचित्य क्या है ? आप उसमें क्या मदद करना चाहते हैं ? आप उद्देश्य में इन गैपों को देखें, जो बीच का ब्रिज है। उद्देश्य या उपबंधों में किसी तरह का उल्लेख नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने तीसरी बात कही, जो उद्देश्यों में है। यदि इस बीच वह पट्टाधारी मर गया। उसने पट्टे को सबलेट कर दिया, दुकान खोल दिया, या बेच दिया, या दो भाईयों में बंटवारा हो गया, तो मान लो सबलेट में 17 साल से लिया है, तो उसका क्या दोष है ? उसको पट्टा मिलेगा या नहीं मिलेगा ? दो भाईयों में बंटवारा हो गया, उन्होंने जो 50 प्रतिशत बढ़ने की सीमा दिखाई है, उससे कम हो गया तो उसको नहीं मिलेगा। तो यदि परिवार बढ़ेगा तो भूमिहीन की परिभाषा, यदि वह मर जाता है तो सबलेटिंग में परिभाषा कौन मान्य होगा, यह आज तय करेंगे, कल नियम में तय करेंगे, क्या करेंगे ? यह पूरी तरह से अस्पष्ट है । जो विद्वान माननीय मंत्री बैठे हुए हैं, मैं तो एक ही मंत्री माननीय चौबे जी और राजा साहब के लिए उपयोग कर देता हूं, चौबे जी को रोज कोड करता हूं कि जब वे हर बात राजनीति से जोड़ते हैं तो वे हाऊस में सबसे ज्यादा एकदम पॉलीटिकल दिखते हैं । अब ये बताईये कि शहरी क्षेत्र के पट्टा बांटने का निर्णय कब हुआ था और क्यों रूक गया और किस स्परूप में था ? ये जानना जरूरी है, ये कहना जरूरी है, लेकिन मैंने मूल रूप से जिन बातों को उठाया, चाहे वह प्रक्रियागत हो, चाहे वह व्यवहारिक तौर पर हो, यह युक्तिसंगत नहीं है । ये तारीख बदलने का औचित्य कुछ भी नहीं है, राजभोगी को समाप्त करने का औचित्य नहीं है, राजभोगी समाप्त करने के बाद रायपुर को अलग दर्जा देने का कोई औचित्य नहीं है । जो अधिकारिता उन्होंने 6 नम्बर और मूल अधिनियम में कही, जिसके उपबंध में और उद्देश्य में कहीं नहीं है । ये उस गरीबों की सेवा के लिए, आवास बनाने के लक्ष्यों को पूरा नहीं करता, मैंने 10 साल की अवधि पर भी कही, उसके सब्लेट दान बेचने के बारे में भी मैंने कही कि उन लोगों का क्या दोष है, परिवार बढ़ाने की स्थिति में क्या होगा, किसको दिया जायेगा ? ये मौन है । इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और आपने समय दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और ये जरूर चाहूंगा कि हमारे विद्वान संसदीय कार्यमंत्री जी, जो मैंने तकनीकी बात कही थी, उसमें आज नहीं, कल नहीं, कभी भी उसमें मुझे जरूर अवगत कराएंगे ।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति

अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय, नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रहे गरीब वर्ग के हैं, जिनके पास पट्टा नहीं है, जो मकान में रहते हैं या मकान बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्थायी व्यवस्था देने के लिए पट्टा देने का प्रावधान इस विधेयक के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा किया गया है और इस विधेयक के पास होने से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, उसकी चिन्ता मंत्री जी ने की है। पिछली सरकार ने बड़ी-बड़ी घोषणा की थी कि हम नगरीय क्षेत्रों में 45 लाख लोगों को नजूल का पट्टा देंगे, मगर मैं कोण्डागांव की बात कहूं तो कोण्डागांव में मात्र एक व्यक्ति तो नजूल का पट्टा मिला था । पूर्व में हमारी सरकार रही है तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में राजीव आश्रम योजना के तहत गरीबों को, भूमिहीनों को पट्टा दिया गया था, उसके बाद भूपेश बघेल जी की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हम गरीब लोगों को पट्टा देंगे । छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृत अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में संशोधन की बात की गई है। मूल अधिनियम धारा 3 में उप-धारा (1) तथा (2) में शब्द और अंक 19 नवम्बर, 2002 के स्थान पर, शब्द और अक 19 नवम्बर, 2018 क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाये, धारा-3 में संशोधन की बात कही गई है ।

माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृत अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 में संशोधन, 2019 माननीय नगरीय प्रशासन विकास मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है । वर्ष 2018 में सम्पन्न छत्तीसगढ़ विधान सभा हेतु जारी जन घोषणा पत्र में किये गए वादों को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार एक कदम आगे है । जो कदम है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में निवासरत् भूमिविहीन कब्जाधारी परिवारों को उनके काबिज स्थल पर ही पट्टा प्राप्त हो सकेगा । इसमें न केवल उन्हें उनकी भूमि का मालिकाना हक प्राप्त होगा, अपितु वे विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजना मोर जमीन, मोर मकान के अंतर्गत 2.29 लाख रूपये की अनुदान राशि प्राप्त कर अपना पक्का मकान बनाने का स्वप्न साकार कर सकेंगे । हमारी सरकार कहीं न कहीं चिन्ता कर रही है, जो खुद का जमीन होगा, खुद का मकान होगा, ऐसी सोच माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार और हमारे माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिव डहरिया जी की सोच है । कहीं न कहीं गरीब तबके के लोगों को उनके जमीन का भी मालिकाना हक मिले, उनका मकान भी मिले, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है । माननीय सभापति जी, इस विधेयक में हमारी सरकार के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे परिवार जो अपने ही घर में छोटी-मोटी किराये के सामग्री की दुकान या चाय इत्यादि का होटल चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके भी पटटे के नियमितीकरण का

प्रावधान इस संशोधन विधेयक में किया गया है । जिससे कि घर के साथ-साथ अपना जीवन यापन कर सके । इसके लिए मैं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ । समाज के गरीब वर्ग के प्रति अच्छी सोच रखकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । माननीय सभापति जी, कहीं न कहीं ऐतिहासिक निर्णय मैं कहूंगा क्योंकि 15-20 सालों से लोग, तत्कालीन सरकारों ने जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, जो उनको अधिकार मांगते थे, उनको पिछली सरकारों ने हमेंशा उजाड़ने का काम किया है । मगर हमारी सरकार उनको बसाने का प्रयास कर रहा है । ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं सदन से आग्रह करता हूँ कि सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करके सभी को जो जीने का अधिकार है, सभी को उनका जो सपना है, सब का अपना घर हो, सब का अपना मकान हो, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है । उसके लिए मैं माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी को, धन्यवाद देते हुये अपनी बातों को विराम देने से पहले सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करने का आग्रह करता हूँ ।

सभापति महोदय :- श्री शैलेष पाण्डेय ।

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद । सभापति महोदय जी, डॉ. शिवकुमार डहरिया, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विकास मंत्री द्वारा जो आज छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति

भूमिहीन व्यक्ति (पटटाघृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक 2019 (क्रमांक 8 सन 2019) लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ । माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में और हमारे प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत अच्छी-अच्छी नौकरियां करते हैं । माननीय सभापति महोदय, आप भी ऐसे घराने से हैं, आप भी जानते हैं, जिस क्षेत्र से हैं, पूरी जिंदगी भर व्यक्ति शासकीय नौकरी करता है । वह अपने घर का पालन-पोषण करता है । जब वह रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट के समय पैसा मिलता है, तब जाकर वह अपना मकान बनवा पाता था, तब वह जाकर अपने परिवार के लिए निश्चित काम कर सकता था । यह हमारे देश में यह स्थिति है । चूंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए भवन नहीं है, यानी की हमारे प्रदेश में भूमिहीन और भवनहीन बहुत सारे लोग हैं । हमारी सरकार ने जो जनघोषणा पत्र में वादा किया था, उन वादों के अनुरूप अगर उन्होंने ऐसे लोगों के लिए प्रावधान किया है जिससे कि उनको पटटा मिल सके, जिससे कि परमानेंट अच्छा छत मिल सके, जिससे कि उनका जीवन-यापन हो सके । मैं इसका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और इसका पूरा-पूरा समर्थन भी करता हूँ ।

सभापति महोदय :- श्री देवेन्द्र यादव ।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुये अपनी बात सदन के सामने रखना चाहता हूँ । माननीय सभापति महोदय, पिछले पन्द्रह सालों से उस समय तो हम लोग स्कूल में थे, तब से देख रहे थे कि हमारे आसपास के मोहल्ले, आसपास के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, वह पटटा का था । धीरे-धीरे वर्ष 2008 का चुनाव देखा, हमने 2008 के चुनाव का घोषणा पत्र पढ़ा। पढ़ा तो देखा उसमें फिर लिखा है पट्टा दिया जायेगा। फिर वर्ष 2013 का घोषणा पत्र पढ़ा। देखा उसमें भी लिखा था कि पट्टा दिया जायेगा। पट्टा, पट्टा, पट्टा, पट्टा सुनकर कनपट्टा फट गया लेकिन 15 साल में पट्टा नहीं मिला । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डहरिया जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इस सदन में उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये पट्टे के नाम पर जो पिछले 15 साल से राजनीति हो रही है वह राजनीति खत्म होकर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आज उनका अधिकार मिल रहा है, उनको रहने के लिए स्थान मिल रहा है। इससे बड़ा न्याय ये सदन नहीं कर सकता, इससे बड़ा न्याय कोई सरकार नहीं कर सकती जो कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय डहरिया जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसका मैं बहुत अभिनंदन, स्वागत और समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 के पीछे सरकार का जो भाव है तो आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? इस विषय की कुछ बातों पर माननीय अजय चन्द्राकर जी के द्वारा राजभोगी रायपुर में, जो शब्द 2002 के स्थान पर शब्द अंक 19 नवंबर, 2018 क्रमश: स्थापित किया जाए। जिन लीगल बिंदुओं को अजय चन्द्राकर जी के द्वारा रखा गया है सरकार उसको स्पष्ट करे किन्तु आपने निर्देश दिया कि मंत्री जी जब जवाब देंगे तो इन बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे। वास्तव में आज हम लोग खास करके नगरीय क्षेत्रों में देख रहे हैं कि नगरीय क्षेत्र में लोग वर्षों से बसे हुए हैं। हमारे जो नगर पंचायत हैं, नगरपालिका है, नगर निगम है और उसके साथ रायपुर की जो बात आई है उनके जो व्यवस्थापन की बात है और उस विषय में जो भ्रांति यहां उत्पन्न हो रही है कि इसमें जो जमीन उनके पास है इसमें उन बिन्दुओं पर बारीकी से अध्ययन करना आवश्यक है। आज लोग इतने लंबे समय से बसे हुए हैं कि उनके वारिसान बदल गये हैं। जो जमीन आवासीय थी, आवासीय की जगह उसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित हो गये हैं। जिन जमीनों पर वह काबिज हैं इसमें आपने जो नगर पालिका, नगर पंचायत के लिए कहा है कि यदि उससे अधिक जमीन हो गई तो उस जमीन का आप क्या करेंगे? यदि उस जमीन से हम उनको बेदखल करते हैं तो यह नये विवाद की स्थिति हर नगरीय निकाय में उत्पन्न होने की संभावना है। साथ ही आप नगरीय क्षेत्रों में देखेंगे कि वहीं पर छोटे-मोटे व्यवसाय के लिए उस जमीन को उपयोग में लाया जाता है और उस स्थिति में यदि आवासीय के बाद

यह कहा जायेगा कि यह जो व्यावसायिक है उसे हम नहीं देंगे, केवल आवास के लिए है तो यह अनेक भ्रांतियों से भरा हुआ है। इसलिए मंत्री जी चर्चा के दौरान अपने उत्तर के समय इन सारी बातों को क्लीयर करें जिससे विवाद की नई स्थिति उत्पन्न न हो और ऐसी स्थिति आयेगी जो हमारी सोच है, जो हमारी कल्पना है, उसके आगे हमको सफर करना पड़ेगा। इसलिए श्री अजय चंदाकर जी ने जिन बिन्दुओं के ऊपर प्रकाश डाला है, उन बिन्दुओं को माननीय मंत्री जी क्लीयर करें और नहीं तो इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष साहब आप लोग पट्टा नहीं देना चाहते, आप लोग तो दिये नहीं। हमारी सरकार देना चाहती है तो आप विरोध कर रहे हैं, विरोध किस बात की। आपने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार करना चाहती है तो विरोध किस बात की।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, ये बहुत दुख का विषय है कि लोगों के अधिकार ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इसके पहले आप देखे हैं। कांग्रेस की सरकार वर्षों तक रही लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी से लोग बसे हुए हैं। एक पट्टा उन लोगों को नहीं दिया। यदि पट्टा देने का किसी ने प्रयास किया है तो माननीय डॉ. रमनसिंह जी ने किया है। उस क्षेत्र में जो पट्टा दिये गये हैं इसलिये हम लोग तो चाहते हैं कि ये आपका संशोधन आ रहा है उसमें उनको हटाने की बात, एक सीमा के बाद में कर रहे हैं। उसके जो लैंड उद्योग चेंज हो रहे हैं, वे सारी स्थिति पर क्लीयर करें । हम लोग उसके विरोधी नहीं हैं, ये संशोधन है उसको आप क्लीयर करें। हम लोग चाहते हैं कि मंत्री जी उसको पारित होने के पहले क्लीयर करेंगे, फिर बात रखेंगे ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधृति अधिकारों को प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 में संशोधन विधेयक 2019 आज सदन में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ चुनाव हेतु जारी जन घोषणा पत्र में शहरी क्षेत्रों में भूमि विहीन कब्जाधारी परिवारों को पट्टा प्रदान करने का उल्लेख किया गया था। जनता से किये गये इस वायदे को पूरा करने के लिये हमारी सरकार ने आज यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में 19 नवंबर 2018 के पूर्व कब्जाधारी परिवारों को उनके काबिज स्थल पर पट्टा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इससे प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में निवासरत 1 लाख 39 हजार 730 परिवारों को उनके भूमि का मालिकाना हक प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त होगा। (मेजों की थपथपाहट) वर्ष 1984 से लेकर 2003 तक तात्कालिन राज्य सरकार द्वारा जिन पट्टों का वितरण किया गया है और उनकी अवधि समाप्त हो गई है। ऐसे पट्टों का भी नवीनीकरण किया जायेगा, जिससे प्रदेश के

लगभग 65 हजार 780 परिवार लाभान्वित हो सकेंगे। प्रस्तावित संशोधन विधेयक में पूर्व में प्रदायित पट्टे के क्षेत्र में 50 प्रतिशत अधिक तथा संलग्न भूमि में किये गये कब्जे का भी नियमितीकरण किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिये पट्टे के क्षेत्रफल में भी वृद्धि किये जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। नवीन प्रावधान के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्रों में एक हजार वर्गफूट के स्थान पर 1500 वर्गफूट, नगरपालिका क्षेत्रों में 800 के स्थानों पर 1200 वर्गफूट तथा रायपुर को छोड़कर अन्य नगर निगम में 700 वर्गफूट के स्थान पर 1050 वर्गफूट तथा नगर निगम रायपुर में 600 वर्गफूट के सथान पर 900 वर्गफूट की अधिकतम सीमा तय किये जाने का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक में आवासीय प्रयोजन के स्थान पर किये जा रहे अन्य छोटे मोटे व्यावसायिक प्रयोजन की स्थिति में भी नियमितीकरण का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। आदरणीय नेता जी की चिंता थी कि व्यावसायिक प्रयोजन के लिये कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। छोटे मोटे व्यावसायिक प्रावधान, प्रयोजन होंगे तो उसका भी नियमितीकरण किया जायेगा। उसका भी प्रावधान हम नियम बना रहे हैं उसमें रहेगा। मूल अधिनियम में पट्टे के हस्तांतरण का प्रावधान नहीं होने के कारण वर्तमान में काबित परिवारों को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अंतरण का अधिकार 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त होगा। अंतरण की पंजीयन की प्रक्रिया पृथक से जारी की जायेगी। इस प्रकार इस संशोधन विधेयक में बहुआयामी प्रावधान किये गये हैं, जिससे वर्तमान में काबिज परिवारों को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त होगा एवं उन्हें शासन के अन्य आवास निर्माण योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा जिससे वे अपने घर में भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे । माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय, काबिल भाई अजय चन्द्राकर जी ने कहा था कि धारा संशोधन जो है वह समझ नहीं आ रहा है। वर्तमान में एक्ट में धारा 3-क है उसके बाद धारा 4 है। एक्ट में धारा 3-क के बाद 3-ख जोड़ा जा रहा है। ये क्रम में है।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी 3-ख मूल में ऑलरेडी मौजूद है। 3-क भी मौजूद है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उसमें साथ में जोड़ा जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय,मैं इसी बात को उठाया था कि वह धारा 3-क (1) होगा, यदि होगा तो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पट्टाधृति अधिनियम संसोधन विधेयक, 2019 से लाभांवित होने वाले हितग्राहियों का संख्यात्मक विवरण है। वर्ष 1984 में पहले 41 हजार, 937 पट्टे वितरित किये गये थे, उसका नवीनीकरण मात्र 3 हजार, 769 ही हो पाया था। अब इसका लाभ जो बचे हैं 38 हजार, 168 को होगा और प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत संभावित हितग्राहियों की संख्या लगभग 22 हजार, 900 होगी। वर्ष 1998 के पट्टे जो 48

हजार, 468 दिये गये थे, उसका एक भी नवीनीकरण नहीं हो पाया था। उसमें 3780 पट्टों का नवीनीकरण होना शेष है। वह भी इसमें किया जायेगा। वर्ष 2002 एवं 2003 में जो 15 हजार, 823 पट्टे प्रदान किये गये थे, 15 हजार, 823 पट्टों का नवीनीकरण नहीं हो पाया था। वह इसमें जो जाएंगे और लगभग 12 हजार, 609 को प्रधानमंत्री ...।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी। एक मिनट ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, क्या किया जायेगा। वितरित किये जायेंगे, अधिनियम बनेंगे, नियम, निर्देश बनेंगे। तब हो जाएंगे। वह विधेयक में कितना क्या होगा, उसके प्रभाव क्या होंगे, ये विषय चर्चा के नहीं होते हैं। मुख्य रूप से विधेयक की प्रवृत्ति पर जो हमने प्रश्न उठाये हैं। उद्देश्यों के कथन में विधेयक क्या है, हमने पढ़ लिया। हमने उपबंधों को भी पढ़ लिया है। पर यदि पारण उसका हो रहा है तो जो विषय उठाये गये हैं उसमें बिन्दुवार जवाब आना चाहिए, मेरा आपसे ये आग्रह है।

सभापति महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य जी ने कहा था कि मोहल्ला समिति के संबंध में कुछ किया जाये तो ये मोहल्ला समिति का संशोधन नहीं है और इसमें व्यवस्थापन का जो मामला है तो अधिकारियों की जो समिति बनेगी, उस संबंध में पृथक से नियम बनाये जा रहे हैं उसमें इसका सब प्रावधान रहेगा। उनकी सारी चिन्ताओं का हमको ध्यान हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं फिर कह रहा हूँ। चूंकि पारण के लिए आ चुका है फिर मैं कह रहा हूँ कि धारा 6 के मूल प्रावधान को देख लीजिए और संशोधित को आप देख लीजिए। आप भू-भाटक और प्रीमियम के लिए बोलें हैं और बाकी क्या रहेगा, मोहल्ला समिति और बाकी चीजें साईलेंट है, जो संशोधन है उसमें और आप उपबंध में लिखते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा नामित समिति को करेंगे, जिसका उल्लेख कर रहा है तो बाकी चीजें क्या होंगी ? उसमें दोनों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

सभापति महोदय :- चलिये, बोलिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, अब ये पूरा हो गया। मैं प्रस्ताव कर देता हूँ।

सभापति महोदय :- आपका विषय हो गया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, हां, हो गया।

सभापति महोदय :-चलिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, आपसे दो बातों का आग्रह है। हमारा विरोध नहीं है, हम तो इसकी स्पष्टता चाहते हैं कि रायपुर के साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है?

सभापति महोदय :- देखिये मंत्री जी का जवाब आ गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उसमे नहीं कह रहा हूं। हम तो उसमें सहमति देने को तैयार हैं।

सभापति महोदय :- देखिये, आपने विषय रख दिया।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, आज ऐतिहासिक दिन रहा। माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई।

04. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) के विषय में बोलने के लिए उपस्थित हुई हूं। इस संशोधन विधेयक का हम सब खुले दिल से स्वागत करते हैं और इसका समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इसमें नामनिर्दिष्ट पार्षदों का उल्लेख है और उसके साथ एक शब्द 'दिव्यांग' लिखा है। ये दिव्यांग शब्द को हम पहले विकलांग सुनते थे, जो सुनने में बहुत बुरा लगता था और ये शब्द हमें बहुत चुभता था और बहुत दु:ख भी होता था। लेकिन हमारे देश मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस शब्द को बदलकर 'दिव्यांग' शब्द का उपयोग किया। वास्तव में ये शब्द बहुत पवित्रता का प्रतीक है। इस शब्द को यहां पर उपयोग करते हुए, यहां पर कुछ बिन्दु हैं, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि यहां पर कुछ बिन्दु स्पष्ट नहीं हैं। चूंकि यह विधेयक यहां पर संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया है, आपने इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस पद के लिए एक महिला रहेगी या एक पुरूष रहेंगे। यदि आप पुरूष लेते हैं तो मेरा निवेदन है कि चूंकि मैं भी एक महिला हूं तो एक महिला को भी इस पद के लिए स्वीकार किया जाये। एक की बजाय आप दो पद ले लीजिए, वह ज्यादा उचित रहेगा। साथ ही साथ आपने यहां पर यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें निधि का प्रावधान रहेगा या नहीं? उनकी तनख्वाह और उनका भत्ता, इस विषय में यहां पर कोई उल्लेख नहीं है और साथ ही साथ चूंकि कुदरत ने जिन्हें दिव्यांग बनाया होता है उनमें एक बहुत खास बात होती है कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता उनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है । इस तरह अनेक प्रकार के दिव्यांग होते हैं यहां पर किस प्रकार के दिव्यांगों को आप लेंगे इसका उल्लेख नहीं है कि वे अष्टबाधित होंगे, मूकबधिर होंगे, श्रवणबाधित होंगे इस विषय का उल्लेख नहीं है । तीसरा बिंदु, इसके साथ ही साथ एक विषय और है कि यदि आप इस पद के लिये चूंकि कुदरत ने दिव्यांगों को यदि बनाया है और जैसा

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि मैंने पहले ही कहा कि उनमें एक खास बात होती है । एक संपूर्ण व्यक्ति के बजाय उन लोगों में एक ऐसी खास बात होती है कि वे एक विशेष क्षेत्र में ज्ञान या अनुभव रखते हैं और ऐसे लोगों को यदि प्राथमिकता दी जाये तो यह बहुत अच्छी बात है कि जिस क्षेत्र में उनकी रूचि है या जिस क्षेत्र में वे विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं ये पद उन्हें दिया जाये तो यह बहुत अच्छी बात है । एक बिंदु और है चूंकि नगर पंचायत और नगरपालिका विशेषकर नगर पंचायत जो छोटे क्षेत्र होते हैं वहां पर दिव्यांगों का मिलना मुश्किल होता है तो यहां पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि अगर दिव्यांगों को यह पद नहीं दिया जायेगा तो क्या सामान्य वर्ग के व्यक्ति को इसका अधिकार है ? माननीय सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन था कि इन सब बिंदुओं पर विचार करते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं । धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह - xx

श्री प्रमोद कुमार शर्मा - xx

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) को संशोधित करने हेतु आज सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया है । वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हेतु जारी जनघोषणा पत्र में दिव्यांगों को सम्मान देने तथा उनका जन प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये इस वर्ग से निर्वाचित न होने पर दिव्यांग को नगरीय निकाय में मनोनीत करने का उल्लेख किया गया था । जनता से किये गये इस वायदे को पूरा करने के लिये हमारी सरकार ने आज यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है । दिव्यांगों को प्रगति के समान अवसर प्रदान करने हेतु राज्य शासन कृतसंकल्पित है । प्रस्तुत विधेयक के प्रावधानों से दिव्यांगों को नगरीय निकायों में अपनी समस्याएं और अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा । प्रस्तुत विधेयक में नगरीय निकायों, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगरपंचायतों में न्यूनतम एक दिव्यांग व्यक्ति निर्वाचित नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन को संबंधित नगरीय निकाय में 1-1 दिव्यांग व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने के अधिकार का प्रावधान किया गया है । राज्य में नि:शक्तजनों की संख्या जनगणना 2011 के आधार पर लगभग 6 लाख 24,937 है जिसमें से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले पंजीकृत दिव्यांगों की संख्या 2 लाख 77,109 है । इस विधेयक के पारित होने से प्रदेश के 13 नगर-निगमों, 44 नगरपालिकाओं एवं 111 नगर पंचायतों इस प्रकार अधिकतम 168 दिव्यांगजनों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा ।

माननीय सभापति महोदय, हमारी बहन श्रीमती रंजना जी की चिंता है कि उसमें महिलाओं को भी प्रतिनधित्व मिलना चाहिए । निश्चित रूप से महिलाओं को पूर्ण प्रतिनिधित्व मिलेगा और हम नगर-निगमों में एक के स्थान पर दो लोगों को नामांकित करने की व्यवस्था करेंगे जिसमें एक महिला को भी

उसमें रखा जायेगा और दिव्यांगों को रखना है तो उसमें महिला और पुरूष दोनों रह सकते हैं । उसमें कहीं कोई भेद करने का सवाल ही नहीं है और उनको मानदेय देने की बात है, तन्ख्वाह तो नहीं देते, हम लोग मानदेय देते हैं । अधिनियम में जितना प्रावधान है, उतना जो मनोनीत होंगे उनको भी दिये जाने का प्रावधान है ।

श्रीमती रंजना डीपेंद्र साहू :- माननीय मंत्री जी, उनकी निधि ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- निधि भी मिलेगा, जितना निधि सब लोगों को मिलता है उतना निधि उनको भी मिलेगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापित महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

सभापित महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

...श्री कुरैशी

कुरैशी\01-03-2019\d18\02.40-02.45

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है पूर्णनाम एवं अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्णनाम एवं अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा है कि हमारे 13 नगर निगम हैं । इन नगर निगमों में हम 1 महिला, 1पुरूष को नामांकित करेंगे। माननीय सदस्यों की चिंता थी कि 2 होना चाहिए । हम नगर निगम में उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1 ही रहेगा । ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूं ।

सभापति महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2019, (क्रमांक 9 सन 2019) पारित किया जाए ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2019, (क्रमांक 9, सन 2019) पारित किया जाए ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2019, (क्रमांक 9, सन 2019) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

5. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10, सन् 2019) पर विचार किया जाए ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10, सन् 2019) पर विचार किया जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय उच्च शिक्षामंत्री जी के डिमांड पर और विनियोग पर मैंने एक बात कही थी कि "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" की उपलब्धियां क्या हैं ? मंत्री जी नवजवान हैं, संभावनाओं वाले हैं । लेकिन जो उनका पहला निर्णय आ रहा है, सरकार का पहला निर्णय आ रहा है, जिसका मैं उल्लेख करूंगा, उसी कारण मैंने इस विधेयक में संशोधन दिया है और जब उसके खंडों पर विचार होगा तो फिर मैं अपनी बात कहूंगा। लेकिन आप पूरी दुनिया में देख लीजिए । माननीय सभापति महोदय, यह छत्तीसगढ़ है, जिसने हिन्दुस्तान में सबसे पहले निजी विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया । उस निजी विश्वविद्यालय अधिनियम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के अनुसार, उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय बनाने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़, जिसके सारे अधिनियम किन्हीं न किन्हीं स्वरूप में परिवर्तित होकर भारत के विभिन्न राज्यों में लागू हुए । सभापति महोदय, 1400 के आसपास, 1400 से कुछ साल आगे ब्रिटेन में या यूरोप में यूनिवर्सिटी बननी शुरू हुई । जब यूनिवर्सिटी बननी शुरू हुई तो उसमें सबसे पहले जो ध्यान रखा गया, वह उसकी स्वायत्ता का, उसकी आटोनॉमी । शिक्षा के क्षेत्र को उस संस्थान को हम शोध की संस्था बनाएं । डिग्री देने की संस्था न बनाएं । उनके आचार्यों को, उनके अधिष्ठाता का, उनके सारे लोगों का सम्मान हो और बड़े से बड़ा आदमी चाहे वह प्रधानमंत्री हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, गुरू हो फलां हो जितने बड़े लोग रहे हों यदि किसी सुस्थापित संस्थान में प्रवेश करते थे। उस कार्य परिषद में यदि नॉमिनित होकर भाग लेने जाते थे तो बोल भी नहीं पाते थे। वह गुरूओं का दबाव होता था। वह कार्य परिषद का दबाव होता था। वह विद्या

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

परिषद का दबाव होता था। जब हमारी सरकार आयी तो छत्तीसगढ़ की पहली उपलब्धि थी। वह उपलब्धि यह थी कि हम कोर्ट को समाप्त कर दिये। जब हम निजी क्षेत्र लाये तो निर्णय का स्टेप अलग-अलग नहीं होना चाहिए। उसके जो सारे पॉवर हैं हमने इसी को दे दिया और हम इस बात के प्रबल समर्थक थे कि जो यूनिवर्सिटी या अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं, वे अधिकतम स्वायत्तता प्राप्त करें। दुनिया की इतनी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं किन्तु हिन्दुस्तान से क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है? या छात्र जो उस दिन विषय में आया था कि बाकी छात्र कहां जाते हैं। बाकी छात्र इसलिए बाहर जाते हैं कि आपकी संस्थाओं को आपने इतना नियंत्रित किया है, उनको इतनी मदद नहीं दी है कि वे अपने पैरों पर खड़ा न हो सकें और नये भारत के अनुरूप, नयी दुनिया के अनुरूप अपने आपको तैयार कर सके। छत्तीसगढ़ में जब आप किसान की बात करते हैं तो किसान के पुत्र भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए भी वह शोध विद्या का केन्द्र बने पर सरकार की नीयत क्या है? उच्च शिक्षा में पहला संशोधन विधेयक आया। माननीय सभापति महोदय, जिस चीज पर मैंने संशोधन दिया है। राज्य शासन की अनुशंसा पर कुलाधिपति। उस दिन भी मैंने उल्लेख किया था कि कुलपति महोदय ने दुर्ग के हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने इस्तीफा दिया। अभी तक उसका इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ। अब जब इस्तीफा स्वीकृत करना है तो क्या किया जाए? आपने दबा दिया, मार दिया, क्या कर दिया। मुझे नहीं मालूम। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। समाचार पत्रों में भी छपा कि बाकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी धारा 52 का इस्तेमाल करके हटाये जा सकते हैं और यदि ऐसा छपा या छपवाया गया तो उन शिक्षाविदों का इससे बड़ा अपमान छत्तीसगढ़ में और कुछ नहीं हो सकता। कुलपति पद पर उसकी मृत्यु, त्याग-पत्र, छुट्टी, रूग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में जो मूल अधिनियम है, मैं उसे पढ़ रहा हूं। अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है। कुलाधिसचिव और यदि कोई भी कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य शासन की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिए नाम निर्देशित किया गया। किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य या राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का कोई अधिकारी कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जो ऐसी रिक्त भरने के लिए धारा-13 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। परन्तु इस उपधारा में अनुध्यात व्यवस्था 6 मास से अधिक की कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी। माननीय सभापति महोदय, अब यह बताइए। कहां हैं हमारे विद्वान माननीय संसदीय मंत्री जी। उस दिन मैंने कहां है पूछा तो माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तेजित हो गये थे। यानी सरकार का मानसिक स्तर क्या है, यह देखिए। पहला लेजिसलेशन होता है राजिम पून्नी मेला करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में पहला आता है तो आप कुलपति के त्याग-पत्र को

स्वीकार करने के लिए संशोधन ला रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा के लिए आपके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है। माननीय सिंहदेव साहब, आप वरिष्ठ मंत्री थे और आप इधर बैठते थे कि शिक्षा के संस्थानों पर किसी तरह कब्जा किया जाए। मैं इस पर संशोधन में फिर से बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो पहला संशोधन है उसी पर मैंने फिर से कहा है। राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का। माने आप किसको कुलपति नियुक्त करेंगे। मैंने संशोधन दिया है। इस विषय पर संशोधन में मैं सारे विषयों पर बात करूंगा। दूसरा संशोधन परिनियम पर है। दो संशोधन है। पहला परिनियम तो हमेशा राज्य सरकार बनाती है जब प्रस्तुत होता है तो। क्यों किसी तरह से यूनिवर्सिटी को स्वायत्तता दीजिए कि वह परिनियम बनाये। हर चीज के परिनियम मौजूद है। यदि कोई नई परिस्थितियां बनती है तो राज्य सरकार क्यों बीच में आती है, कुलाधिपति को भेज दे। जो संस्थाएं मौजूद है, जो सिस्टम मौजूद है, परिनियम पर आपकी क्या रूचि है, मुझे समझ में नहीं आता है। यदि कमओकेसन का परिनियम है, आपने अंग्रेजकालीन ड्रेस को बदल दिया। तो इसमें बताईये कि राज्य सरकार को क्या जरूरी है। एक नया विभाग खोल ले। किसी भी चीज का परिनियम, परीक्षा के परिनियम में कोई एक परिवर्तन करना है तो राज्य सरकार को क्या रूचि है। राज्य सरकार की सहमति से भेजे जायेंगे, राज्य सरकार यूनिवर्सिटी के बीच में क्यों आना चाहती है? क्या उसका उद्देश्य है ? तो परिनियम या जो मैंने कहा विशेष सचिव स्तर के अधिकारी, मैं उस पर संशोधन में बात करूंगा। लेकिन माननीय टी0एस0 सिंहदेव साहब, वे नवजवान मंत्री हैं, वे पढ़े-लिखे मंत्री हैं, आप यह काम करिये कि इतिहास उसको याद करें कि यूनिवर्सिटी को स्वायत्ता। मैंने कहा हमने कोर्ट समाप्त किया था। कोर्ट के सारे पावर इसी को, एक्जीक्यूटिव कौंसिल दिए थे। उससे आगे उमेश पटेल के नेतृत्व में या टी0एस0 सिंहदेव के मार्गदर्शन में संस्थाएं बढ़ी हैं। परन्तु आपके तीनों संशोधन प्रमुख रूप से नियंत्रणकारी हैं। हमको किसी भी तौर पर शिक्षा में सरकारी नियंत्रण स्वीकार नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आखिरी चीज जिस पर बोलना चाहता हूँ, वह एक लाईन का है। आप गहिरागुरू के नाम से एक संशोधन लाये हैं। हमने गहिरागुरू के नाम से कर दिया। आपके जो प्रशासकीय प्रतिवेदन आये हैं, आपने इसी वर्ष के जो बांटे हैं, आपने जिन संस्थाओं को प्रतिवेदन में उल्लेख किया है, उसमें आपने गहिरा गुरू के नाम से सरगुजा विश्वविद्याल को रखा है। मैं तो चाहूंगा कि यदि चिंतामणी महाराज जी चर्चा में भाग लेंगे, तो इस सरकार को जरूर देंगे। क्योंकि इस संशोधन के आने के पहले आपके सरकारी प्रतिवेदन में गहिरागुरू विश्वविद्यालय सरगुजा छपा हुआ है। यह प्रिन्टेड है। आपके प्रशासकीय प्रतिवेदन के पृष्ठ-4 में शासकीय विश्वविद्यालय क्रमांक-3 संत गहिरागुरू विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला-सरगुजा है। तो माननीय मंत्री जी एक्जीक्यूटिव आर्डर से हुआ हो, आर्डिनेंस से हुआ हो, जिसमें सरकार ने नामकरण किया हो, आप उसको अधिनियमित कर रहे हैं, मैं

उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। परन्तु परिनियम से लेकर दो चीजें लिखी है- इस्तीफा स्वीकार करने के लिए, कुलपति नियुक्त करने के लिए, मैं इसमें संशोधन दिया हूँ, मैं इसमें फिर से बात करूंगा। लेकिन इस विधयेक में सरकार के किसी भी नियंत्रण का विरोध करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय जी, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 14 में, उप धारा (6) के स्थान पर धारा 14 का संशोधन किया जायेगा, जिसका मैं समर्थन करती हूँ।

माननीय सभापति महोदय जी, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सरगुजा विश्वविद्यालय के नाम को संत गहिरा गुरू सरगुजा नाम से रखने का निर्णय लिया गया है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। महोदय जी, साथ ही संत गहिरा जी एक समाज सुधारक तो थे ही, साथ में वनवासियों के जीवन स्तर के उत्थान के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके उत्थान के लिए लगा दिया। साथ में मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय दिया है, जिसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय :- श्री शैलेष पाण्डेय (अनुपस्थित) श्री लालजीत सिंह राठिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। लालजीत सिंह जी राठिया जी को केबिनेट मंत्री या राज्यमंत्री का जो भी दर्जा प्राप्त हो गया हो, यह शासकीय कार्य चल रहा है । दर्जा प्राप्त व्यक्ति शासकीय कार्यों में भाग ले सकता है या नहीं ले सकता, इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- बधाई तो दे दीजिए ।

सभापति महोदय :- दर्जा प्राप्त व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार है।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय उच्च शिक्षा जी द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 क्रमांक (22 सन् 1973) पर संशोधित करने हेतु लाये गए विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। ये जो कुलपति जी की पद की नियुक्ति के लिए जो संशोधन विधेयक लाया गया है, ये स्थायी नियुक्ति नहीं है । इसमें सिर्फ 6 महीना के लिए संशोधन करने के लिए इसको लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा के नामकरण के लिए जो अधिनियम आया है, उसमें गहिरा गुरू हमारे आदिवासी वनांचल समाज के लिए जो पूरे सरगुजा...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप दूसरी बार के निर्वाचित हो न।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- जी हां ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, जब प्रतिवेदन में नाम छप चुका है, पर गहिरा गुरू के बारे में जितना भी बोलो, पर इधर धन्यवाद जरूर दो ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सभापति महोदय, गहिरा गुरू हमर पुरखा के, हमर समाज के देवता ए गा । जल, जंगल, जमीन बर सांवरबहार एक ठी जगह हे, सिरकोठ हे, यह हर झारखण्ड के बार्डर और हमर सरगुजा-जशपुर जिला के बार्डर में जो उनका आश्रम है । हमारे रायगढ़ जिला में भी गहिरा आश्रम है, जो हमारे आदिवासी वनांचल भाइयों का सादा जीवन उच्च विचार का उन्होंने मार्गदर्शन हम सबको किया है और हम लोग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, छत्तीसगढ़ी को ही आप लोग मत सीखिए, आप लोग धर्म, संस्कृति, गीता-रामायण, पुराण, वेद यहूं ला सीखे बर शिक्षा दिस, तेकर बर वह संस्कृत के विद्यालय स्थापित करिस, खोलिस । हमर गहिरा आश्रम में हर तरह के शिक्षा प्रदान करथे, हमर धर्म के, संस्कृति के, सादा जीवन के, एकर बर मैं समर्थन कर थौं कि हमर गहिरा गुरू और अधिनियम में लाए गए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा लाये गए विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया जाये । धन्यवाद ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आज माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में उच्च शिक्षा के अंतर्गत 8 शासकीय विश्वविद्यालय, 13 निजी विश्वविद्यालय, 252 शासकीय महाविद्यालय एवं 239 अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं । इन विश्वविद्यालयों में से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का सबसे प्रचीनतम विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना दिनांक 14 अक्टूबर, 1956 को हुई थी । इस विश्वविद्यालय में संगीत, कला, नृत्य आदि से संबंधित पाठ्यक्रमों का अध्यापन कराया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना दिनांक 1 मई, 1964 को हुई थी। बस्तर विश्विद्यालय, जगदलपुर की स्थापना दिनांक 1 अक्टूबर, 2008, सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2008, अटलबिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर दिनांक 25 जून 2012 एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, दिनांक 24 अप्रैल 2015से स्थापित है । कला विज्ञान वाणिज्य संकाय से संबंधित पाठयक्रमों का अध्यापन कराया जाता है । इसके अतिरिक्त दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम

से अध्यापन किये जाने हेतु 19 मार्च 2005 को पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार के अध्ययन एवं अध्यापन हेतु दिनांक 16 अप्रैल 2005 कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । मैं इन विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य के युवाओं में वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ज्ञान एवं शोधगामी दृष्टि विकसित करने के प्रयास जारी है । अत: मैं माननीय मंत्री जी के छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 का पुरजोर समर्थन करता हूँ ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री उमेश पटेल (उच्च शिक्षा मंत्री) :- माननीय सभापति महोदय, जो पहला संशोधन है, उसमें आदरणीय चन्द्राकर जी का संशोधन उसमें आया है । वे कई बार बोल चुके हैं कि मैंने संशोधन दिया है । उनकी समस्या शायद यह है कि राज्य सरकार के पास शायद नियंत्रण आ जायेगा । मैं उसका जवाब संशोधन प्रस्तुत होने पर चर्चा में बाद में बात करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धारा 36 और 38 के जो अलग भाग है, जिसमें परिनियम और अध्यादेश के बारे में कहा गया है, आदरणीय सभापति महोदय, समन्वय समिति की 24 वींबैठक 12-89-2014 को हुई। समन्वय समिति की 25 वीं बैठक 19-4-2017 को हुई । दोनों के बीच में अंतर था, दो वर्ष 8 माह । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस समन्वय समिति की 26 वीं बैठक 13-9-2018 को हुई । इस समन्वय समिति ने जो अनुशंसा की है, अनुशंसा इसलिए कि विश्वविद्यालय के कार्यों को सुगम बनाने के लिए है, समन्वय समिति की अनुशंसा के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने संशोधन का निर्णय लिया है । उस समन्वय समिति में कौन लोग थे । आप लोग थे । आप लोगों के ही विचार है । जब उसको हम लोग अमेंड करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें राज्य सरकार का नियंत्रण बढ़ जायेगा । यह कैसी बात है । हम लोग मानते हैं, हम इसके पक्ष में है कि विश्वविद्यालय के कार्यो को सुगम बनाया जाये, आसान किया जाये । सीधा राज्यपाल जी के पास भेजा जाये । समन्वय समिति की बैठक में दो-दो तीन-तीन साल का समय लगता है, कोई भी परिनियम या अध्यादेश के लिए इतना समय न लगे । इसलिए अमेंडमेंड लाया जा रहा है । आदरणीय चन्द्राकर जी, आप स्वयं उसके जानकार है । आप सब जानते हैं । हम लोग अलग-अलग जगह पर बैठे हैं तो जरूरी है, आप जानते हैं, आप इस बात से सहमत होंगे । आदरणीय सभापति महोदय, सरगुजा विश्वविद्यालय के स्थान पर संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा प्रस्थापित किया जाना है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संत गहिरा गुरू जी एक समाज सुधारक थे । उन्होंने वनवासियों के जीवन स्तर के उत्थान के लिए गहिरा गुरू को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया । संत गहिरा गुरू जी के प्रयासों से लोग अपने मूल संस्कृति की ओर वापस लौटे । इसकी मांग काफी दिनों से थी । आपने जो किया है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं । मुझे भी लगता है कि आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । मैं

तो आपसे आग्रह करूंगा कि सभी विधेयकों में जो बदलाव के प्रस्ताव लाये हैं, उसे आप सर्वसम्मति से पास करें । पूरे विधान सभा से यही मेरा आग्रह है । यही कहते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- इस विधेयक के खंड-2 में एक संशोधन है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) के खंड 2 में उपधारा 6 में जो शब्द जो राज्य सरकार की अनुशंसा पर कुलाधिपति के स्थान पर कुलाधिपति की अनुशंसा तथा शब्द राज्य सरकार के विशेष सचिव के अन्योन्न स्तर का कोई अधिकारी के स्थान पर कुलपति शैक्षणिक क्षेत्र का हो तथा उसे विश्वविद्यालय पद्धति में कम से कम 10 वर्ष के प्राध्यापक का अनुभव हो स्थपित किया जाए।

सभापति महोदय :- संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले संशोधन में अपनी बात रखते हुए कहा था फिर से उसको पढ़ देता हूं, मेरी दृष्टि से उसकी कोई जरूरत नहीं है, सरकार जैसा चाहे आगे करे। कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, रूग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य शासन की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई कुलपति, जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 13 की उप-धारा (1) या उप-धारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपना पद ग्रहण या पुन: पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

परंतु इस उप-धारा मे अनुध्यात व्यवस्था छ: मास से अधिक की कालावधि के लिए जारी नहीं रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मूल अधिनियम में अभी जो लाया गया है वह दुर्ग विश्वविद्यालय में स्थिति उत्पन्न हुई और आगे जो स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं कि कुलपतियों को हटाने का इसके लिए

अप्राधिकृत/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रावधान रहते हुए भी अपने हाथ में शक्ति लेने के लिए इस संशोधन को लाये हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं।

अब दूसरे संशोधन में कुछ बातें मैं आपको कहूंगा। मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यू.जी.सी. एक केंद्रीय अधिनियम से बना है। केंद्रीय अधिनियम के पहले मैं संविधान के अनुक्रमांक 251 को पढ़ देता हूं जिसमें आप यदि समवर्ती सूची देखेंगे तो समवर्ती सूची के 25 नंबर में जिसे कि राज्य की सूची और केन्द्र की सूची भी कहते हैं उस समवर्ती सूची के 25 नंबर पर शिक्षा भी है। आर्टिकल 251 छोटा सा है। संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन विधियों और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति । अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 की कोई बात किसी राज्य के विधान मंडल की ऐसी विधि बनाने की शक्ति को जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शक्ति है उसको निर्बाधित नहीं करेगी। किंतु यदि राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि का उपबंध, संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसके उक्त अनुच्छेदों में से किसी अनुच्छेदों के अधीन बनाने की शक्ति संसद को है किसी उपबंध के विरूद्ध है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी। चाहे वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उसका विरोध भी एक मात्रा तक परिवर्तनीय होंगी। किंतु ऐसा तभी तक होगा जब संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहती है। अनुच्छेद 251 में यह बात स्पष्ट है कि यदि दोनों कानूनों में कोई अंतर्विरोध होता है तो संसद के कानून मान्य रहेंगे। दूसरी चीज जो मैं दूसरे संशोधन में इसमें पढ़ना चाहता हूं मैं आर्टीकल 251 इसलिए पढ़ा क्योंकि यू.जी.सी. केंद्रीय अधिनियम से बना है। उसमें 7.3.0 में VICE CHANCELLER के बारे में लिखा है VICE CHANCELLER मेरा प्रणनसियेशन कुछ गलत होगा तो आप सुधार देंगे। Person of the highest Level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as Vice-Chancellors. The Vice-Chancellor to be appointed should be a distinguished academicians, with ba minimum of ten years in an equivalent position in a reputed research and / of academic administrative organization. यू.जी.सी केन्द्रीय अधिनियम से बनी है। मैंने 251 का उल्लेख किया ये केन्द्रीय नियम से बनी संस्था है। VICE CHANCELLER के बारे में इसका हिन्दी में भी मैंने लिखने की कोशिश की है। मैं हमेशा बोलता हूं गूगल से करता हूं, मैंने उस दिन पढ़ा तो भी बताया था। उच्चतर स्तर की योग्यता, अखंडता नैतिकता और संस्थागत योग्यता के व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाना है। कुलपति को होना है। नियुक्त‍ि‍ा न्यूनतम दस वर्षों के साथ एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना चाहिए। एक विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में अनुभव या एक से दस साल का अनुभव अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक रूप के समकक्ष हो। जो विशेष सचिव, जो संशोधन इन्होंने लाये हैं राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का कोई अधिकारी। अब मैं इसमें तीसरी बात पढूंगा, केन्दीय संविधान की मूल भावना के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खिलाफ, यू.जी.सी के गाईडलाईन के खिलाफ। अब तीसरी बात राजस्थान में 23 यूनिवर्सिटी है जिसमें से 7 यूनिवर्सिटी को आई.ए.एस को इसी तरह के नियम से सौंप दिये हैं। ये विशेष स्तर का है, विशेष स्तर में तो कई प्रकार के हैं। मैं यदि किसी का नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी। विशेष स्तर के जिसको आप बनाओगे, वे क्या करेंगे उसका अनुभव मेरे पास है, मैंने उस संस्थान में काम किया है। हाईकोर्ट में मात्र 20 दिन पहले निर्णय दिया है तात्कालिन कुलपति जे.पी.सिंघल के पी.एच.डी नहीं होने पर सवाल उठाते हुए पद की बात कही। बाद में सिंघल ने खुद ही पद छोड़ दिया । आप उस तरह के लोगों को नियुक्त नहीं कर सकते जो यू.जी.सी ने कहा है, यू.जी.सी ने उसके लिये गाईडलाईन तय किया है उसी की तरह नियुक्त किया जाये। मैंने संविधान का उपबंध इसलिए पढ़ा कि कंकरेंट सूची में होने के कारण आपके दोनों कानूनों में यदि वह स्थिति बनती है तो केन्द्रीय कानून प्रभावी होगा। आज की तारीख में इस सरकार के पास कोई काम बाकी नहीं है। सारे नियम कानून, सारे मापदंडों को शिक्षा के नैतिक स्तर को हटाकर, घटाकर, तोड़कर, फोड़कर किसी सरकारी आदमी के हाथ में सौंप दें और जैसा चलाना चाहें वैसा चलायें। जैसी डिग्री बांटनी हैं बांटे, जैसी नियुक्ति करनी हैं कर लें। कितनी यूनिवर्सिटी थी जिसमें उस पिरेड में नियुक्तियों की जांच हो रही है। आप कहें तो मैं बता दूंगा। आप एकडेमिक यूनिवर्सिटी नहीं चाहते। आप एक कठपुतली लोगों को बिठा के उसकी पूरी प्रणाली छत्तीसगढ़ को एक मध्ययुगीन दौर में ले जाने का एक षडयंत्र है।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- सभापति महोदय, क्यों गुस्से गुस्से में बात करते हो, थोड़ा धीरे बात करें हम लोग भी सुनेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, क्या है कि मैं सौ बार बता चुका हूं कि मैं कभी उत्तेजित नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं, संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं। विश्वविद्यालय की स्वायत्ता शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है । मैंने संविधान यू.जी.सी से लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले भी बताये। किसी को आवाज पर नहीं जाना चाहिए। विषय पर जाना चाहिए कि मेरा विषय इस विषय से बाहर तो नहीं है। ये एक छत्तीसगढ़ के साथ बड़ा षडयंत्र हो रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं पर किसी भी उस स्तर के अधिकारी या उस वेतनमान के किसी भी अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर का हो, कोई भी विभाग का हो । आप उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसके बैगग्राऊंड को देखिये जिसके पास विशेष सचिव स्तर के वेतनमान हैं उसका आप नियुक्त कर देंगे और बोलेंगे कि छत्तीसगढ के प्राईवेट और निजी कॉलेज मिला के 272 सरकार कॉलेज हैं, यू.टी.डी में इतने सारे कोर्स संचालित हैं। छत्तीसगढ़ को एक मध्ययुगीन के दौर में दुनिया स्वायत्ता की ओर बढ़ रही है । मैंने शुरू भाषण में यूनिवर्सिटी का का इतिहास बताया कि 1400 ईस्वी में यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुआ, उस दिन से दुनिया की हर प्राईवेट यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी प्राईवेट है जितनी दुनिया के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

टॉप एजुकेशन इंस्ट्टीयूट है। हमारे यहां का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। एक यूनिवर्सिटी, रायपुर यूनिवर्सिटी नेट मूल्यांकन में कुछ अंक पायी है और यदि आप नेट मूल्यांकन करवाते हो तो सबसे पहले इस बात को देखा जाएगा कि सरकारी नियंत्रण कितना है ? स्वायत्तता कितनी है ? जो उसकी मूल भावना है उसका सरकार रक्षण कर रही है या नहीं कर रही है ? मुझे दु:ख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस यूनिवर्सिटी की मूल भावना को जो लोगों ने सपना देखा था, उनको ये सरकार खत्म कर रही है, उसकी रक्षा कर पाने में असफल है।

माननीय सभापति महोदय, मैं फिर से अपील के माध्यम से ये कहूंगा कि यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता शिक्षा में नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में उनको काम करने की स्वतंत्रता, परिनियम बहुत छोटी चीज है। आप परीक्षा के परिनियम को बदल दें और कनवोकेशन के परिनियम को कुछ बदल दें। मैं इसलिए परिनियम पर ज्यादा बात नहीं बोला। ये दोनों चीजें यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता पर सीधे-सीधे आघात है। मैं फिर से अपील के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यदि छत्तीसगढ़ को शिक्षा का हब बनाना है, छत्तीसगढ़ के जो पिछड़े लोग हैं, वनवासी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं यदि उनकी ईमानदारी से सेवा करनी है तो हम इन संस्थानों को पैरों पर खड़ा होने दें। उनको निर्णय करें। एक विशेष सचिव स्तर अधिकारी के बारे में, उस वेतन मान के बारे में सारे लोग जानते हैं। ये नियंत्रण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन के लिए मैं कुछ बातें रखता हूँ। सर्वप्रथम तो ये संशोधन स्थायी वी.सी.के लिए नहीं है। स्टॉप गैप 6 महीने के लिए ये संशोधन जो किया गया है, अस्थायी वी.सी. बनाने के लिए किया गया है और स्थायी वी.सी. के नियम में कोई चेंज नहीं किया गया है।

समय :
3:14 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली चीज और दूसरी चीज, जो पहले अधिनियम है उसमें चेंज नहीं किया है। हमने सिर्फ एक लाईन बढ़ाई है। इससे आपका एरिया बढ़ता है। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। ऐसी चीजें हो सकती है कि आपके पास ऐसी व्यवस्था न हो जो अभी के अधिनियम में है। उस समय में आप क्या करेंगे ? इसलिए ये काम किया गया है। अगर आप यकीन नहीं कर रहे हैं, आप अभी सर हिला रहे हैं तो मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। मैं आपको उदाहरण दूं क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको कैसे निर्देशित करूंगा, आपको जो बोलना है, बोलिए ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 में आपकी सरकार थी। वर्ष 2008 में आपने क्या किया ? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 14(7) में क्या किया? आपने किसको बैठाया ? कमीशनर को, वह कौन था ? ठीक है, यह आपने वर्ष 2008 में किया। वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय है आपने वर्ष 2015 मे किसको बैठाया ? किसको बैठाया ? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। आप समझ गये होंगे, वर्ष 2008 में भी ये परिस्थिति बनी और वर्ष 2015 में भी ये परिस्थिति बनी। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय में धारा 52 के तहत आपने वर्ष 2015 में किया, जिसके लिए आप अभी इतने जोर से बोल रहे थे कि सरकार ये करने वाली है, इसको हटाने वाली है ये आपने वर्ष 2015 में किया। आपने बस्तर यूनिवर्सिटी में धारा 52 लगाया, आपने किसको बैठाया ? आप समझ गये होंगे ? सरगुजा विश्वविद्यालय में जो इस छत्तीसगढ़ इस विधेयक के अंतर्गत आता है। वर्ष 2017 में सरगुजा विश्वविद्यालय में आपने किसको बैठाया ? किसको बैठाया ? आप समझ गये, फिर से मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। आपने वर्ष 2017 में बैठाया। इस विधेयक के जो नियम हैं उसको उल्लंघन करते हुए, आपने ये बैठाया। (शेम-शेम की आवाज) आपने इस नियम का उल्लंघन करते हुए बैठाया। हम नहीं चाहते कि माननीय राज्यपाल जी से हम लोग ऐसा काम करवायें। वे हमारे सर्वोपरि हैं। हम उस नियम में बदलाव कर रहे हैं। क्योंकि आपने जिन परिस्थितियों को झेला है, वह परिस्थिति अगर आगे आए तो हम इसको संभाल सकते हैं। इसलिए ये काम किया जा रहा है। आपके पास चार उदाहरण है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में किसकी सरकार थी ? आपकी सरकार थी। आपने अधिनियम बनाया। किसका ? छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय वर्ष 2014, आपने बनाया। इसी नियम में आपने क्या लिखा है, जिसका ये अभी विरोध कर रहे हैं, इन्होंने बनाया है, उसमें खण्ड-ख में लिखा है राज्य सरकार के सलाह के उपरांत राज्य सरकार के किसी अधिकारी, हमने तो कम से कम एक पद रखा है, पदनाम रखा है। आपने क्या किया, यह 2014 आपका बनाया हुआ है। आप विपक्ष में चले गये हैं तो विरोध करेंगे? जो चीज आपने किया, उसके बारे में आप उल्लेख नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकारी नियंत्रण की बात नहीं है, जो आदरणीय चन्द्राकर जी कह रहे हैं, मैं उससे असहमत नहीं हूं, सरकारी नियंत्रण की बात नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति निर्मित होती, जब इस तरह के फैसले लिये जाने पड़ते हैं, जो इन्होंने किया है, आपने चार बार किया है। मैं आपके ही उदाहरण देकर बता रहा हूं। और ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न होती है तो हमारे ऐसे विधेयक होने चाहिए, जिससे हम इसको काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में काम कर सकें, इसलिए ये विधेयक में चेन्ज किया गया है। इसकी मंशा ऐसी नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ एरिया को वाईड करने के लिए किया गया है और इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। मैं पूरे सदन को और खासकर

अजय चन्द्राकर जी को ये निवेदन करूंगा कि आपने जो संशोधन लाया है, उसको वापस लें और इन सारे विधेयक अमेन्डमेन्ट को सर्वसम्मति से पास करें, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) के खण्ड-2 में उपधारा (6) में शब्द '' तो राज्य शासन की अनुशंसा पर कुलाधिपति'' के स्थान पर शब्द '' कुलाधिपति की अनुशंसा'' तथा शब्द ''राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्युन स्तर का कोई अधिकारी'' के स्थान पर '' कुलपति शैक्षणिक क्षेत्र का हो तथा उसे विश्वविद्यालय पद्धति में कम से कम दस वर्ष के प्राध्यापक का अनुभव हो'' स्थापित किया जाये।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

<u>अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिया जाना</u>

अध्यक्ष महोदय :- अब अशासकीय संकल्प पर चर्चा होगी। अशासकीय संकल्प ।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सभी की राय है कि अब अशासकीय संकल्प और नियम-139 की चर्चा अगले सत्रावसान के बाद के कार्यदिवस में लिया जाये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले सत्र में ले सकते हैं लेकिन चूंकि अभी आपकी बहुत सारी प्रेसिडेंसी आयी है तो जो माननीय सदस्यों के चाहे इधर के लगे हों, उधर के लगे हों । आप एक आश्वासन दे दीजिये कि सभी मोशन अगले सत्र में ले लिये जायेंगे करके फिर कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अध्यक्ष बनने के बाद सभी प्रक्रिया तो पूरी हो रही है । एक भी अशासकीय संकल्प पूरे सत्र भर में नहीं आया है तो यह रिकॉर्ड भी तो थोड़ा खराब हो रहा है इसलिये इस रिकॉर्ड को बनाने के लिये परमपूज्य बाबा गुरू घासीदास जी के जन्मदिवस के अवसर पर छुट्टी का निवेदन करना है, मेरा ऐसा आग्रह है कि उसी को लेकर भले आप आगे बढा दीजिये या फिर क्रम से ले लीजिये, एक-एक मिनट बोलवा दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों पक्षों की सहमति हो तो मैं अशासकीय संकल्प अगले सत्र के लिये...।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने आग्रह किया है तो मैंने सहमति लेकर ही आग्रह किया है इसलिये आगे बढ़ें ।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप दोनों की सहमति पर अशासकीय संकल्प आगामी सत्र के लिये मैं इसको बढ़ाता हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अशासकीय संकल्प के साथ जो नियम-139 है उसको भी चर्चा के लिये रख लें । जैसा कि अभी उस तरह के जो छूटे हैं उनको । (हंसी)

समितियों का निर्वाचन

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय :- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए क्रमश: 9-9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुये हैं, चूंकि चारों समितियों के लिये क्रमश: 9-9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाना है अत: मैं निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समितियों हेतु वर्ष 2019-2020 की अवधि में सेवा करने के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं -

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लोक लेखा समिति :-

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री मनोज सिंह मण्डावी
3. श्री मोहन मरकाम
4. श्री शैलेश पाण्डे
5. श्री धनेंद्र साहू
6. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
7. डॉ. विनय जायसवाल
8. श्री शिवरतन शर्मा
9. श्री अजय चन्द्राकर

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री अजय चंद्राकर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

प्राक्कलन समिति :-

1. श्री शिशुपाल सोरी
2. श्री मनोज सिंह मंडावी
3. श्री संतराम नेताम
4. श्रीमती रश्मि आशीष सिंह
5. श्री देवेन्द्र यादव
6. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
7. श्री चंदन कश्यप
8. श्री पुन्नूलाल मोहले
9. श्री रजनीश कुमार सिंह

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री मनोज सिंह मंडावी, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति :-

1. श्री शिशुपाल सोरी
2. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
3. श्री रामकुमार यादव
4. श्री दीपक बैज
5. श्री विकास उपाध्याय
6. श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा
7. डॉ. प्रीतम राम
8. श्री बृजमोहन अग्रवाल
9. श्री नारायण चंदेल

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री दीपक बैज, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

<u>स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति :-</u>

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्रीमती संगीता सिन्हा
4. श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे
5. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
6. श्री विक्रम मण्डावी
7. श्री यू.डी. मिंज
8. श्री सौरभ सिंह
9. श्री डमरूधर पुजारी

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 09 सदस्यों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 09 सदस्यों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए 9 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं, अत: मैं, निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समिति हेतु वर्ष 2019-2020 की अवधि में सेवा करने के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं :-

1 श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
2 श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
3 श्री बृहस्पत सिंह
4 श्री अमरजीत भगत
5 श्री द्वारिकाधीश यादव
6 श्रीमती ममता चन्द्राकर
7 श्री कुंवर सिंह निषाद
8 डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
9 श्री भीमा मण्डावी

नियमावाली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री अमरजीत भगत, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

नाम-निर्देशित समितियों का गठन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 208 के उप नियम (1), 213, 217 के उप नियम (1), 224 के उप नियम (2), 225 के उप नियम (1), 231 के उप नियम (2), 232 के उप नियम (1), 233 के उप नियम (1), 234-ग, 234-घ के उप नियम (2) एवं 234-ज के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2018-19 की शेष अवधि तथा वर्ष 2019-2020 की अवधि में सेवा

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करने के लिए नियुक्त करता हूं :-

<u>गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति</u>

1 श्री धनेन्द्र साहू
2 श्री यू.डी.मिंज
3 श्रीमती संगीता सिन्हा
4 श्री द्वारिकाधीश यादव
5 डॉ. विनय जायसवाल
6 श्री नारायण चंदेल
7 श्री विद्यारतन भसीन

नियमावाली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

<u>याचिका समिति</u>

1 श्री अरूण वोरा
2 श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर
3 श्री कुलदीप जुनेजा
4 श्रीमती अंबिका सिंहदेव
5 श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
6 श्री केशव प्रसाद चंद्रा
7 श्री सौरभ सिंह

नियमावाली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री अरूण वोरा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>प्रत्यायुक्त विधान समिति</u>

1 श्री सत्यनारायण शर्मा
2 श्री पारसनाथ राजवाड़े
3 श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
4 श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
5 श्री कुंवर सिंह निषाद
6 श्री पुन्नूलाल मोहले
7 श्री देवव्रत सिंह

नियमावाली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

<u>शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति</u>

1 श्री अमरजीत भगत
2 श्री पुरूषोत्तम कंवर
3 श्री लालजीत सिंह राठिया
4 श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय
5 सुश्री शकुंतला साहू
6 डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
7 श्री डमरूधर पुजारी

नियमावाली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री अमरजीत भगत, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

विशेषाधिकार समिति

1 मोहन मरकाम
2 श्री विकास उपाध्याय
3 श्री अरूण वोरा
4 श्री दलेश्वर साहू
5 श्री दीपक बैज
6 डॉ. रमन सिंह
7 श्री बृजमोहन अग्रवाल

नियमावाली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री मोहन मरकाम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

नियम समिति

1 श्री धनेन्द्र साहू
2 श्री सत्यनारायण शर्मा
3 श्री खेलसाय सिंह
4 श्री धरमलाल कौशिक
5 श्री ननकीराम कंवर

अध्यक्ष विधान सभा समिति के पदेन सभापति एवं विधि विधायी मंत्री पदेन सदस्य होंगे ।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1 श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
2 श्री लालजीत सिंह राठिया
3 श्री लखेश्वर बघेल
4 श्री आशीष कुमार छाबड़ा

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

5 श्री रेखचंद जैन

6 श्री द्वारिकाधीश यादव

7 श्री धर्मजीत सिंह

8 श्री अजय चन्द्राकर

9 श्री शिवरतन शर्मा

नियमावाली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

<u>पुस्तकालय समिति</u>

1 श्री दीपक बैज

2 श्री देवेन्द्र यादव

3 श्री शैलेश पाण्डेय

4 श्रीमती रश्मि आशिष सिंह

5 श्री रामकुमार यादव

6 श्री रजनीश कुमार सिंह

7 श्रीमती इंदू बंजारे

8 श्री प्रमोद कुमार शर्मा

नियमावाली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री दीपक बैज, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

<u>पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति</u>

1 डॉ. प्रीतम राम

2 श्री चक्रधर सिंह सिदार

3 श्री चिंतामणी महाराज

4 श्री विनय भगत

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

5 श्री मोहित राम

6 श्री ननकीराम कंवर

7 श्री भीमा मण्डावी

नियमावाली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं डॉ. प्रीतम राम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं ।

<u>प्रश्न एवं संदर्भ समिति</u>

1. श्री संतराम नेताम
2. श्री कुलदीप जुनेजा
3. श्री गुलाब कमरो
4. श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे
5. श्री पारसनाथ राजवाड़े
6. श्री अजय चन्द्राकर
7. श्री शिवरतन शर्मा

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं श्री संतराम नेताम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

<u>आचरण समिति</u>

1. श्री किस्मत लाल नंद
2. श्री अनूप नाग
3. श्री दलेश्वर साहू
4. श्री इंदर शाह मंडावी
5. श्री चंदन कश्यप
6. डॉ. रमन सिंह

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का गठन</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-च के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार सदस्यों को महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी सिमति के लिए वर्ष 2018-19 की शेष अवधि व 2019-20 एवं 2020-2021 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

<u>महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति</u>

1. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
2. श्री लालजीत सिंह राठिया
3. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
4. सुश्री शकुंतला साहू
5. श्रीमती ममता चन्द्राकर
6. श्रीमती अंबिका सिंहदेव
7. श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे
8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
9. डॉ. रेणु अजीत जोगी

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैं डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

<u>सामान्य प्रयोजन समिति का गठन</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 के उप-नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2019-20 की अवधि की सेवा करने के लिए नाम निर्दिष्ट करता हूं :-

1. माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
2. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री
4. श्री सत्यनारायण शर्मा
5. श्री धनेन्द्र साहू
6. श्री शिवरतन शर्मा
7. श्री अमरजीत भगत
8. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
9. श्री अजय चन्द्राकर
10.श्री मनोज सिंह मंडावी
11.श्री अरूण वोरा
12.श्री मोहन मरकाम
13.श्री दीपक बैज
18.डॉ. प्रीतम राम
19. श्री संतराम नेताम
20. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
21. श्री धर्मजीत सिंह
22. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

<u>नियम 167 (1) के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना।</u>

<u>(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय संस्कृति मंत्री, श्री तामध्वज साहू के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय संस्कृति मंत्री, श्री तामध्वज साहू के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 08 जनवरी, 2019 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(2) माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक, माननीय सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा एवं ननकीराम कंवर द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक, माननीय सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा एवं ननकीराम कंवर द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 11 फरवरी, 2019 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- सत्र समापन के लिए बोलना है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- थोकर जोर से बोलबे। अध्यक्ष जी, या तो माईक में आवाज कम आ रही है या फिर आज विधान सभा में ज्यादा काम होने के कारण लंच में गये नहीं हैं। आवाज कम आ रही थी, बहुत से लोग सुन नहीं पा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- आवाज बढ़ाओ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप समापन भाषण दें, उसके पहले मैं बोल रहा हूँ कि पूरे साउण्ड सिस्टम को ठीक करवा लीजिये। सिस्टम में ही कहीं न कहीं कुछ है। उमेश जी बोल रहे थे तो कुछ आवाज नहीं आ रहा था।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष जी की आवाज कम आ रही है उसके पीछे कारण यह है कि पहला सत्र आप जल्दी समाप्त कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहला सत्र जल्दी समाप्त हो रहा है, इसलिए थोड़ा अपने आपको ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- साउण्ड सिस्टम को ठीक कराईये, पहले-दूसरे से कोई मतलब नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- कोई बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस नहीं है तो क्या करेंगे।

श्री अमितेश शुक्ल :- अध्यक्ष महोदय धीरे से बोलते हैं, वे कबीरपंथी हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तू भैय्या, बहुत से विषय हैं। विषय तो निकालने पड़ते हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- चन्द्राकर जी की कुछ आवाज माननीय अध्यक्ष जी को दे दें तो बराबर हो जायेगा, संतुलित हो जायेगा।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

सत्र समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यगण, आवाज आ रही है ? (सदन के सदस्यों द्‌वारा "हां" कहा गया।) माननीय सदस्यगण, पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र के समापन के अवसर पर सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग देने के लिए मैं सर्वप्रथम सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, प्रतिपक्ष के नेता माननीय कौशिक जी को और आप सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

पंचम विधान सभा के गठन के उपरान्त यह सत्र 04 जनवरी से 08 तक निरन्तरता में आहुत थी और आप लोगों की सहमति से आज 01 मार्च को आहुत सत्र सामप्ति का निर्णय लिया गया। इस सत्र में कुल 21 बैठकों में 108 घंटे 09 मिनट की चर्चा हुई। 08 फरवरी, 2019 को नवगठित सरकार ने अपना प्रथम बजट प्रस्तुत किया। 09 एवं 10 फरवरी को हम लोगों ने सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम रखा। जिसमें पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार निर्वाचित सदस्यों के अलावा पूर्व सदस्यों ने भी भाग लिया। प्रबोधन का आनंद लिया और उसमें ज्ञान प्राप्त किया। इसमें हम लोग ख्यातिलब्ध संसदविदो को भी बुलाया था। माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश श्री नर्मदा प्रजापति जी आये थे और दिग्विजय सिंह ने इसका समापन किया। मैं इस संसदीय वृद्‌धि, अभिरूचि में जिन लोगों ने अपना सहयोग दिखाया है, अपना ज्ञानवर्द्‌धन किया है, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

वैसे यह सत्र पंचम विधान सभा का प्रथम सत्र था। मगर हमारे लोगों की सक्रियता और भागीदारी थी माननीय चौबे जी, हमारे लोगों ने जिस ढंग से सक्रियता दिखाई, भागीदारी की, उससे ऐसा नहीं लगा कि यह प्रथम सत्र है। मुझे इस बात की खुशी है।(मेजों की थपथपाहट) आप लोगों ने जो परस्पर सौहाद्र दिखाया, उससे यह सदन गौरवान्वित हुआ। मैं इसके लिए, आप लोगों को, सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। प्रथम सत्र में ही आप सभी सदस्यों ने राज्य के विकास, उन्नति से जुड़े प्रत्येक विषय पर चर्चा के विभिन्न माध्यमों से सार्थक और सम्यक चर्चा की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जिन महत्वपूर्ण विष्यों पर चर्चा की है, उसके प्राप्त निष्कर्ष, भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य में समग्र और समावेशी विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्‌ध होंगे। आप लोगों ने जो कल्पना की है कि "गढ़बो नया छत्तीसगढ़" की कल्पना को हम मूर्तलेख देने में सहायक होंगे। इस अवसर पर मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप सदन में परस्पर आरोप-प्रत्यारोप से स्वयं को बचाने का प्रयास करें। क्योंकि इससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है। मैं यह मानता हूँ कि आप सभी माननीय सदस्य मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि सदन की गरिमा से ही हम सबका सम्मान जुड़ा हुआ है। इसलिए

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आप सभी सदस्यों की गरिमा और सम्मान के लिए सदैव सजग रहना और समर्पित रहना मैं उचित समझता हूँ । पंचम विधान सभा के प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की संख्या भले ही कम हो, परन्तु उन्होंने अपने वरिष्ठता से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से सजग प्रतिपक्ष की भूमिका अदा की है । (मेजों की थपथपाहट) मैं उसके लिए आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता, आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी को और उनके सभी सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं । उन्होंने काफी सक्रियता से भाग लिया । पक्ष के माननीय सदस्यों की भी विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने अपनी सरकार के माननीय मंत्रीगणों से जिस तैयारी के साथ सवाल पूछे हैं और जवाब चाहा, वह आपके कुशल जनप्रतिनिधि होने का प्रमाण-पत्र है । (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए मैं पक्ष के सभी साथियों को विशेषकर नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

हमारी यह पंचम विधान सभा संसदीय मूल के विकास में आप सबके सहयोग से अनेक नवाचारों को मूर्त रूप में देने में सफल रहा है । मेरी जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए यह प्रथम अवसर था, जब महिला बाल विकास विभाग की चर्चा पर पक्ष और प्रतिपक्ष के केवल महिला सदस्यों ने अपनी बात रखी और माननीय महिला सदस्य ही उनकी मंत्री हैं इसलिए मुझे इस सदन को धन्यवाद देना चाहिए कि सदन में यह निर्णय मातृ शक्ति के प्रति सम्मान के भावों को प्रदर्शित किया है । मैं आप सबके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सदस्यगण से अपेक्षा है कि सत्र के उपरांत जब आगामी सत्र आहूत हो तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि शासकीय व्यवस्था में विरोध का तो न कोई स्थान है, परन्तु अवरोध के लिए कोई जगह नहीं है, विरोध का स्थान है । असहमति के बीच सहमति, जैसा कि आपने करके दिखाया, तलाशना ही हमारी लोकसभा, विधान सभा की विशेषता है, सदन की विशेषता है, लोकतंत्र की विशेषता है । आप सबने इसमें सहयोग दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं ।

इस सत्र की सदन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि चर्चा के विभिन्न माध्यम प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण के माध्यम से आप सभी सदस्यों ने विस्तृत सार्थक चर्चा की । दिनांक 15 फरवरी, 2019 को स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित ट्राईवल रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी के पूछे प्रश्नों पर, प्रश्न क्रमांक 36 दिनांक 20 फरवरी, 2019 को माननीय सदस्य श्री शैलेश पाण्डेय द्वारा बिलासपुर अंडर ग्राउण्ड सिवरेज के संबंध में पूछे गए प्रश्न क्रमांक 1024 पर हमने आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत की । ये परीक्षण की प्रारंभिक प्रक्रिया आरंभ हुई, वहीं पर 28 फरवरी, 2019 को माननीय सदस्या अंबिका सिंहदेव द्वारा कोरिया जिले के हाथी के आतंक के विषय में रखे गए ध्यानाकर्षण क्रमांक 328 की गंभीरता एवं तात्कालीक महत्व को देखते हुए प्रकरण को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपा गया। उपरोक्त बातों का उल्लेख करने का आशय यह है कि मेरा पूरा प्रयास है

कि आपके द्वारा लोकहित के विषयों पर की जा रही चर्चा केवल चर्चा तक ही सीमित न रहे, अपितु अंतिम परिणाम तक परिणाम मूलक भी बने, यही मेरी आपसे अनुरोध है ।

इस सत्र में दिनांक 21 फरवरी, 2019 को मायाराम सुरजन फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के विषय पर सार गर्भित परामर्श कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विषय के संबंध में विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिया । इस सत्र में 26 से 28 फरवरी के मध्य स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ । स्वाईन फ्लू के टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित हुये । आप सब इसमें लाभान्वित हुये । स्वास्थ्य मंत्री जी को इसके पहल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । भविष्य में इसी प्रकार से अपने विधायकों की चिन्ता करेंगे । सब प्रकार के परीक्षण कराते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है । मैं आपको इस बजट सत्र में संपादित हुये संसदीय कार्यों के संबंध में विशेष सांख्यिकीय आंकड़े हैं, वह अवगत कराना चाहूंगा । जैसा कि परम्परा है, इस सत्र की 21 बैठकों में 108 घण्टे चर्चा हुई । बैठकों में 150 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिसमें उत्तर शासन द्वारा दिये गये, इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों की संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं । तारांकित प्रश्नों की संख्या 1136, अतारांकित प्रश्नों की संख्या 943, इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है । इस प्रकार 2079 प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुई है । इस प्रश्न में ध्यानाकर्षण 757 सूचनायें प्राप्त हुई है, जिसमें 116 सूचनायें ग्राहय हुई है और 29 सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई है । इस सत्र में स्थगन की कुल 89 सूचनायें प्राप्त हुई है । उसमें 85 अग्राहय हुये तथा 4 ध्यानाकर्षण परिवर्तित की गई । शून्यकाल की सूचनाएं 114 प्राप्त हुई, जिसमें 86 सूचनायें ग्राहय और 20 सूचनायें अग्राहय हुई है । वर्तमान सत्र में 163 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें 37 ग्राहय हुये, 125 अग्राहय रही है । माननीय सदस्यों द्वारा 20 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं । इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 10 विधेयकों की सूचनाये प्राप्त हुई है । सभी पारित हुये हैं । वित्तीय कार्यों के अतिरिक्त तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 4 घण्टे 48 मिनट, कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर लगभग 10 घण्टे 20 मिनट, आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में 6 घण्टे 44 मिनट, वर्ष 2019-2020 के बजट की अनुदान मांगों पर 41 घण्टे 36 मिनट, चर्चा हुई है तथा विनियोग विधेयक पर 4 घण्टै 36 मिनट चर्चा हुई है । प्रदेश की सर्वोत्तम प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण के सीधे तौर पर आम जनता को भिज्ञ कराने के उद्येश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर दिया गया । इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक संस्थाओं के 2216 और जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 22,484 लोगों ने इस सत्र की सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया । अंत में बजट सत्र के समापन के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, माननीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय धरमलाल कौशिक जी का, आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी का, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जोगी जी का, समस्त सदस्यों के प्रति सभी साथियों के प्रति अपने नये और

पुराने समर्पित विधायकगणों का हदय से घन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया, इसके लिए मैं विशेष रूप से अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ । मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यगणों के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे निवेदन पर सभापति के इस आसंदी को संभाला और बेहतर संचालन किया । मैं पत्रकार साथियों, प्रिंट मीडिया के साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता प्रदान करके प्रदेश की जनता को सभा के संबंधित कार्यक्रमों से अवगत कराया । रायपुर दूरदर्शन, आकाशवाणी, एवं अन्य मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का तथा प्रश्नकाल का जीवंत प्रसारण किया । सत्र समापन के अवसर पर मैं राज्य के सभी मुख्य अधिकारीगण और सचिव सहित सभी साथियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न रहकर कार्य किया। मैं अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने कार्य संचालन में और विधानसभा के संचालन में अपनी भूमिका निभाई है। मैं विधानसभा के सचिव गंगराडे जी और उनके सभी साथियों का, सचिवालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति भी धन्यवाद रखता हूं, प्रशंसा करता हूं जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। इस समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करना एक परंपरा सी रही है। मैंने तद्नुसार आगामी सत्र के लिए जुलाई के द्वितीय सप्ताह की तिथि संभावित किया है । इसकी तारीख आपको बता दी जायेगी। आप सभी साथियों को रंगोत्सव होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत-बहुत बधाई देते हुए आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं। आपका जीवन सुखमय हो, आपका परिवार मंगलमय जीवन जीये और आप सभी सुखमय और मंगलमय जीवन प्रारंभ करके आने वाले भविष्य में जो विधानसभा संपादित की जानी है उसके लिए आप सक्षम हो, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं।

अंत में कल ही मुझे स्वामी विवेकानंद जी की एक पुस्तक मिली है। मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूं मगर उसमें लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हिंद महासागर के तल का सारा कीचड़ यदि अंग्रेजों के मुंह में मल दिया जाए तो भी वह कम होगा, उन्होंने उससे भी कहीं अधिक मेरी मॉ को कलंकित किया है। एक मॉ के प्रति सम्मान जो उन्होंने व्यक्त किए वह भारत मॉ थी। हम सब अपनी मॉ, छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित होकर यहां आये हैं, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए यहां आये हैं और मैं चाहता हूं कि यही भावना आप सबके मन में रहे। इसी विचार के साथ, इसी अपेक्षा के साथ, प्रणाम।

(मेजों की थपथपाहट)

Uncorrected and unedited/Not for Publication

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की जनता, अन्नदाता को बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने हमें तीन चौथाई बहुमत से जनादेश दिया है। उसके प्रति आभार।

अध्यक्ष महोदय, आप मध्यप्रदेश की विधानसभा में रहे, आपका बहुत लंबा अनुभव। आप मंत्री भी रहे। केंद्र में भी आप लोकसभा के सदस्य भी रहे और वहां मंत्री भी रहे। आपका बहुत लंबा अनुभव लेकिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आप पहली बार चुनकर आये हैं और अध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान हैं तो जो आपका सुदीर्घ अनुभव है उसका लाभ छत्तीसगढ़ विधानसभा को मिला है। अनेकों बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब पक्ष-विपक्ष के बीच में तनातनी या कुछ गर्माहट आ जाती है उस समय आप अपने अनुभव का लाभ लेते हुए इस सदन की गरिमा को और उंचाई में ले जाने में सफल रहे। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जी का भी धन्यवाद, विधानसभा का संचालन करने में उनकी बहुत ही सकारात्मक पहल रही है। उनके द्वारा बहुत ही अच्छे सुझाव भी दिये गये। उनको भी धन्यवाद। विपक्ष में सारे लोग अनुभवी लोग आये हैं। दो-तीन लोगों को छोड़ दें जो पहली बार आये हैं तो सारे लोग वरिष्ठ और अनुभवी हैं, सत्ता में भी रहे हैं और सदस्य के रूप में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। इस सदन के संचालन में और जनता के मुद्दे उठाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरी ताकत से पूरी क्षमता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। हमारे दूसरे दल के नेता आदरणीय धर्मजीत सिंह जी जो कभी विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने भी चाहे अपने क्षेत्र की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे जंगलों में रहने वाले वनवासियों की बात हो, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से अपनी बातें रखी। तीसरे दल के नेता श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी ने वे भी दूसरी बार चुनकर आये हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने काफी गंभीरता से बात रखी। मैं सभी विपक्ष के साथियों को धन्यवाद देता हूं। सभा के संचालन में आप सब ने सहयोग दिया और सकारात्मक बातें कही है । उसके लिये मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) हमारे दल में भी जहां अनुभवी लोगों की संख्या बहुत अधिक है। सबसे ज्यादा चुनाव जीत के आने वाले सदस्य भी हैं। श्री रामपुकार जी, सात बार के जितने वाले आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी हैं। वरिष्ठ लोग जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। नये सदस्य भी आये हैं, नये सदस्य जिस प्रकार से प्रश्नकाल में, ध्यानाकर्षण में या अनुदान मांगों की चर्चा में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी । विशेषकर महिला सदस्यों ने भी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसलिए सारी बहनों का बहुत बधाई। नये सदस्यों को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। (मेजों की थपथपाहट) मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, जवाब देने के, संतुष्ट करने की कोशिश उन्होंने की है। शासन की नीति और कार्यक्रम को रखने का प्रयास किया है। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। यदि संसदीय कार्य मंत्री जी के बारे में न कहूं

तो यह उचित नहीं होगा। क्योंकि सदन संचालन में सबसे बड़ा योगदान आपके बाद संसदीय कार्य मंत्री का रहता है। (मेजों की थपथपाहट) वैसे कहा जाता है कि संसदीय कार्य मंत्री विपक्षी दल के सदस्यों के लिये ही पद क्रियेट किया जाता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर वहां कोई कड़क टाईप का आदमी बैठता तो क्या बात करते ? वे नरम हैं तो ठीक हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, श्री रविन्द्र चौबे जी के बारे में क्या कहा जाये। श्री अजय चंद्राकर जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री शिवरतन शर्मा जी, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, कितना भी गर्म हो जाये लेकिन जहां श्री रविन्द्र चौबे जी बोलने खड़े होते हैं तो बिल्कुल शीतल जल की तरह, दूध में कितना भी उफान आये और शीतल जल पड़ जाये तो ठंडा बैठ जाता है। उसी प्रकार से श्री रविन्द्र चौबे जी हैं। श्री रविन्द्र चौबे जी के बारे में यही कहूंगा कि ऐसी वाणी बोलिये, ...श्री अरूण वोरा जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री अरूण वोरा :- ऐसी वाणी बोलिये, मन का आप खोल।

औरन को शीलत करे, आप ही शीतल होय। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, कई बार वाद विवाद के छड़ आयें, उत्तेजना के छड़ आये। ऐसे समय में सदन का वक्त जाहिर किये बिना ही सभी लोगों को संभाल के चलने में, सभा के संचालन में आदरणीय श्री रविन्द्र चौबे जी का जो अनुभव है वह काम आया, विशेष रूप से आभार और साथ ही विधानसभा के सचिवालय को भी बधाई देता हूं कि बहुत बढ़िया आपने संचालन करने में सहयोग दिया, उनको भी धन्यवाद। मंत्रालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके सभी जानकारियां देने में वे सफल रहे, उनके लिये भी बधाई। हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ इलेक्ट्रानिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया के साथी सुबह से लेकर रात तक बैठ करके, यहां जो भी चर्चा हुई है। उसे जनता तक पहुंचाने में वे कामयाब रहे हैं। उनके मेहनत की जितनी प्रशंसा की जाये कम है। उन्हें भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) सभी सुरक्षा में लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके भी सहयोग के लिये धन्यवाद देते हुए सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र समापन अवसर पर सम्माननीय विधान सभा के अध्यक्ष, सदन के नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी साथ ही डॉ. रमन सिंह जी, संसदीय कार्यमंत्री माननीय रविन्द्र चौबे जी, माननीय धर्मजीत सिंह जी, केशव चन्द्रा जी और साथ ही पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्य और यहां पर उपस्थित सभी का

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

जिनके सहयोग से आज ये सत्र का समापन हो रहा है और आपने बहुत ही अच्छा एक अवसर दिया, जिसमें सभी अपनी बातें रख सकें। इसके लिए मैं सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सभा के हमारे प्रमुख है और हमारी इस सभा के मुखिया हैं। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि जिस दिन आप अध्यक्ष बने और आपके अध्यक्ष बनने के बाद, हम लोगों को पूरा भरोसा था। आपके अनुभव, पक्ष, प्रतिपक्ष में काम करने, मध्यप्रदेश में मंत्री के रूप में रहे और केन्द्रीय मंत्री के रूप में रहे। आज हम इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि आपके व्यवहार ने हम सभी को जीत लिया है।(मेजों की थपथपाहट) मैं आपके विषय में दो लाईन कोड करना चाहता हूँ कि मुखिया कैसा होना चाहिए और मुखिया का संरक्षण और काम कैसे होना चाहिए ? पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां स्मरण में आ रही है जिसमें उनहोंने कहा कि -

"मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक
पालए पोसए सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हम सब लोगों ने आपके कार्यव्यवहार में देखा है और इसी प्रकार से आपका हम सब पक्ष और प्रतिपक्ष सदस्यों के प्रति हमेशा ये भाव बना रहे। शपथ ग्रहण से हमारा ये सत्र 4 जनवरी प्रारंभ हुआ है। एक मार्च को उसका समापन हो रहा है और इस बीच में शपथ के बाद में उसको निरंतरता में इस बजट सत्र को ले लिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा में जो हमारे नये और पुराने सदस्यों के लिए आपने यहां पर प्रबोधन का कार्यक्रम रखा और इस प्रबोधन के कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न विषयों को सदन के अंदर में कैसे रखें, हम सब को उसका एक बड़ा लाभ देखने को मिला है और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रबोधन कार्यक्रम में केवल नये सदस्य नहीं थे, बल्कि बहुत सारे पुराने सदस्य भी जो 2 बार, 3 बार के विधायक चुने गये हैं, वहां पर लगातार दो दिन तक ऐसे सदस्य भी उपस्थित रहें और इस सदन में हम सब उसका लाभ देख रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी दौरान में हमारा बजट भी प्रस्तुत हुआ और बजट प्रस्तुत होने के बाद में बजट को हम सब लोगों ने पारित किया। न केवल बजट के पारण में, मध्यप्रदेश के बाद में हमारी छत्तीसगढ़ की जो परम्परा रही है कि हम हर विषय में चर्चा करना करना चाहते हैं और सदस्यों ने जो अपनी बातें रखीं। मंत्रियों ने समुचित रूप से संतुष्ट करने का प्रयास किया। उस बजट के माध्यम से उनको उत्तर देने का प्रयास किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ठीक बात है कि कई बार ऐसी बातें आती हैं कि आप लोग 15 की संख्या में पहुंच गये हैं। ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम परिवर्तन है। आप 15 सालों तक इधर बैठे रहे और अब उधर बैठने की बारी आ गई। बाकी इधर आ गये। लेकिन मैं आपके संरक्षण में एक बात कह

सकता हूँ कि हमारी संख्या 15 की जरूर रही और बाकी हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य रहे, लेकिन बहुमत के सामने अल्पमत की आवाज को आपने दबने नहीं दिया और आपका इतना संरक्षण हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। जिस विषय में जितना समय निर्धारित होने के बाद भी रोज एक बात आती थी कि आपका समय इतना है, लेकिन आपकी उदारता को हमने देखा है। जो भी सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं बड़ी उदारता के साथ में उन सारे सदस्यों को आपने अपनी बात रखने का अवसर दिया है। इसलिए जब पहले दिन ही बात हुई कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आते हैं तो सबसे पहले उनकी नजर प्रतिपक्ष की ओर रहती है उसके बाद में सत्तापक्ष की ओर रहती है। आपके संरक्षण में प्रतिपक्ष ने ये पूरा प्रयास किया है कि जहां पर सरकार लोक हित, लोक नीति और लोक कल्याण के लिए काम करेगी, ये पूरा प्रतिपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है और इस प्रदेश के विकास को आगे ले जाने में हम पूरा आपको सहयोग करेंगे। लेकिन जहां पर कोई कमियॉ दिखाई देंगी, जहां पर हमको लगेगा कि ये नीतिगत निर्णय ठीक नहीं है, वहां पर हम समय-समय पर आपको आगाह भी करेंगे, सुझाव भी देंगे। उस सुझाव को माननीय मुख्यमंत्री जी से ले करके हमारे मंत्री तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उसको एक सम्मान देने के लिए उन सुझावों पर कितना अमल कर सकते हैं, जिससे सभी प्रतिपक्ष के सदस्यों का मनोबल भी बढ़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में न केवल बजट पास हुआ और बजट के बाद में हम लोगों ने अल्प अवधि में विधेयक भी पारित किये हैं और उस विधेयक में हमारे सभी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। बहुत अच्छे सुझाव आये। खासकरके अजय चन्द्राकर जी ने जो विधेयक की चर्चा में अपनी बात रखी, मंत्री से यह अपेक्षा की जाती है कि जिस कंडिका में है, उसकी यहां पर समुचित रूप से व्याख्या हो और व्याख्या के बाद में उसको पारित किया जाये। हमारे सभी अनुभवी सदस्यों की विधेयक में भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है इस विधेयक के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वास्तविक में जो सदन का नेता और मुख्यमंत्री है, वह केवल कोई पार्टी का नहीं है, वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। जब हमारे भी मुख्यमंत्री हैं तो छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं जायेंगे तो पहचान बनेगी तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की पहचान बनेगी। इसलिए जब मैं बोल रहा हूं कि हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, वैसे अपनी बातों को, तथ्यों को रखने में बहुत ही माहिर हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री का कद और बढ़े। इसलिए वाणी में मधुरता, विनम्रता, और सरलता यही जीवन की पूंजी है जिसके माध्यम से अपनी ऊंचाईयों को और आगे ले जा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी संसदीय कार्यमंत्री जी हैं, जब सदन में कोई भी अवरोध का मामला आया, जब मैं आसंदी में विधासनभा अध्यक्ष के रूप में था, तब चौबे जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में

थे और आज संसदीय कार्य मंत्री के रूप में हैं, जब भी ऐसा कोई क्षण आया है तो चौबे जी दो मिनट का समय नहीं लगाते, तुरन्त हम लोगों के पास में आ जाते हैं और पास में आने के बाद में अवरोध किसलिए है, उस अवरोध के निराकरण करने के लिए प्रयास करते हैं और वह बोलते हैं कि आप लोग सम्मानित सदस्य हो, आप यदि कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे तो कौन भाग लेगा। एक तो वैसे ही अनुभवी हैं और उनके अनुभव का लाभ भी हम सबको मिल रहा है, इसलिए मैं माननीय चौबे जी को बहुत बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के संचालन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वह हमारे सचिव गंगराड़े जी हैं और गंगराड़े जी के साथ में उनके सभी अधिकारी हैं। कई सदस्य आकर कहने लगे कि हमारा प्रश्न वापिस हो गया है, अस्वीकृत हो गया है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी के पास जाकर मिल लेते हैं, उसके बाद में अधिकारियों से मिल लेते हैं, प्रश्न संशोधित हो जायेगा। और बहुत सारे ऐसे अवसर पर हमारे नये सदस्यों और पुराने सदस्यों को भी हमारे इस सदन के सचिवालय का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ है और उसी के कारण ये संभव हुआ है कि हम यहां पर अपने सारे विचारों को रख पाने में सफल हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकार दीर्घा में हमारे साथी बैठे हुए हैं और हमारे ये जो पत्रकार साथी हैं कि हाऊस के अंदर की जो बात है, हम लोग अपनी बात रखते हैं इसको प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार साथियों ने किया है । हम लोग सुबह उठकर जब देखते हैं तो हमने जो अपेक्षायें रखी हैं निश्चित रूप से इसके लिये मैं हमारे पत्रकार साथियों को इस अवसर पर बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही हमारे चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव और हमारे डी.जी. और उनके अधिकारियों को भी इस हाऊस के संचालन में सहयोग करने के लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ हमारे सुरक्षा में लगे हुए, यहां इस विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से सदन का जो कार्य संपन्न हो रहा है इसके लिये भी मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी उम्मीद है चूंकि हमारा प्रथम सत्र है । आने वाले समय में जब हम सत्र में आहूत होंगे तो पुन: आपके संरक्षण में हम सब लोग इस विधानसभा की जो मान्य परंपराएं हैं, इस विधानसभा की जो उंचाईयां हैं, हम आपके मार्गदर्शन में उन ऊंचाईयों को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करें । वैसे यहां पर हम लोगों के पास अन्य विधानसभा के दृष्टिकोण से अनेक उदाहरण देने के लिये है तो मैं इसके लिये सभी सदस्यों से, खासतौर पर हमारे नये सदस्यों का बहुत अच्छा परफार्मेंस रहा । जैसे कई सदस्यों ने तो हर विषय पर अपनी बात रखने का प्रयास किया है और केवल बात रखने का प्रयास नहीं किया है बल्कि मैंने उनकी रूचि को देखा है । चाहे हमारे यहां श्रीमती रंजना जी हों या

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमारे बिलासपुर या तखतपुर से जो नयी महिला सदस्य हों । मैंने उन्हें हर विषय में बोलते हुए देखा है और इसी प्रकार से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि मानदंडों के अनुरूप हम लोग इस सदन की ऊंचाईयों को और प्राप्त करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस अवसर पर मैं सभी को एक-बार पुन: धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन कुछ ज्यादा ही गंभीर दिखने लगा है । जैसे यह सत्र खत्म नहीं हो रहा है, हम सब खत्म हो रहे हैं करके । (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- विदाई का अवसर है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- भैया, यह विदाई नहीं है, पहले सत्र का सत्रावसान है । आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कोई विदाई नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप समझाइए न ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी पीछे से श्री केशव चंद्रा जी ने कहा न कि विदाई हो रही है । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- लोग इतने चुपचाप सन्नाटे से बैठे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो । 21 दिन के जनता के आदेश पर...।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- धर्मजीत भैया, बात यह है कि बहुत सारे सब नये सदस्य आये हैं और इस एक महीने पूरा साथ में रहे हैं । अब इसके बाद सब अपने-अपने क्षेत्र में चले जायेंगे फिर अब जुलाई में फिर मुलाकात होगी तो इसलिये सभी लोगों को थोड़ा सा दुख तो हो रहा है इस कारण शांति है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह तो उनका प्रेम है और उतना अधिकार बनता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में इस सदन में जनता के जनादेश के बाद पक्ष और विपक्ष इकट्ठे हुए । कई शंकाएं-कुशंकाएं थीं । जैसे ही आपका चयन हुआ, हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई । आप गृहमंत्री रहे हैं, मध्यप्रदेश में मंत्री रहे हैं, कृषि राज्य मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वहां की प्रक्रिया भी जानते हैं, यहां की प्रक्रिया भी जानते हैं, सौम्य हैं, शालीन हैं, शिष्ट हैं, मृदुभाषी हैं, व्यवहारकुशल हैं अब मैं और क्या कहूं ? (मेजों की थपथपाहट) (हंसी) इसका मतलब यह हुआ कि जब इतने व्यापक व्यक्तित्व का मालिक ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- गुणों से भरपूर हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से श्री धर्मजीत भैया ने अभी बखान किया कुछ ज्यादा नहीं हो गया ? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी इसको और ज्यादा कर सकता था (हंसी) लेकिन मैंने इसको इसलिये रोक दिया क्योंकि अब आपके गुण के बखान करने की जरूरत नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- धर्मजीत भइया, थोड़ा आराम से बोलिए, कवासी जी कह रहे हैं कि वे समझ नहीं पाए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उनके बारे में भी बोलूंगा । मैं सबके बारे में बोलूंगा । मुख्यमंत्री जी आपका, कवासी लखमा जी, ताम्रध्वज जी नहीं है, बाबा साहब सबके बारे में बोलूंगा । यह कोई शोक सभा थोड़े ही है (हंसी) । अध्यक्ष महोदय, आपके लिए अब ज्यादा इसलिए नही बोलूंगा क्योंकि 21 दिनों में अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से इस सदन को यह बता दिया है कि आप बेहद अनुभवी हैं । आपके संरक्षण में इस सदन में पक्ष और विपक्ष छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, छत्तीसगढ़ की अच्छाई के लिए, छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ नागरिकों के लिए चर्चा यहां करेंगे और यहां से जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम आगे निकलेगा । अध्यक्ष जी, ये तो जनरेटर है । 68 सीटें आ जाने से, सरकार बन जाने से थोड़े ही कुछ होना है । अध्यक्ष महोदय, जो होना है, इसी सदन में होना है । पैसा यहीं पास होना है, कानून यहीं बनना है । इसलिए आप कानून बनाने की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं । मुख्यमंत्री जी को यहां से ताकत देंगे तो ये विकास करेंगे, अच्छी बात है । अध्यक्ष जी, मैं जब पहले दिन यहां आया तो थोड़ा टेंशन में था । मुझे लग रहा था कि ये विधान सभा में माननीय मुख्यमंत्री मुस्कुराएंगे या नहीं । मैं ईमानदारी से दिल की बात कह रहा हूं । मुझे अच्छा लगा, कुछ टाइम नाराज दिखते थे, बाकी टाइम मुस्कुराते थे । जब आप नहीं मुस्कुराते तो हम लोगों का हौसला कमजोर हो जाता है । हंसते रहा कीजिए तो हम लोगों को अच्छा लगता है बाकी आपको जो करना है करिये, कोई दिक्कत नहीं है (हंसी) । अध्यक्ष जी, हमारे सामने सत्ता पक्ष में रविन्द्र चौबे जी बैठे हैं । ये भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, टी.एस. बाबा साहब भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं । आप दोनों वहां बैठे हैं ना, हमको मालूम है कि प्रतिपक्ष में कितनी पीड़ा होती है, आप महसूस कर रहे होंगे (हंसी) इसलिए हमको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है । जब आपका मंत्रिमंडल बना, इसमें कई बहु त वरिष्ठ नेता छूट गए । मैं उस कारण से जिक्र नहीं कर रहा हूं । अमितेश शुक्ला जी, शर्मा जी, साहू जी, वोरा जी, अमरजीत जी फिर भी ये बैठ रहे हैं, अच्छा लगा । अन्यथा जब आदमी मंत्री नही बनता तो विधान सभा आना बंद कर देता है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- अभी एक पद बाकी है, उस आशा में हम लोग बैठे हैं भाई (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, दो मिनट समय दे देंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी पहले मैं आपको लेकर टेंशन में था, आपके बाद मेरा दूसरा टेंशन था कि आप संसदीय कार्य मंत्री किसको बना रहे हैं । जब चौबे जी का नाम आया तो मैंने कहा चलो धन्य है प्रभु, ठीक आदमी को विभाग मिल गया । कम से कम आपसे बात होती है । अध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष प्रजातंत्र के दो चक्के हैं । अगर एक चक्का जाम होने की स्थिति हो तो आपका धर्म है कि उसको चलाएं । अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण में सदन में कहीं पर भी, मैं इसके पहले भी 15 साल विधायक रहा हूं। मैंने इतना तनाव रहित सत्र पहली

बार देखा है । कोई तनाव नहीं आया । हो सकता है आपकी सहृदयता के कारण हो, हो सकता है आपके प्रयास के कारण हो, हो सकता है हमारे नेता प्रतिपक्ष और बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं, उनके द्वारा जिम्मेदारियों का अहसास हो ।

अध्यक्ष महोदय, मैं दादी के बारे में तारीफ करना चाहूंगा कि ये 15-20 सालों में पहली बार मंत्री बने हैं और एक ऐसा मंत्री जो बिना कुछ देखे, इस सदन में पूरे तीन डिपार्टमेंट की चर्चा का मौखिक जवाब दे (मेजो की थपथपाहट) हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी उदाहरण नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना कोई पेपर देखे भाषण दे दें और अपने डिपार्टमेंट के एक-एक आंकड़ों को बता दे । इसलिए आपकी तारीफ इस सदन में होना बहुत जरूरी है । आपके सभी मंत्रियों ने बहुत अच्छा जवाब दिया । कई नए हैं, कई बहुत वरिष्ठ लोग हैं फिर भी आपका प्रयास सराहनीय है । सत्ता पक्ष के जो हमारे नए सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय मैं कह सकता हूं कि आपके संरक्षण में उनके बोलने की कला, उनके समझने की क्षमता और अपने मंतव्यों को अभिव्यक्त करने की क्षमता इस सदन में बढ़ी है और मैं यह दावे से कह सकता हूं कि अगला सत्र इन्हीं नये साथियों का होगा जो तैयारी करके आयेंगे क्योंकि अभी हम लोग मिलते थे। उनको कई प्रक्रियाओं की ठीक से जानकारी नहीं होती थी। हम भी जब पहली बार आये थे तो ऐसे ही बैठते थे। रविन्द्र चौबे जी की तरफ देखते थे। सीखना पड़ता है। सीखेंगे। इस सदन में कोई भी सीखा सिखाया आदमी नहीं आता। आप लोग बहुत हिम्मती हैं। बहुत अच्छे हैं। पढ़े-लिखे लोग हैं। अध्यक्ष जी का संरक्षण है। संसदीय कार्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का, हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों इधर हैं। आप पूछिए। संसदीय ज्ञान के बारे में जब तक जानेंगे नहीं और सदन में बोलेंगे नहीं तब तक जनता की आवाज कहां से उठेगी और मुझे उम्मीद है कि आप सब अगले सत्र में ज्यादा तेवर के संग आगे आयेंगे। (मेजों की थपथपाहट) हम लोग विपक्ष में बहुत कम हैं लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा था कि क्वांटिटी उधर 68 जरूर है पर हम 22 में भी क्वालिटी कम नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) हम लोगों ने भी अपना पूरा समय यहां दिया।

श्री कवासी लखमा :- ठाकुर साहब, जो ज्यादा हल्ला किये आप उसको नहीं बोलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, मैं बोल रहा हूं न। सबसे ज्यादा तीखा तेवर इधर से हमारे भाई अजय चन्द्राकर जी दिखाते थे। मुझे कभी-कभी चिंता भी लगती थी।

श्री कवासी लखमा :- कभी-कभी।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं करके।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- काट खाने दौड़ते हैं। जैसे काट खायेंगे वैसा व्यवहार है। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- डॉ. रमन सिंह साहब 15 साल मुख्यमंत्री रहे। उनका भी हमने एक ही दो भाषण सुना। बहुत बढ़िया तथ्यों के साथ भाषण दिये। नेता प्रतिपक्ष ने अपना बहुत पुराना अनुभव है ला

दिया और हमारे सब साथियों ने दिया। यह और अच्छा हुआ कि हमारी तरफ की भी जितनी सम्माननीय बहनें महिला विधायक हैं। चाहे वे भाजपा के हों, चाहे बहुजन समाज की हों चाहे हमारी पार्टी की हों। इन लोगों ने भी पूरी भागीदारी की और अध्यक्ष जी, दल की एक व्यवस्था जरूर है। दल की व्यवस्था में ही हम यहां आते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के हित का फैसला जब हम दिल की आवाज सुनकर करेंगे तब छत्तीसगढ़ के हित के लिए फैसला यहां ज्यादा सही हो सकेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सभी साथियों को बहुत बधाई दूंगा कि आप लोगों ने और हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से मिलकर किया। बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस सभी लोगों को। सभापति तालिका में शर्मा जी और सभी लोग बहुत मेहनत किये हैं। मैं बैठे-बैठे समझता हूं। ठीक दोपहर को 1 बजे आप वहां बुलवाते हैं। बैठने के बाद, खाने के बाद नींद आती है। (हंसी) उसका भी मुकाबला इन लोगों ने किया। इतनी नींद में कैसे-कैसे रोकते होंगे भगवान जाने (हंसी) और हमारे विधान सभा के सचिव महोदय, सारे हमारे बहुत ही जिम्मेदार काबिल अधिकारी, यहां तक हमारे जो सब मार्शल और जो अन्य सहयोगी खड़े हैं, इन सभी ने सबेरे से शाम तक हमारे इस विधान सभा के सुचारू संचालन में सहयोग दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे सुरक्षा कर्मचारी दिन को 9-9 बजे से आकर विधान सभा के चारों तरफ खड़े रहते हैं। धूप में गर्मी में, प्यास में उनका भी इस विधान सभा को सफल करने में योगदान रहा है। ऑफिसर्स गैलरी में भी कई बार चर्चा भी होती है। हमारे अधिकारियों को हालांकि बहुत ज्यादा बैठने की जगह भी नहीं है फिर भी वे लोग आते हैं, बैठते हैं। सरकार की रीति-नीति के बारे में जानकारी देते हैं। ये सब मीडिया के हमारे साथियों ने किये। हम यहां चाहे जितना बोल लें। आप नहीं छापोगे तो बाहर कौन जानेगा? कोई लाइव टेलीकास्ट थोड़ी हो रहा है। आप ही लोगों का भरोसा है भैया, छाप दिया करो। जो-जो बोलते हैं उसको (हंसी) और आप लोगों के ही भरोसे में ही यहां की आवाज दूर तक पहुंचती है। अध्यक्ष महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की विधान सभा आगे ऊंचाइयों को छूएगा। यहां और भी ज्यादा अच्छा परफार्मेंस होगा। अध्यक्ष जी, मैंने बीच-बीच में देखा थोड़ी उपस्थित कम हो जाती थी। मैंने तो अपने दल की ओर से पूरी कोशिश किया कि सब कोई रहें। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा कि विधान सभा चले तो हम सब को ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। हां दो मंत्री के बारे में बोलना भूल गया। मुख्यमंत्री जी एक बार अनुमति दे दें तो बोल दूं । अकबर जी ने बहुत बेहतरीन परफारमेंस दिया। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों ने नहीं दिया। आप लोगों ने भी दिया, परन्त वे थोड़ा कड़क दिए।

अध्यक्ष जी, आपके लिए एक बात और बोलना भूल गया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद यह पहली बार इतिहास है कि जितनी रूलिंग, जितनी व्यवस्था आप एक सत्र में दिए हैं, वह 18 साल में नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, आपने मंत्रियों को जांच करिये, ये करिये, वह देखिये, बोले हैं, 18 साल में एक सत्र में

कभी नहीं हुआ है। जो आपने किया। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष जी, यह एक अच्छा लक्षण है। इसमें कोई किसी के लिए रंजिश रखकर नहीं आता है। हम तो यहां लोगों की बात कहने आते हैं। हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन उद्देश्य सबका एक है कि गरीब जनता को सहायता मिले। मुख्यमंत्री जी, मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बोल देता हूँ कि इस तरफ के बेंच में कम हल्ला-गुल्ला हुआ। सबसे ज्यादा हल्ला हुआ टी0एस0 बाबा साहब का, मुख्यमंत्री आपने इतना बढ़िया विभाग दिया है कि बच्चा मरा तो बाबा, बीमार पड़ा तो बाबा, पीलिया, डायरिया तो बाबा। (हंसी) एक मंत्री इधर बैठे हैं, बाबा के किनारे ताम्रध्वज जी। डाका पढ़ा तो साहू जी, लूट हुआ तो साहू जी। तो मैंने विश्लेषण किया था कि यह ताली वाला बेंच (मुख्यमंत्री वाली बेंच) है यह थोड़ा गाली टाईप का बेंच (श्री टी0एस0 सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री वाली बेंच) है। ताली और गाली का हिसाब है। मुख्यमंत्री जी, आपके इस दूरअंदेशी और सूझबूझ की भी सराहना करता हूँ। इतना बढ़िया विभाग दिए हो कि दोनों इसी में परेशान रहें। (हंसी)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- धर्मजीत जी, आपने ताली-गाली जो बोले। हालांकि यह बात सार्वजनिक नहीं कहनी चाहिए। लेकिन बात आई है। जब हम लोगों ने मंत्रिमण्डल के विभागों की चर्चा की तो सभी साथियों से आपस में चर्चा करके विभाग का आवंटन किया।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह तो हंसी-मजाक की बात है।

श्री भूपेश बघेल :- हंसी-मजाक, मैं वही कह रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, मैं यह हंसी-मजाक में बोला हूँ। आप उसको सीरियस मत लीजिये न।

श्री भूपेश बघेल :- यह विभाग, जो गाली वाली बोल रहे हैं न, बाबा साहब के लिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- बाबा साहब को नहीं, मैं विभाग को बोला।

श्री भूपेश बघेल :- हां-हां, वह मांगकर लिए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- बहुत अच्छा, हिम्मती हैं। (हंसी) वह बहुत हिम्मती हैं। मतलब इतनी चरमराई हुई व्यवस्था में, इसको चुनौती में लिए हैं, मतलब आपने परमवीर चक्र देने लायक काम किया है। हमारी शुभकामना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने दल की ओर से, आपका, सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री जी, सभी विपक्षी दल के साथियों का, सभी सत्तापक्ष के साथियों का, वरिष्ठ लोगों का, नये लोगों का अभिनंदन करता हूँ और आपके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आशा करता हूँ कि अगले सत्र में इससे भी ज्यादा तीखे और कड़े तेवर के संग हम यहां मिलेंगे और आपसे, आपकी सरकार का हिसाब पूछेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। (हंसी)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव चन्द्रा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचम विधान सभा का यह प्रथम सत्र आपके संरक्षण एवं नेतृत्व में, आपके दिशा-निर्देश में बहुत ही शालीनता के साथ चला। हमारे इस सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता, नेता प्रतिपक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्रीद्य माननीय डाक्टर साहब, माननीय जोगी जी, माननीय अमरजीत जी, हमारे जैसे विधायक, नये विधायकों को मार्गदर्शन दिया और हौसला बढाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 5 साल तक इस सदन में रहा। लेकिन इस सत्र के एक-एक मिनट का सदुपयोग हुआ। किसी भी समय सदन की कार्यवाही में न सत्तापक्ष की तरफ से, न विपक्ष की तरफ से अवरोध हुआ। निश्चित रूप से इसने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और इसका एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भले ही एक क्षेत्र से जीतकर आते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व पूरे छत्तीसगढ़ का करते हैं। छत्तीसगढ़ की समस्या और उस समस्या का निदान प्रत्येक विधायक की प्राथमिकता रहती है । मैं तो सभी वरिष्ठजनों को, मंत्रिमण्डल के सभी सम्माननीय सदस्यों को और हमारे विपक्ष के उन सभी वरिष्ठ सदस्य जो एक मार्गदर्शक के रूप में हम सभी लोगों को मार्गदर्शन दिए, उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं । हमारे सचिवालय के सचिव माननीय गंगराड़े जी, सचिवालय के जितने भी अधिकारी-कर्मचारी हैं, उनका भी पूरा मेहनत और योगदान रहा । इस सत्र को चलाने में हमारे मीडिया के इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी सम्माननीय पत्रकार साथीगण, एक-एक उन बिन्दुओं को जो सकारात्मक हो सकता है, उन्होंने अपनी मीडिया पर दिया, उनके लिए भी मैं सभी को धन्यवाद देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं भी दूसरी बात जीतकर आया हूं, ज्यादा पुराना नहीं हूं, फिर भी हमारे बहुत सारे सदस्य पहली बार जीतकर आये हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये हम लोगों के सीखने का समय है, जानने का समय है, समझने का समय है, हम अपने क्षेत्र की जनता के, छत्तीसगढ़ के लोगों का आवाज को सदन में कैसे रख सकते हैं तो अधिक से अधिक समय हम अपनी सीट पर बैठकर, सदन में बैठकर अगर ये जानने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमको सीखने का अवसर मिलेगा तो आप लोग अधिक से अधिक बैठें और ये जरूरी नहीं है कि केवल सत्र के समय ही हम बैठेंगे तो पूरा साल भर हमको इन चीजों का अध्ययन करना है कि हमको प्रश्न क्या करना है, विषय को कैसे रखना हैं और तमाम वरिष्ठ सदस्य चाहें वे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, अगर उनसे मार्गदर्शन लेना है तो आप नि:संकोच जाईए, निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन मिलेगा और मैं यहां नये सदस्यों का जो परफारमेंस देखा क्योंकि मैं भी पहली बार आया था तो भले हम मंच पर कुछ भी भाषण दे दें, लेकिन जब पहली बार मुझे पूछने का अवसर मिला तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी तो ऐसी परिस्थिति में नये सदस्यों ने यहां पर पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्न किया, अध्ययन करके आये, बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने विषय को बहुत बेहतर तरीके से रखा, इसके लिए मैं नये सदस्यों को

विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके संरक्षण में जो हमको ये अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए यही संरक्षण हम लोगों को मिलता रहे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि इस सदन में कई क्षण और अवसर ऐसे आये, कई निर्णय ऐसे हुए, जिसकी हम उम्मीद नहीं किये थे, लेकिन वह निर्णय इस सदन में हुआ । आसंदी से भी बहुत अच्छा निर्देश आया तो भविष्य में भी यही संरक्षण मिलता रहे, इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत संक्षिप्त में बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं । विशेष तौर पर पंचम विधान सभा का जो स्वरूप बना..।

श्री अमितेश शुक्ल :- कैसा चमत्कार है भई, बड़ा चमत्कार हो गया। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी चर्चा शुरू कर दीजिए, अभी जोर से हो जायेगा । (हंसी) अध्यक्ष महोदय, जिस समय मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं...।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो भैया । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ये एक ऐसा शून्य होता है, जिसमें पक्ष, विपक्ष, आप सब मिलकर उन कटुताओं से, उन सारी चीजों से मुक्त होकर अपनी-अपनी बात करते हैं और जब हम छत्तीसगढ़ की चिन्ता करने वाले लोग रहते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से आपके लिए खड़ा हुआ हूं, आपके साथ विधायकी कार्य करने का, लेजिस्लेटिव कार्य करने का, संचालन के तौर-तरीका देखने का पहला अनुभव था और निश्चित रूप से बहुत प्रभावकारी था । आपने किसका साथ लिया, किसके कहने से किया, यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है । जिस विषय में आपने अपनी व्यवस्थाएं दीं, वह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत लोक महत्व का विषय थीं, यह बहुत महत्वपूर्ण था, आसन्दी से लेकर विधान सभा व्यवस्थाओं से गौरवान्वित हुई । मैं इसके लिए विशेष तौर पर आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ । जब हम इस तरह की विषय पर परिचर्चा करेंगे, निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष से परे हटकर भी छत्तीसगढ़ की बहुत सारी लोक महत्व की समस्याओं को हल कर पाने में सफल होंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सीट में परिवर्तन हुआ है, माननीय भूपेश बघेल जी और उसके मंत्रिमण्उल के साथी, कोई मंत्री है, कोई पहली बार बने है, समापन का अवसर हे, मैं निश्चित रूप से उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । जैसा कि मेरे साथी शिवरतन जी ने कहा था कि एक प्रचण्ड लोकतांत्रिक बहुमत आपको प्राप्त है । निश्चित रूप से मैं धरमजीत की तरह हतप्रभ था । पहले दिन मेरे पहले भाषण में उत्तेजित हुये थे । मैंने कहा कि कैसे हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को उत्तेजित देखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता । कभी-कभी जिन लोगों के साथ काम करते थे, उनको बोलते देखते तरस जाते थे, एकाध बार बोल तो दे । जैसे-जैस उनका अनुभव आया,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जैसे-जैसे उपस्थिति आई, हम सब सहज हो गये । नेता प्रतिपक्ष जी ने ऊपर और नीचे काम किया, पहला सत्र था, बहुत अच्छा रहा । मैं विधन सभा में व्यक्तिगत तौर पर और संसदीय कार्य मंत्री जी के तौर पर कार्य किया, इस लेजिसलेशन के मामले में रविन्द्र चौबे जी बहुत अनुभवी हैं । बात सही है । इसमें कोई दो मत नहीं है । उन कार्यों को महत्व देना, उन कार्यों को समझना, उसको संपादित करना और सदन की उन चर्चाओं को ऊंचाईयों पर ले जाना । इस सत्र में भी वह दिखा । आज के दिन को मैं विशेष रूप से मानता हूँ कि सब ने उसकी प्रशंसा की है । मैं आलोचना कर देता हूँ । आलोचना भी उसी की होती है, जिनके पास कुछ हो साहब । अगले सत्र में हम सब मिले तो आपके माननीय मंत्रीगण से लेकर माननीय विधायकगण से लेकर उधर की दीर्घायें इस विशेष क्षण में पूरी तरह भरी दिखे । मैं कोशिश करता था इस बात को कि इस क्षण में सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय सदस्यगण, सभी सम्माननीय अधिकारीगण विशेष रूप से रहे । सब मिलकर एक दूसरे को इस बेहतर कार्य संचालन के लिए बधाई दें । आप इन बातों को जानते हैं । मैंने आलोचना के तहत ध्यान आकर्षित किया । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे आदरणीय गंगराड़े जी से लेकर ऊपर के हमारे मीडिया के जितने साथी है से लेकर, वह सब अवयव जिन्होंने अपने बेहतर कार्य संचालन में सहयोग दिया, मेरे खड़े होने का जो विशेष तात्पर्य था, आपको और इससदन के नवनिर्वाचित नेता और विपक्ष के नेता को उनके माध्यम से हमारे दोनो, तीनों और मैंने उल्लेख किया कि हमारे पिछले पांच साल जब सदन में कुछ सदस्य ऐसे हैं, जो नहीं रहते, उनकी कमी खलती है । ऐसे एक हस्ताक्षर माननीय धरमजीत जी है, वह जब सदन के अंदर रहते हैं तो हाऊस की फिजा दूसरी रहती है । उनकी गंभीरता, उनकी प्रस्तुति, वह सबसे पृथक बनाती है । उसके पीछे एक उद्येश्य यह है कि उन्होंने पहले भाषण में बहुत अच्छी बात कही थी । एक मुख्यमंत्री,दो पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, दो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, दो उपाध्यक्ष, तीन संसदीय कार्यमंत्री, यह उपस्थिति है, निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को एक ऊंचाई देगी । छत्तीसगढ़ की जनता की हम सब मिलकर सेवा कर पायेंगे । आपके प्रति फिर से कृतज्ञता व्यक्त करते हुये विशेषतौर पर आपका आभार व्यक्त करते हुये मैं अपनी जबान/बात समाप्त करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, प्रथम सत्र सत्रावसान हो रहा है । बहुत अच्छे विचार, हालांकि केवल धन्यवाद कहना था, लेकिन

विचारों की ऊंचाईयां भी आज इस सदन को देखने को मिली । अध्यक्ष जी, आपके प्रति तो आभार, धन्यवाद, आदरणीय धरमजीत भईया ने अपनी बातों में कहा कि बजट सत्र 23-24 बैठकों का लगभग होता है । इस बार 21 बैठकों का हुआ । पार्लियामेंट में जब चर्चा हुई थी तो छोटे विधान सभाओं के कार्यदिवस के बारे में चर्चा हुई थी । हालांकि आसन्न लोक सभा के चुनाव और आचार संहिता बहुत सारी

बातें हैं, अध्यक्ष जी हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ये सदन इन सारी चीजों को पार करके चर्चा का सबसे बड़ा मंच बने। धर्मजीत भैय्या अभी कह रहे थे कि आपने कम दिवस में ही आसंदी से इतने स्ट्रक्चर, इतने निर्देश दिये कि 18 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ। ये हम लोगों के लिए चेतावनी है कि अगर सदन में कोई बात आए तो आपके निर्देश के पहले उसे कार्य रूप में परिणित करने के लिए हम मंत्रिमंडल के साथियों और सत्तापक्ष को काम करना पड़ेगा, ये निर्देश मैं समझ रहा हूं। अध्यक्ष जी, थोड़ा बदलाव दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकार बनी थी तो मध्यप्रदेश के विभाजन की सरकार थी। पर दूसरी बार से लेकर लगातार जैसा कि आपने जिक्र किया, हम सबको उधर बैठने का ज्यादा अनुभव है। इधर बैठने के अनुभव की अभी शुरूआत हो रही है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवर्तन दूर से दिखाई दे रहा है। ये केवल सीटों का परिवर्तन नहीं है। सरकार की कार्यशैली का भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है और लोग यह महसूस कर रहे हैं इसलिए इस सदन में आपको सारी चर्चाएं जीवंत दिखाई दे रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस परिवर्तन की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया उस परिवर्तन को पूरा प्रदेश महसूस कर रहा है और उसके लिए आसंदी से आपकी सारी व्यवस्थाएं हम सब यहां लागू कर रहे हैं। अब व्यवस्था में परिवर्तन की बात है तो हम सब तो पहले भी विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में जाया करते थे। बालूशाही से ठेठरी तक तो आप ही लाये न। ये सब सदस्य महसूस कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सचमुच छत्तीसगढ़ की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आप आये और सीधा आसंदी में आप विराजमान हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में हम नई उंचाईयां छुयेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जैसा भैय्या धर्मजीत सिंह जी ने कहा छत्तीसगढ़ की जनता को खूब अपेक्षाएं हैं। उधर संघर्ष किए, लोगों ने सड़कों में संघर्ष देखा और लोग महसूस कर रहे थे। बजट तो उतना ही है न, आप भी जब बजट पेश किया करते थे तो 91-92 हजार करोड़ का बजट होता था, इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया तो 93 हजार करोड़ रूपये का बजट पेश किया । लेकिन सोच का परिवर्तन उसमें दिखाई दिया। लोगों ने महसूस किया कि जिन अपेक्षाओं के साथ हमने सरकार बनाई, जिन अपेक्षाओं को लेकर अपनी बातों में, अपने भाषणों में, अपने उल्लेख में, अपने संघर्ष में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब संघर्ष किया करते थे, उसको क्रियान्वित करने में कितना कामयाब होते हैं ये सदन इसका साक्षी बना। मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, हम तो आपके साथ बहुत काम किए हैं। आप आसंदी में बैठा करते थे, हम अपनी बात कहा करते थे। लेकिन आज प्रतिपक्ष के नेता के रूप में और आपके बगल में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी बैठे हैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे सारे

सकारात्मक कामों में, रचनात्मक कामों में आपका रूख चूंकि आप वहां बैठे हैं इसलिए आलोचना की बात हो सकती है। लोकतंत्र में असहमति ही बड़ा श्रृंगार होता है और आप असहमत हैं इसका आशय कतई यह नहीं कि आप इस छत्तीसगढ़ का विकास नहीं चाहते हैं। यहां के विकास के लिए आपकी असहमति में भी हम सहमति के स्वर ढूंढ लेते हैं और हमें लगता है कि हम जिस छत्तीसगढ़ को उंचाईयों में ले जाना चाहते हैं, हम कल्पना करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध, खुशहाल और खूबसूरत राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बनेगा तो पहल आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सरकार और सत्तापक्ष कर रहा है तो विपक्ष के भी माननीय साथियों का उसमें योगदान है। अजय जी के नाम का उल्लेख यदि नहीं करूंगा तो मैं समझता हूं कि मेरी बात अधूरी रह जायेगी। आपके प्रति विशेष धन्यवाद। जब ये शून्य दिखता है, कम दिखता है, उपस्थिति कम रहती है तो जब आपकी आवाज बाहर तक गूंजती है तो हमें महसूस होता है। आपके प्रति भी विशेष आभार। आदरणीय धर्मजीत भैय्या हमारे बहुत आदरणीय हैं। उनकी वाणी में ओज है। छत्तीसगढ़ के प्रति आपका लगाव दूर से दिखाई देता है। भाई चन्द्रा जी, आपकी पूरी टीम के सदस्य, प्रतिपक्ष के सारे साथियों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष के साथियों को विशेष रूप से, प्रबोधन कार्यक्रम ट्रेनिंग की प्रोग्राम की शुरूआत जब हुई थी, आपने रखा था । हम लोगों ने भी कुछ क्लासेस ली थी, अपनी बात रखी थी। तब लगता तो था कि माननीय सदस्य आगे जा करके कुछ कहेंगे लेकिन ये 21 दिन की बैठक में, मैं ऐसा समझता हूं। श्री कुंवर सिंह निषाद, श्री प्रमोद शर्मा जी, सम्माननीय श्रीमती रंजना साहू से ले करके शकुंतला साहू तक और हमारे श्री रामकुमार यादव जी सब माननीय सदस्यों ने, अध्यक्ष जी आपका समय कम पड़ गया। जितनी चर्चाएं होनी थी, सारे सदस्य जागरूक हो करके माननीय मंत्रियों के साथ अपनी बातों को रख करके, वे चाहते थे कि सदन में बात हो। सभी माननीय सदस्यों को विशेषकर मातृशक्ति को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। जब भी इधर की आवाज हुई, आपकी आवाज कहीं कम नहीं हुई। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) जैसा आप सब ने आने वाले समय में, निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जैसा हम लोग महसूस कर रहे हैं । हम लोग मध्यप्रदेश की विधानसभा से सब सीखकर आये हैं। जहां हम मध्यप्रदेश विधानसभा में बैठा करते थे। हमारे सामने आदरणीय सुंदर लाल जी पटवा जी, श्री कैलाश जोशी, माननीय श्री विक्रम जी हुआ करते थे। आज भी उसी तेवर में आदरणीय श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री देवव्रत जी, श्री अजय चंद्राकर जी अपनी बात कहते हैं। कभी कभी नारायण चंदेल जी भी अपनी बात वैसी कर लेते हैं। आदरणीय श्री शिवरतन शर्मा जी अपनी बात कहते हैं। सौभाग्य से श्री सौरभ सिंह जी, बेहद विद्वत हैं, आपके सारे भाषण, सारे प्रश्न सब कुछ आपने सदन में रखा। मैं आप सब के प्रति भाभी जी, आपके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पक्ष के साथियों ने भी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने पहली बार मंत्री बने श्री उमेश पटेल जी

का उत्तर जो यूनिवर्सिटी के अमेंटमेंट बिल में श्री अजय चंद्राकर जी प्रश्न कर रहे थे और श्री उमेश पटेल जी उत्तर दे रहे थे लग ही नहीं रहा था कि इतने वरिष्ठ सदस्य का प्रश्न है । पहली बार आये हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री जी जवाब का है। मैं ह्दय से बहुत बधाई और आशीर्वाद देना चाहता हूं। हमारे सभी अधिकारियों को, विधानसभा के माननीय सचिव जी, हमारी पूरी टीम को, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के सभी माननीय साथियों को, जैसे श्री धर्मजीत भैय्या ने कहा जरूर छाप दिया करो, लोग हम लोगों को देखेंगे। (हंसी) आपके प्रति आभार और धन्यवाद । सुरक्षा मे लगे हुए पूरी टीम को और विधानसभा के पूरे परिवार को मैं ह्दय से धन्यवाद देता हूं। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश और सदन चलाने के लिये हम सब लोग को जिस तरीके से जाना चाहिये। हम लोग जानते हैं कि ये प्रजातंत्र का सर्वोच्च सदन होता है। विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिये । हम अपनी बात व्यक्त करें और चर्चा का सबसे बड़ा माध्यम है, आप चर्चा करेंगे। सहमति या असहमति चाहे जो कुछ भी हो उसी से तो हम रास्ता निकालेंगे। कल्पना जिस तरीके से हम करते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ विकसित होगा। आपके नेतृत्व में और आप सबके सुझावों से हम छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। फिर से आप सब के प्रति धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने, विपक्ष के नेता श्री धरमलाल कौशिक जी ने, आदरणीय श्री धर्मजीत सिहं जी, श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी, श्री अजय चंद्राकर जी, श्री रविन्द्र चौबे जी ने इस सदन की गरिमा को भविष्य में और बढ़ाने की जो चिंता की है, सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की है। उसके लिये मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर इस सदन को और ऊंचाई तक ले जाने में सफल रहेंगे। (मेजों की थपथपाहट) श्री धर्मजीत सिंह ने थोड़ी चिंता व्यक्त की है, शांति के प्रति। यहां जो शांति छाई है, सन्नाटा उसके प्रति आपने चिंता व्यक्त की है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आपने एक किताब का जिक्र किया। श्री नरेन्द्र कोहली का किताब आप पढ़ रहे थे। उनकी चिंता ये थी कि आप अकेले क्यों पढ़ें। अभी वितरण हो जाना था। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, इधर भी देखा तो चुप, उधर भी देखा तो चुप तो क्या करें बताईये ? हम तो चाहते हैं कि आप जैसे मुस्करा मुस्करा के वहां से बत्ती दे रहे हैं, बढ़िया ठीक से समझा रहे हैं। वैसी यहां होते रहना चाहिए। क्या करना है, चर्चा ही तो करना है ?

अध्यक्ष महोदय :- हम लोग यहां 21 दिन तक एक परिवार की भांति रहे। और आज बिछड़ रहे हैं। हम कुछ दिनों के लिए बिछड़ रहे हैं। हम 5 महीने बाद फिर मिलेंगे। शायद इसकी चिंता सब हमारे साथियों के मन में थी और उसके लिए बहुत अच्छी बात हमारे बशीर बद्र जी ने लिखी है :-

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

"उजाले अपनी यादों की, हमारे साथ रहने दो।

न जाने किस गली में जिन्दगी की शाम हो जाए।" (मेजों की थपथपाहट)

इस बात से शायद दु:खी हैं। मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपने कहा है मैंने नरेन्द्र कोहली जी की किताब का मैंने बेग पृष्ठ ही पढ़ा है। आने वाले समय में इस विधान सभा की ओर से मैं सब सदस्यों को बाटूंगा। आज का समय समाप्त होता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अब राष्ट्रगान होगा, माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

<u>राष्ट्रगान</u>

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित।

(सायं 4 बजकर 57 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुई.)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 01 मार्च, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं